खण्ड-201, अंक-6
शनिवार, 2 फाल्गुन, शक संवत् 1880
(21 फरवरी, 1959 ई0)

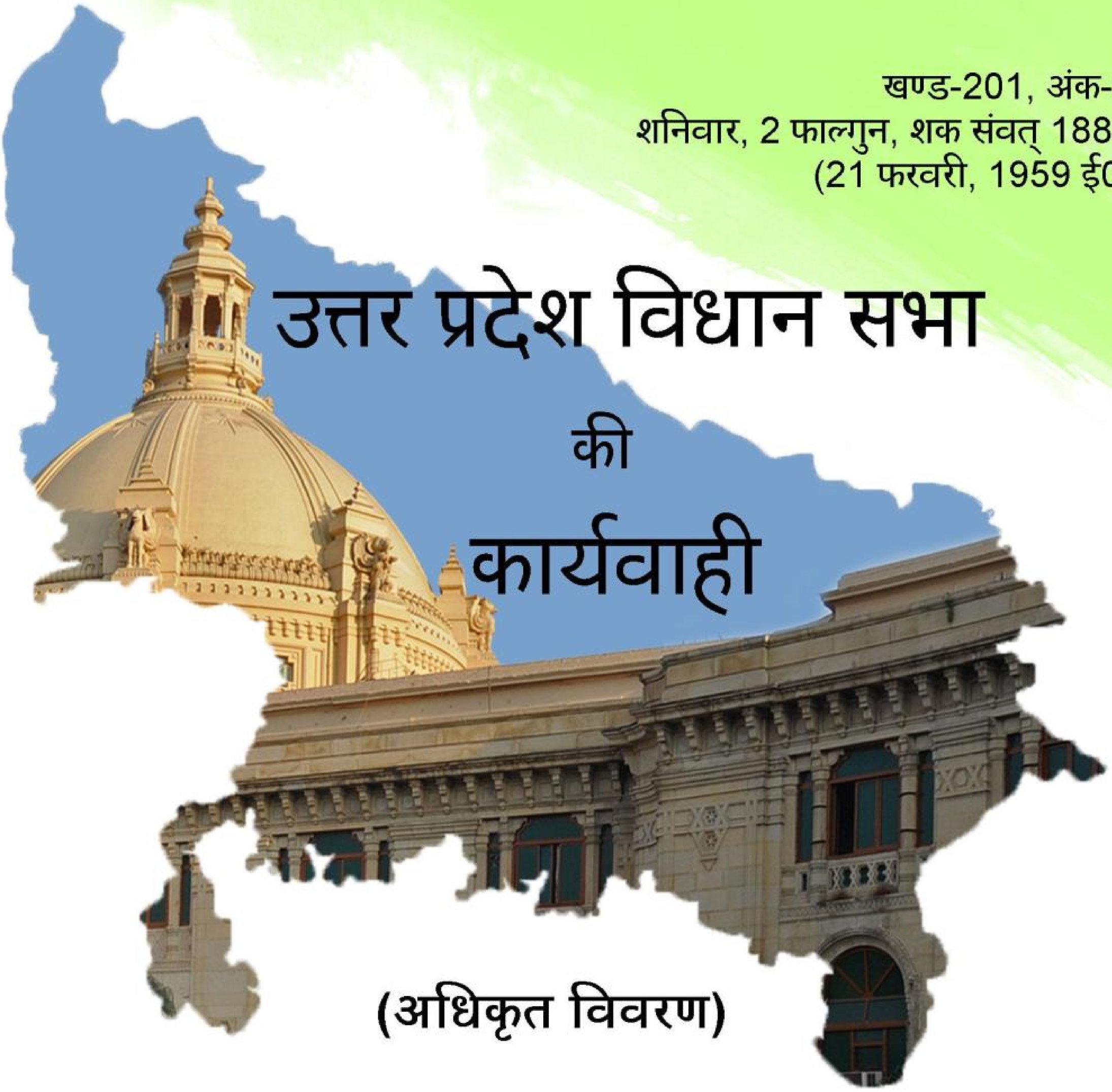

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 201 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, २१ फरवरी, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३३९

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री

गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री

बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिशम्भरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री

रामरतनप्रसाद , श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेंद्रसिंह, राजकुमार
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह श्री

हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शनिवार, २१ फरवरी, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

हल्द्वानी नगरपालिका को ऋण के लिये मांग

१—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या हल्द्वानी नगरपालिका ने अभी हाल ही में एक विशेष प्रस्ताव द्वारा हल्द्वानी शहर में पेय-जल प्रबन्ध को सुचारु रूप से परिचालित करने हेतु रुपया कर्ज मांगा है ? यदि हां, तो सरकार कर्जा देने हेतु क्या विचार कर रही है ?

स्वायत्त शासन उप-मन्त्री (श्री रामस्वरूप यादव)—जी हां । हल्द्वानी नगरपालिका ने वर्तमान वित्तीय वर्ष (१९५८-५९) में दो लाख रुपये का ऋण पेय-जल योजना के लिये मांगा है । प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार हो रहा है और आदेश शीघ्र ही जारी हो जायगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी हल्द्वानी नगर में पेय-जल के अत्यन्त कष्ट को देखते हुए इस कर्ज को इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत करने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—२ लाख रुपये देने पर इसी वर्ष के लिये विचार किया जा रहा है, लेकिन यह नगरपालिका अपने पिछले ऋण की किस्तें अभी नहीं दे रही है । इसलिये बाकी ४ लाख रुपया देने पर फिर विचार करना होगा और मुमकिन है कि दिक्कत भी हो ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—जिस योजना के लिये कर्जा मांगा जा रहा है उसमें कितना काम हो चुका है, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैं समझता हूं कि काम शायद अभी नहीं हुआ है । ६ लाख रुपये की योजना है । २ लाख रुपये में फिल्ट्रेशन प्लान्ट इसी वर्ष हो रहा है । बाकी ४ लाख रुपये के लिये अगर नगरपालिका लिखेगी तो फिर विचार किया जायगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि जो विशेष प्रस्ताव म्युनिसिपल बोर्ड हल्द्वानी ने पास करके भेजा है वह चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी के कथनानुसार भेजा और सरकार के कहने से भी कि आप प्रस्ताव भेज दें तो कर्जा स्वीकार कर देंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैं समझता हूं कि उनको पानी की दिक्कत होगी । उससे प्रभावित हुए होंगे, न कि किसी के कहने से ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---नगरपालिका का प्रस्ताव कब पास हुआ था और इस पर कब तक विचार हो जाने की सम्भावना है ?

श्री रामस्वरूप यादव---कुछ दिन पहले पास हुआ । मैंने जवाब में ही निवेदन किया है कि उस पर ध्यानपूर्वक विचार हो रहा है और आदेश भी शीघ्र ही जारी हो जावेंगे और इरादा भी है कि ३१ मार्च से पहले ही हो जावे ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार को ज्ञात है कि हल्द्वानी में पीने का पानी मिलने में काफी कठिनाई होती है ?

श्री रामस्वरूप यादव---पानी की दिक्कत है, यह तो ठीक है । इसीलिये रुपया देना स्वीकार कर लिया है इस बात के होते हुए भी कि नगरपालिका पुराने ऋण की किस्तें नहीं दे रही है ।

श्री राजनारायण---जब सरकार इस बात को महसूस करती है तो इस काम को प्राथमिकता देकर शीघ्र क्यों नहीं पूरा कर देती है ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह दिक्कत हल्द्वानी की ही नहीं और जगह भी हो सकती है । हिसाब से ही रुपया दिया जायगा । जितना होगा उसी में से दिया जा सकता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि यह योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रचालित योजना का अंग है जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार प्रदेशीय सरकार को रुपया देती है ?

श्री रामस्वरूप यादव---केन्द्रीय सरकार के लोन में से नगरपालिकाओं को प्रदेशीय सरकार लोन देती है ।

अलीगढ़ में सस्ते अनाज की दूकानें

****२---श्री अनन्तराम वर्मा** (जिला अलीगढ़)---क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ शहर के सस्ते नाज की कोई दूकानें कम कर दी गई हैं ? यदि हां, तो कितनी दूकानें कम कर दी गई हैं और किस कारण ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---जी नहीं । प्रश्न के शेष भाग नहीं उठते ।

श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कम की गई दूकानें किस एरिया में हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---कोई दूकानें बन्द नहीं की गयीं, इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री रामप्रसाद देशमुख---क्या सरकार वहां दूकानें बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---आवश्यकतानुसार जहां से जैसी मांग आती है, सभी जगह लगभग दे रहे हैं ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या पिछले एकाध महीने में हर जगह से दूकानों की मांग बढ़ी है ? यदि हां, तो कोई सूचना हो तो मंत्री जी देने की कृपा करें ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी हां, मांग बढ़ रही है। हमने पिछले महीने में लगभग ५०० दूकानें खोली हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या अलीगढ़ के जिलाधीश को सरकार ने इस बात का अधिकार दे रखा है कि यदि वह आवश्यकता समझें तो वहां दूकानें बढ़ा सकते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---खास परिस्थितियों में लगभग सभी जिलों के जिलाधीशों को अधिकार दे रखा है। अन्यथा साधारणतया वह लिखते हैं और यहां से इजाजत दे देते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---इस समय अलीगढ़ में कितनी दूकानें हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---वहां २५ दूकानें हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---अलीगढ़ की दूकानों पर कौन गल्ला कितने मन प्रति दिन बंटता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---पहले २५ मन था और अब पश्चिमी जिलों में ३० मन कर दिया गया है।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)---दूकानें बढ़ाने के विशेष अधिकार किन-किन जिलों के अधिकारियों को दिये हुये हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---विशेष अवस्था में हर जिलाधिकारी बढ़ा सकता है।

श्री गेंदासिंह---इस समय अनाज की मांग में बढ़ती देखते हुए क्या प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कुछ अनाज बढ़ाने की मांग की है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मैंने पिछली बार यहां बताया था कि कवाल टाउन्स में और दो-तीन शहरों में एक्सट्रा आवश्यकता के लिये १० हजार टन अनाज का कोटा हमको मिला। मिलों के आटे का कोटा एक्सट्रा है और ३५ हजार टन माहवारी अलग है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---अलीगढ़ जिले में देहात में कितनी दूकानें हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---नोटिस चाहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या यह सही है कि दूकानें बढ़ाने का अधिकार जिलाधीशों को नहीं है बल्कि रीजनल फूड कन्ट्रोलर को है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---वह उनसे परामर्श करते हैं क्योंकि अगर जिलाधीश ने दूकानें बढ़ा दीं और आर० एफ० सी० के पास अन्न न हुआ तो दूकान खोलने से कोई लाभ नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---यह स्पष्ट नहीं हुआ कि कौन किससे परामर्श लेता है और किसको अधिकार है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---आर० एफ० सी० के पास स्टाक पोजीशन होती है और डी० एम० दूकान खोलने की ताकत रखते हैं। जब तक स्टाक पोजीशन ठीक न हो, जिलाधीश दूकान खोलकर क्या करेगा ? इसलिये दोनों का परामर्श होता है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---अलीगढ़ जिले में जिन इलाकों में पानी भरा हुआ है और वहां गल्ले की बहुत परेशानी है, तो वहां कितनी दूकानें खुली हुई हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)---क्या मन्त्री जी को मालूम है कि जिले की आवश्यकता को देखते हुए जिले के एम० एल० एज० और अधिकारियों में कोई प्लान बना था और वह पूरा नहीं हो सका, इसीलिये ये प्रश्न हुए हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। अगर ऐसा होता तो जिलाधीश की हमारे पास मांग आई होती।

श्री गेंदासिंह---गेहूं के भाव को देखते हुए क्या गेहूं की मांग स्टेट गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट आफ इंडिया से की ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जितनी हमने मांग की उतना उन्होंने दिया। गेहूं का भाव तो अब घट रहा है। आज ही पत्रों में देखा होगा कि २ रुपये मन का फाल हुआ है और ३, ४ रुपये का पहले था।

श्री चन्द्रजीत यादव---जैसे पश्चिमी जिलों में ३० मन का आदेश अभी मंत्री जी ने बतलाया, तो क्या राज्य के अन्य भागों में ३० मन से कम बांटा जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मैंने केवल गेहूं की बात कही। वैसे तो २५, ३० मन कोर्स ग्रेन को लगाकर सर्वत्र बंट रहा है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---जिन विशेष परिस्थितियों में जिलाधिकारी अधिक दूकान खोल सकते हैं तो वे परिस्थिति ऐसी क्या हैं ? उसकी क्या परिभाषा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---खाने को न मिले या लोग भूखों मरने लगें या आकस्मिक घटना कोई ऐसी हो जाय जिससे वहां के ग्रामीणों को बहुत कष्ट हो जाय।

कानपुर में भूमि-प्राप्ति के विषय में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना पर मुख्य मन्त्री का वक्तव्य

***मुख्यमंत्री** (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---उपाध्यक्ष महोदय, कानपुर में गवर्नमेंट आफ़ इंडिया की तरफ़ से ये दो चीजें खुलने वाली हैं। एक तो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट और एक इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी की बात तो यह है कि सारे देश में चार खुलने वाले हैं। उनमें से नार्दन जोन में खुलने वाली इंस्टीट्यूट कानपुर में खुलेगी। पहली शुगर इंस्टीट्यूट के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया ने ५२४ एकड़ की जरूरत दिखलायी और इस दूसरी इंस्टीट्यूट के लिये उन्होंने जरूरत दिखलाई १,०४५ एकड़ की। जहां तक नेशनल इंस्टीट्यूट आफ शुगर की बात है उसमें से ४०-५० एकड़ अभी तक एक्वायर हुई है और उसका ही पजेशन उनको दिया गया है। इसमें १५ काश्तकारों की जमीनें हैं, जिनके ऊपर की तत्काल असर पड़ता है। वहां गवर्नमेंट आफ इंडिया को कुछ इमारतें बनानी थीं। इसलिये उन जमीनों पर जो काम करना चाहता है वह करेगा।

जहां तक खेती की बात है ४,५ एकड़ जमीन पर जो खेती थी वह खेती कटी। उसके बाद जिलाधीश वहां गये और उन्होंने यह समझाया कि पहले इतनी जमीन पर काम कीजिये। बाकी जमीन पर कैसे हो जब खेत कट जायंगे तब उस पर इमारत बनाना शुरू कीजियेगा। उस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फसल का कटना रोक दिया गया है। काश्तकार बेरोजगार जरूर होंगे। जिनकी जमीन ली गयी उनको मुआविजा मिल चुका है। फिर भी इस बात का आश्वासन उन्हें दिया गया है, उनमें से सब को तो नहीं दिया जा सकता, जिन लोगों के खेत लिये गये हैं उन्हें उस इंस्टीट्यूट में कुछ न कुछ काम दे दिया जायगा माली, चपरासी, क्लीनर आदि का।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---माननीय मुख्य मंत्री इस बात को ध्यान में रखते हुये बतलायेंगे कि इस जमीन के सम्बन्ध में श्री हाफिज इब्राहीम के मुआयना करने के बाद और कुछ स्थानीय लोगों के रिप्रेजेंटेशन के बाद इस बात को स्वीकार कर लिया गया था कि इस जमीन को और आसपास की जमीन को न ले कर अन्य गांवों में जमीन ली जायगी, जो उद्योगपतियों के फार्म हैं उनसे जमीन ले ली जायगी जिससे काश्तकारों पर बोझा कम पड़ेगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसमें तो काश्तकार कम हैं। उस बड़ी जमीन में काश्तकार जरूर ज्यादा होंगे। फिर जिस बात का माननीय सदस्य ने जिक्र किया वे इस बात को जानते होंगे कि इंस्टीट्यूट हमारी नहीं है, गवर्नमेंट आफ इंडिया की है। अगर इस इंस्टीट्यूट के लिये जमीन ठीक से नहीं मिलेगी तो यह इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में न खुल कर और जगह चली जाती है। हमारी सब बातों को सुनने के उपरान्त उनके एक्सपर्ट्स ने कहा कि यह जमीन ठीक है तो हमारे लिये कोई रास्ता नहीं था सिवा इसके कि उनकी मदद करते उसके एक्वायर करने में।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---जब गवर्नमेंट आफ इंडिया के एक्सपर्ट्स आये तो क्या उत्तर प्रदेश के एक्सपर्ट्स से उनकी बातचीत हुई थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, बातचीत हुई थी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात की जानकारी है कि यह जो इंस्टीट्यूट है इसमें कोई इतने टेक्निकल एक्सपर्ट्स की जरूरत नहीं है ? कोई ब्रिज या पुल नहीं बन रहा है। तो कानपुर शहर के दक्षिण तरफ काफी जमीन है और एक आदमी की जमीन है और बड़े आदमी की जमीन है। तो इस इंस्टीट्यूट को वहां क्यों नहीं खोला जाता जब कि यहां खोलने में सैकड़ों आदमी बरबाद हो रहे हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुये सरकार गवर्नमेंट आफ इंडिया को लिखेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जितना माननीय सदस्य समझते हैं उससे ज्यादा हम लिख-पढ़ चुके हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि रामनारायण गर्ग, सचेंडी जिसके बारे में जिले के अधिकारियों ने भी लिखा है और अपना प्रोपोजल रखा था कि इस जमीन के लेने में किसी प्रकार की दिक्कत दोनों इंस्टीट्यूट के कायम करने में नहीं पड़ेगी, तो सरकारी अधिकारियों की राय देखते हुए तथा किसानों की दिक्कत देखते हुए क्या प्रान्तीय सरकार यह उचित समझेगी कि केन्द्रीय सरकार को यह लिखेगी कि यह स्थान बदल दिया जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं इस खास जमीन की बाबत नहीं जानता कि कौन सा स्थान है, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि जितनी जमीनों के बारे में जिले के अधिकारियों ने सुझाव दिया हर जमीन की बाबत लिखा जा चुका है, फिर भी अगर कोई ऐसी बात होगी जिसके बारे में अधिकारियों ने रिकमेंड किया होगा और नहीं लिखा गया होगा तो जरूर लिख दिया जायगा।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूट के लिये किन किन ग्रामों की जमीन ली जा रही है ?

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य ने जो नोटिस दिया है नियम ५२ के अन्तर्गत यह तो उसमें दिया हुआ है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी गवर्नमेंट आफ इंडिया के उन एक्सपर्ट्स के शुभ नाम और डेजिगनेशन बताने की कृपा करेंगे जिन्होंने रिपोर्ट दी है ?

श्री उपाध्यक्ष---यह प्रश्न इससे उठता नहीं है।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि इन कुल गांवों की कितनी जमीन ली जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---टोटल तो मैंने बतलाया कि एक हजार कुछ एकड़ है इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी के लिये और पांच सौ कुछ एकड़ है शुगर इंस्टीट्यूट के लिये ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस जमीन के लिये जाने से कितने किसान प्रभावित हो रहे हैं और राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस बात के लिये लिखा है कि उन्हें इंस्टीट्यूट में केवल नौकरी ही न देकर कुछ जमीन भी दी जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---केन्द्रीय सरकार से कहने की बात नहीं है, लेकिन प्रदेशीय सरकार खुद इस बात की कोशिश कर रही है कि उनको जमीन दी जाय। एक भौंती क्षेत्र है जिसमें पचास प्रतिशत जमीन पर खेती नहीं हो रही है। कोशिश की जा रही है प्रदेशीय सरकार की तरफ से कि वहां पर जमीन दे दी जाय ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बात का ध्यान रखते हुये कि कुछ खड़ी फसल काटी जा चुकी है और कुछ काटने का प्रयत्न किया जा रहा है, तो कटी हुई फसल का मुआविजा देने का भी प्रयत्न किया जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैंने निवेदन किया कि चार-पांच एकड़ काटी गई थी । उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जाकर रोक दिया।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो खड़ी फसल काटी गई है, किसके आदेश से काटी गई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जिसके कब्जे में है, यानी गवर्नमेंट आफ इंडिया के आदेश से।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचना

श्री उपाध्यक्ष---नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय उग्रसेन जी ने यह नोटिस भेजा है:--

> "गत ५ दिनों से देवरिया-गोरखपुर जनपदों में भीषण पछुवा हवा का झोंका चल रहा है। फलस्वरूप हजारों एकड़ की रबी की फसलें जैसे गेहूं, जौ तथा मटर बिलकुल सूख गईं। इससे किसानों में हाहाकार मचा हुआ है।"

यह माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि सूखा या इस किस्म की प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में माल विभाग के नियम बने हुए हैं और जब क्षति पहुंचती है तो जिलाधीश सरकार को रिपोर्ट देता है। अगर माननीय सदस्यों को उसमें कुछ शिकायत हो तो उस सम्बन्ध में वे उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं यह चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसमें जांच कर लें कि आया यह स्थिति ठीक है या नहीं और इस सदन को सूचना दे दें।

श्री उपाध्यक्ष---(श्री चरणसिंह से) माननीय मंत्री जी, आपको कुछ कहना है ?

राजस्व मंत्री (श्री चरणसिंह)—श्रीमन्, इतना जरूर कहना चाहता हूं जैसा कि आप ने फरमाया रेवेन्यू मैनुअल बना हुआ है और उसमें स्टैंडिंग आर्डर्स हैं। अगर फसल को नुक्सान होता है तो वहां के अधिकारी स्वयं कार्यवाही करेंगे मैं जांच कराना बिल्कुल जरूरी नहीं समझता और न कराऊंगा। मेरे ऊपर असर यह पड़ता है कि आगे के लिये पेशबन्दी की जा रही है।

श्री उग्रसेन—पेशबन्दी नहीं की जा रही है...

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपया बैठिए।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस तरह से माननीय मंत्री जी आक्षेप करते हैं।

श्री चरणसिंह—आक्षेप नहीं, निहायत नेकनीयती के साथ कहा गया।

श्री राजनारायण—पेशबन्दी की जा रही है, ऐसा नहीं कहना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य के लिये व्यक्तिगतरूप से यह शब्द ठीक नहीं हैं लेकिन अगर पोलिटिकल पार्टीज के लिये कहे जायं तो कोई बात नहीं है।

शनिवार को प्रश्न लिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं कि आज शनिवार है और शनिवार को पहले प्रश्न नहीं लिये जाते थे, लेकिन आज प्रश्न लिये गये हैं, तो जब वह लिये गये तो यह प्रस्ताव तो पहले से पास हो चुका था कि शनिवार को असेम्बली होगी तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी दशा में और प्रश्न क्यों नहीं लिये गये ?

श्री उपाध्यक्ष—इसलिये कि नियमों में अब व्यवस्था हो गई है कि ५ दिन के अन्दर अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों का उत्तर मिल जाना चाहिये, इसलिये माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये आज केवल अल्पसूचित तारांकित प्रश्न रख दिये गये थे और साधारण प्रश्नों की व्यवस्था नहीं की गई है।

१९५९-६० के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद—(क्रमागत) †

*श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, जब हम इस बजट पर विचार करने के लिये खड़े हुये हैं तो हमारे दिमाग में ६ प्रमुख बातें हैं जिन की कसौटी पर ही हम इस बजट को आंकने की कोशिश करेंगे। आज संसार में २ प्रकार की व्यवस्थाओं की टक्कर हो रही है—एक पूंजीवादी और दूसरी समाजवादी। एक व्यवस्था उत्पादन के मुख्य साधनों पर समाज के स्वामित्व की हामी है और दूसरी अब तक की चली आई परिपाटी के अनुसार उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व की हामी है। उन दोनों के बीच हमारा सूबा एक क्रास-रोड पर या एक चौराहे पर खड़ा है, हमें इन दो व्यवस्थाओं में से एक को चुनना है। हमारे यहां समाजवादी व्यवस्था एक छोटे से टापू की तरह विकसित होना आरम्भ हुई और आज उसने संसार के आधे हिस्से पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। आज विश्व राजनीति के सामने एक प्रश्न है कि दोनों व्यवस्थायें शान्तिपूर्ण रहकर, कोएग्जिस्टेंस के आधार पर और प्रतियोगिता के आधार पर अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करें अथवा आपस में टकरा कर समस्त मनुष्य जाति के सामने विनाश का भयंकर दृश्य उपस्थित करें।

---

†२० फरवरी, १९५९ की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री झारखंडेराय]

हमारे देश को भी इन दो रास्तों में से एक को चुनना है। हम अपने इस बजट को समाजवादी व्यवस्था की कसौटी पर ही कसेंगे क्योंकि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने इस बार एक कदम आगे बढ़ा कर इस बात का दावा किया है कि उनकी सरकार समाजवादी सरकार है। यह काफी बड़ा और साफ कदम है और इस कारण हमारे लिये आसान हो गया है कि हम एक ही कसौटी पर इस बजट के प्रमुख अंगों को कसने की कोशिश करेंगे। दूसरे इसलिये हमारा मार्ग और भी आसान हो गया है कि जो प्रस्ताव नागपुर में कांग्रेस पार्टी ने पास किया है वह साफ है। इसके अतिरिक्त वह और भी आसान हो गया है कि अवाड़ी कांग्रेस ने भी अपना लक्ष्य समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना घोषित किया है। अन्य वामपक्षी दलों ने भी इस देश में उस लक्ष्य को स्वीकार किया है और कांग्रेस की स्वीकृति के बाद मैं बिना किसी संकोच के कह सकता हूं कि अब वह हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य हो चुका है।

हमारा पिछला वर्ष आन्दोलनों का वर्ष रहा है इसको हम भुला नहीं सकते। ४ आन्दोलन छात्रों के चले, आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों का, होम्योपैथिक कालेज के छात्रों का, यूनियन के छात्रों का और गवर्नमेंट टेक्निकल इन्सटीट्यूट के छात्रों का आन्दोलन चला। पिछले वर्ष में हमारे प्रदेश ने सब से बड़े आन्दोलनों को देखा, खाद्यान्न का आन्दोलन इतना बड़ा आन्दोलन था कि किसी ने इस सूबे के इतिहास में इतना बड़ा आन्दोलन नहीं देखा, दस हजार आदमियों के लगभग केवल एक मास में जेलखाने भेजे गये। हमारे यहां की राजनीति के इतिहास में भी ऐसा उदाहरण नहीं है। १९३१-३२ के आन्दोलन में तो क्या सन् १९४२ तक के आन्दोलन में किसी भी साल के अन्दर ९,००० से ज्यादा आदमी जेल नहीं भेजे गये। आखिर में हमारे सूबे ने काफी अच्छी तरह से आन्दोलन की एक झांकी देखी। जब हम इस पर विचार कर रहे हैं तो हम इसको भूल नहीं सकते कि लोक सभा में और राज्य सभा में सिविल वार की धमकियां, गृह युद्ध की धमकियां दी जा रही हैं। इस बात को नहीं भूल सकते कि हमारा प्रदेश खाद्य संकट और महंगाई के बीच से गुजर रहा है और नागपुर के कांग्रेस ने जो कोआपरेटिव और सीलिंग के बारे में प्रस्ताव पास किया है उसने सारे देश में एक विचार पैदा कर दिया है और हमें यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि सभी पार्टियों के लोग गम्भीरतापूर्वक आज इस पर विचार कर रहे हैं और विचार करना चाहिये। अब तक अनेक पार्टियों ने, अन्य नेताओं ने प्रस्ताव पास किये, उनके नारे भी थे, लेकिन वे सब विरोधी पार्टियां हैं। जब सरकारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अपने अखिल भारतीय अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास करती है तो उसका विशेष महत्व है, क्योंकि उससे आशा की जाती है कि वह उसे अमल में लायेगी और उसके पक्ष विपक्ष में आवाजें उठने लगती हैं।

आज राजगोपालाचारी, संथानम, रंगा, मुंशी, चौधरी, आचार्य, देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारी-भारी व्यक्तित्व इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। शासक पार्टी जिसने प्रस्ताव पास किया उसके अन्दर इस विषय पर गहरा मतभेद है और अफसोस इस बात का है कि अनुशासनहीन तरीके से उसके खिलाफ स्पष्ट रूप से अपने विचार प्रकट किये जा रहे हैं। यह गम्भीर बात है, यह शासक पार्टी के लिये गम्भीर बात है, नेताओं के लिये गम्भीर बात है कि उनकी पार्टी जब तक समाजवाद के नारे को नारे के रूप में जपती थी तब तक तो कोई बात नहीं, सब एक स्वर बोलते थे, बिड़ला भी समाजवादी बन गये। उनके मुख्य पत्र ने समाजवाद के नारे का स्वागत किया, लेकिन जब समाजवाद की ओर एक छोटा सा कदम बढ़ाने का प्रस्ताव पास हुआ तो शासक पार्टी दो खंड होकर आज पड़ी हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बीच में कुछ छोटे छोटे अच्छे काम भी हुये हैं उनका भी जिक्र मैं करूंगा। इन सब बातों की रोशनी में हमें इस बजट को देखना होगा कि सरकार की पूरी अप्रोच समस्याओं के प्रति, उनके समाधान के प्रति कौन सी है। समाजवादी है या पूंजीवादी। छोटी और बड़ी बातों में हम इस बात को देखेंगे और उसी से हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि सरकार समाजवादी है या पूंजीवादी। विकास को ढकने के लिये उसने अपने कुछ नारे गढ़

रखे हैं जिससे लोग भ्रम में पड़ जायं। जब समाजवाद के इसके लक्ष्य के बारे में तथा समाजवादी सरकार होने के बारे में मैं सोचता हूं तो पहला विचार यह मुझे आता है कि क्या इस सरकार ने पिछले १२ वर्षों की हुकूमत में प्राईवेट प्रापर्टी, व्यक्तिगत सम्पत्ति की समाप्ति की ओर कौन सा कदम उठाया और कितना जोर दिया गया तो मुझे मेरे दिमाग में जवाब मिलता है कि एक कदम नहीं। जब मैं सोचता हूं कि खैर समाप्ति की तरफ नहीं तो उसको सीमित करने में, उस को कर्ब करने में, लेसिन करने में कितनी आगे बढ़ी है तो मुझे जवाब मिलता है कि एक कदम नहीं। जब मैं सोचता हूं कि कोई बात नहीं, पब्लिक सेक्टर की स्थापना में यह सरकार कितनी आगे बढ़ी है, ताकि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों साफ-साफ अस्तित्व के आधार पर एक-दूसरे से प्रतियोगिता और प्रतिद्वन्द्विता कर सकें और हम और जनता इस बात को देख सकें कि दोनों में कौन श्रेष्ठतर है या कौन सा पिछड़ा सिस्टम है और कौन सा तरीका हमारे देश और प्रदेश के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, तो मुझ मेरे दिमाग में जवाब मिलता है कि एक कदम नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी सदन में ७ वर्ष से हैं और मैं भी हूं, ले दे कर वही कहानी गायी जाती है—एक सीमेंट फैक्ट्री और एक प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री। दो की चर्चा हर बजट में की जाती है। तो इन मूल आधारों के ऊपर जब हम कसते हैं तो हमको लगता है कि सरकार की पार्टी के द्वारा या तो समाजवाद के बारे में बिल्कुल एक जाल बट्टा है या समाजवाद को वे समझते ही नहीं हैं। ऐसे भाषण यहां हुये हैं कि मुझे सुन कर बड़ी हैरत हुई। मुझे अफसोस है कि आज मुख्य मन्त्री जी यहां नहीं हैं। मैं तो बहुत गम्भीर रूप से कहूंगा, कि जिस पार्टी के माननीय मेम्बरों को समाजवाद की परिभाषा नहीं मालूम, समाजवाद की बुनियादी बात का पता नहीं वे समाजवाद बनाये हुये हैं और आज इस बात की स्पर्धा हो रही है कि कौन समाजवादी है। एक सज्जन ने यहीं कहा था कि जमींदारी खत्म कर दी गयी यह समाजवाद की ओर कदम है। थोड़े से भूमि सुधार के कामों को समाजवाद के नाम से कहना यह कम से कम ज्ञान का परिचायक नहीं है।

अब मैं आप के सामने, उपाध्यक्ष महोदय, अपने प्रदेश के सब से बड़े संकट, खाद्यान्न के विषय में कुछ कहूंगा। खाद्य संकट गहरा होता जा रहा है। पिछले वर्षों में हमारे प्रदेश में खाद्यान्न का उत्पादन घटा है। सन् १९५५–५६ में जहां गेहूं की पैदावार ३,०४१ हजार टन थी वहां सन् ५६–५७ में ३,११५ हजार टन और ५७–५८ में २,७०६ हजार टन रह गयी। इसी प्रकार चावल की पैदावार सन् ५५–५६ में २,५४७ हजार टन थी, सन् ५६–५७ में २,२८० हजार टन और सन् ५७–५८ में २,२९४ हजार टन थी। कुल खाद्यान्न की पैदावार अगर हम देखें तो सन् ५५–५६ में १०,४३६, सन् ५६–५७ में १०,७१३ और सन् ५७–५८ में ९,८८७ हजार टन रह गयी। सन् ५८–५९ के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन प्रदेश में महंगाई को देखते हुये और इस बात को देखते हुये कि गल्ला गरीब जनता को मिल नहीं रहा है इसका एक कारण यह भी है कि गल्ला चोरों ने गल्ले को अपने हाथ में किया हुआ है और उससे मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन सरकार की नीतियां भी उसके लिये जिम्मेदार हैं। सरकारी उपायों से खाद्यान्न का उत्पादन बजाय बढ़ने के घटा है। प्रथम योजना के समय नारा दिया गया था कि हमारा प्रदेश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो जायगा, लेकिन वह नारा पूरा नहीं हुआ। द्वितीय योजना में इंडस्ट्री और पब्लिक सेक्टर पर जोर दिया गया लेकिन बाद में खाद्यान्न पर जोर दिया जाने लगा। दो योजनाओं के बाद भी हमारे प्रदेश का खाद्य संकट दूर नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, नागपुर प्रस्ताव के बाद हमें बड़ी आशा थी कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण में उसका कुछ जिक्र होगा, उसकी कुछ रूपरेखा दी जायगी, उसकी कुछ स्पष्ट घोषणा की जायगी। लेकिन यह भी नहीं मालूम हुआ कि सरकार नागपुर प्रस्ताव को लागू भी करने जा रही है या नहीं वरना सीलिंग के लिये कोई कदम उठाया होता, उसके लिये एक अलग तैयारी की गयी होती। वह कुछ नहीं किया गया। जमीनें गलत तरीके से हस्तांतरित होने से रोकने के लिये भी कोई आर्डिनेंस नहीं निकाला गया। क्यों नहीं इसको पहले से रोका जा सका? इस बात की जांच होनी चाहिये थी कि पिछले ५ वर्षों से कितने गलत काम हुए।

[श्री झारखंडेराय]

उस पर कब्जा करके सरकार सीलिंग को फिक्स करती, लेकिन इस ओर कोई चेष्टा नहीं की गई। मुझे शक होता है कि यू०पी० की सरकार नागपुर सेशन के प्रस्ताव के प्रति गम्भीर भी है या नहीं।

राजकीय व्यापार और सहकारिता के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। इसका परिणाम आज हमारे सामने है। यहां पर उसकी चर्चा हो चुकी है। उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। गल्ले के दाम काफी बढ़ गये हैं। सहकारी खेती के बारे में कोई कदम नहीं उठ रहा है। सरकार इसको चाहती भी है या नहीं, इसमें भी संदेह है। सरकार के अन्दर इसके घोरतम विरोधी मौजूद हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि सरकार नागपुर सेशन के प्रस्ताव के या अन्दर के विरोधियों के रास्ते में से किस को अपनायेगी, इसे सोचना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता खेती के सिलसिले में और भूमि वितरण के बारे में देश में चर्चा छिड़ी हुई है। सचमुच अगर सरकार ने और उसकी पार्टी ने इसको स्वीकार किया है कि सीलिंग आफ लैन्ड होनी चाहिये तो गम्भीरता के साथ आगे बढ़ना होगा। यह प्रस्ताव खुद इस बात का साक्षी है कि सरकार की कृषि नीति और खाद्य नीति असफल हो चुकी है। यह प्रस्ताव की मान्यता है और इसको स्वीकार करके अच्छी दिशा की ओर कदम बढ़ाया गया है। हम स्वीकार करते हैं कि यह एक अच्छी चीज है। अच्छी चीज को हम अच्छी कहेंगे चाहे वह किसी की चीज हो, लेकिन आपका कदम नहीं बढ़ रहा है या हिचकिचाहट के साथ बढ़ रहा है। इसके विरोध में जो तूफान देश में खड़ा हो रहा है उसके सामने सरकार झुकेगी, आत्म समर्पण करेगी और कोई रास्ता नहीं रह जायगा।

महात्मा जी के विचार कोआपरेटिव फार्मिग के बारे में पेश करना चाहता हूं। महात्मा जी ने फरवरी, १९४२ के हरिजन में लिखा था कि--

"I firmly believe, too, that we should not derive the benefits of agriculture until we take to co-operative farming. Does it not stand to reason that it is far better for a 100 families in a village to cultivate their lands collectively and to divide the income therefrom than to divide the land anyhow into a hundred portions ?"

महात्मा जी ने आज से १६ वर्ष पहले अपने विचार प्रकट किये थे उसी बात को आज नागपुर अधिवेशन में दुहराया गया है और अमल में लाये जाने की घोषणा की गई है। उसके खिलाफ आवाज उठ रही है। अभी अभी हमारे राज्यपाल महोदय ने मदरास में कल इस बात को व्यक्त किया है कि इसके खिलाफ इतने हयू एंड क्राई की क्या बात है ? यदि सहकारिता के साथ खेती शुरू करते हैं तो दोनों व्यवस्थाओं को चलने दीजिये और फिर देखिये कि कौन सी व्यवस्था ठीक है। यह बात इस प्रयोग से सिद्ध हो जायगी। सोवियट यूनियन या चीन में यह श्रेष्ठ साबित हो चुकी है। दुनिया के इतने बड़े पैमाने पर यह श्रेष्ठ सिद्ध हो चुकी है और मुझे आशा है कि हमारे देश में भी यह श्रेष्ठ सिद्ध होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि हमारे साथ श्री वेरूपाक्ष अंगीदी जो राजनीति बंदी रह चुके हैं वह मैसूर स्टेट के स्पेशल आफिसर आफ कोआपरेटिव फार्मिग हैं। वह मामूली पढ़े लिखे हैं लेकिन कोआपरेटिव फार्मों में सफलता दिखा कर उन्होंने मैसूर स्टेट को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। इसीलिये मामूली पढ़े लिखे होने पर भी उनको इतने ऊंचे स्थान पर रखा गया है। हमारे उन साथी ने बताया कि शुरू में उनको दिक्कतें हुई लेकिन बाद में उनके फार्म ने इतनी सफलता प्राप्त की कि और भी छोटे छोटे फार्म उस तरफ बनने शुरू हो गये हैं। राजाओं की हमारी इस सहयोगी खेती के खिलाफ आवाज उठ रही है। सामन्तीवर्ग अपनी आवाज बुलन्द कर रहा है, वह चाहे इधर बैठा हो, चाहे उधर बैठा हो। उनके तर्क परस्पर विरोधी हैं। स्वयं उनके पास बड़े बड़े फार्म हैं चाहे वह निजी ही सही, लेकिन बड़े बड़े खेत हैं, मेड़ें उनकी लम्बी लम्बी हैं। क्यों करते हैं ऐसे खेती वह फिर ? क्यों इतने बड़े बड़े फार्म रखे हुये हैं अगर उसमें पैदावार घटती ही है ? उसको फिर बांट दें। बढ़ जायगी, यह तो और

भी अच्छी बात है। हमको लगता है कि इस कोआपरेटिव के नाम पर सीलिंग के सवाल को बाई पास किया जा रहा है और यह एक षडयंत्र सा मालूम पड़ता है इतना तूफान खड़ा होना मुल्क के अन्दर कि जो असली सवाल है वह बाई पास हो जाय और फिर कोआपरेटिव खेती भी न होने पाये। इस बात को नहीं भूलना चाहिये उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे प्रदेश और देश में जो कोआपरेटिव बनाये गये हैं वह पूंजीवादी शोषण व्यवस्था या अर्द्ध सामन्तवादी व्यवस्था के अन्दर बनाये गये हैं। उसमें प्राइवेट प्राफिट की, मुनाफाखोरी की, संचय की प्रवृत्ति काम कर रही है। फिर कैसे हो सकता है? एक घर हो और पचासों डाकू बन्दूकें लेकर खड़े हों तो वह घर कब तक सुरक्षित रह सकता है। इसलये सहयोगी खेती और सीलिंग का नारा वर्ग संघर्ष का नारा है। हम तो चाहते हैं कि आज पूरा देश दो टुकड़ों में बंटा हुआ है इस एक मुद्दे के ऊपर, उसके पक्ष में और विपक्ष में पार्टियों के अन्दर मतभेद है। अपवाद भी इसका है। मैं कह सकता हूं कि कम्यूनिस्ट पार्टी में इस पर कोई मतभेद नहीं है न स्टेट ट्रेडिंग के बारे में न सीलिंग के बारे में। लेकिन हम चाहते हैं कि कोआपरेटिव खेती के नाम पर सीलिंग को बाई पास न किया जाय। पहले सीलिंग लगायी जाय। उसके बाद जो जमीन बचे वह बांट दी जाय खेत मजदूरों और गरीब किसानों के अन्दर। अभी एक इधर बैठने वाले नेता ने इंसेंटिव, मोह, ममता, स्वार्थ भावना की बात कही है। बहुत ऊंचे दार्शनिक स्तर पर उठ गये। मैं कहना चाहता हूं कि उन करोड़ों मानवों की बात तो सोचें जरा जिन्हें सम्पूर्ण जीवन में अभी अपना कहने के लिये कुछ नहीं रहा है, जिनके पास एक बित्ता जमीन सही माने में अपनी कहने के लिये नहीं है, सदियों नहीं सहस्राब्दियों से जिनकी वंशपरम्परागत यह भावना रही है कि किसी तरह हमारे पास एक बीघा जमीन होती। उनको कहां से इंसेंटिव पैदा होगा, उनके अन्दर कहां से जोश पैदा होगा, कहां से ममता पैदा होगी, उनके अन्दर वह सही माने में स्वार्थ की भावना कहां से पैदा होगी? जब भौतिक स्थिति नहीं है तो मोह ममता आदि आसमान में थोड़े ही पैदा होती हैं। पहले वस्तुस्थिति को देखकर भावनायें पैदा होती हैं। वस्तुस्थिति में परिवर्तन होता है तो भावनाओं में भी तब्दीली होती है।

आज एक बड़े भूस्वामी को मोह है, एक पचास बीघे के पश्चिम के काश्तकार को अपनी जमीन का मोह है। लेकिन जो भूखा गरीब खेतिहर मजदूर है उसके अन्दर किसका मोह पैदा होगा? कहां से ममता पैदा होगी? आज जरूरत इस बात की है कि जमीन पहले उनको बांटी जाय। फिर सहयोगी खेती होनी चाहिये। सहयोगी खेती जबर्दस्ती नहीं करनी है। हमें किसी की नकल नहीं करनी है। रूस और चीन की बात खेत देखने क लिये कोई कह सकता है। लेकिन यह रूस और चीन नहीं है। यह हिन्दुस्तान है। हमें अपने यहां समाजवाद को अपने तरीके से लागू करना होगा। हम सब देशों की क्रांतियों से, सब देशों के समाजवाद के निर्माण पथ से और उनके अनुभवों से सबक लें, लेकिन उनकी नकल नहीं कर, नकल कोई कर भी नहीं सकता है। चाहें भी आप तो भी नहीं कर सकते हैं। हिन्दुस्तान हमारा इतना बड़ा देश है, इतना प्राचीन, इतने भाषा भाषियों का देश है, किसी भी देश की नकल यहां हो नहीं सकती है और करना भी नहीं चाहिये। यह राष्ट्रीय गौरव के भी विरुद्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास आंकड़े बहुत हैं, लेकिन समय तो कम होगा। मैं नागपुर की एक कोआपरेटिव खेती का जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं। अकोला जिले के केलविली नामक ग्राम में १२ किसान परिवारों ने गत वर्ष फरवरी माह में कोआपरेटिव फार्मिंग द्वारा अपना कृषि उत्पादन ५० प्रतिशत के लगभग बढ़ा लिया है। इस बात को स्वीकार करते हैं कि एक वर्ष के भीतर उनका वार्षिक उत्पादन ६ हजार से ९ हजार रुपये तक बढ़ गया। क्या हम उतना उत्पादन नहीं कर सकते? पं० जवाहर लाल ने इस बात को स्वीकार किया है कि बड़े बड़े तरीकों से खेती होगी, जब खेतिहर मजदूरों और दूसरे मजदूरों में भूमि का वितरण होगा तो उसकी पैदावार कैसे नहीं बढ़ेगी? जब हम नये नये उपकरण इस्तेमाल करेंगे, अच्छा बीज प्रयोग में लायेंगे, और अच्छे खाद का इस्तेमाल करेंगे और जब मेड़ टूट जायंगी, मेड़ों पर से आने जाने में जो बरबादी होती है वह बच जायगी, खेत कटेंगे नहीं, कटाई चराई नहीं होगी तो अवश्य उत्पादन बढ़ेगा। सहकारी खेती के द्वारा तब कैसे उत्पादन अधिक नहीं होगा।

[श्री झारखंडेराय]

इसके बारे में एक विरोधी पक्ष के सज्जन ने बहुत आंकड़े रूस और चीन के यहां प्रस्तुत किये। रूस की समाजवादी व्यवस्था की श्रेष्ठता को साबित करने के लिये मैं केवल दो बातें आपके सामने कहना चाहता हूं। वहां पर जो औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है उसमें मैं १९४० और १९५० का ही आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। उसमें १९४० में अगर १०० था तो वह १९५० में आकर १७३ हो गया। १९५५ में वह ३२० हुआ और सन् १९६० में वह ५३० हो जायगा। यह है समाजवादी व्यवस्था की श्रेष्ठता जिसके कारण वहां पर इस प्रकार से उत्पादन बढ़ता चला जा रहा है। यह उनका ६ ठा पंचसाला प्रोग्राम था। मैं वहां के अनाज के विषय में भी उत्पादन जो हुआ है उसको बतलाना चाहता हूं। गेहूं का उत्पादन जहां १९५० में १०० था उससे बढ़कर १९६० में २१७ हो जायगा। मेज़ का जहां ५० में १०० था वहां १९६० में १८८ हो जायगा। सनफलावर जहां ५० में १०० था वह ६० में २२० हो जायगा। शूगर ५० में १०० था तो वह ६० में १५६ हो जायगा। रा काटन ५० में १०० थी तो वह ६० में १२४ हो जायगी और फलेक्स ५० में १०० थी तो वह ६० में २०४ हो जायगी। मैं समझता हूं इस बात को साबित करने के लिये यह पर्याप्त होगा कि सहयोगी खेती से कतना उत्पादन बढ़ता है। रूस में समाजवादी व्यवस्था के कारण उत्पादन ज़ार के ज़माने से बहुत बढ़ा है। आज संसार के सामने यह प्रश्न है कि कौन देश शक्तिमान है।

चीन का यहां चर्चा किया गया और उस देश का विषय भी बड़ा विवादग्रस्त यहां पर रहा। यहां से जो डेलिगेशन चीन अग्रेरियन रिफार्म के बारे में वहां की स्टडी करने के लिये गया था उसने जो उद्गार प्रकट किये हैं उसको मैं थोड़ा यहां रख देना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि :

"In December, 1951, when the Central Committee of the Communist Party of China took the decision for trying out co-operation in production, there were over 300 agricultural producers co-operatives in the country. Two years later, that is in December, 1953, the number of such co-operatives had exceeded 14,000. In 1954 their number rose to 1,00,000. By June 1955, the number of co-operatives increased to 6,50,000."

उस देश में जो हमको दिखाई पड़ता है उससे यह सिद्ध होता है कि उन्होंने अपने यहां उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि की है। आगे वह डेलिगेशन कहता है कि:

"The phenomenal success achieved by the Chinese in the formation of agrarian co-operatives has astonished all, both inside China and outside it. To a visiting team from India, such as ours, who are used to individual cultivation, the Chinese success appeared no less than a miracle."

एक सज्जन ने यह कहा था कि चीन में पर एकड़ ईल्ड भी कम हुई। यह भी गलत है। खुद उसी डेलिगेशन की रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि वहां पर फूड क्राप्स की पैदावार सन् १९४९ में ९४९.० थी। वह १९५२ में १२२६.८ हुई और १९५५ में १३१७.८ तक बढ़ गई और पैडी, धान के बारे में जबकि १९४९ में १६८८.६ था तो १९५२ में २१५१.७ हुआ और १९५५ में २३८६.६ हुआ। इस प्रकार से व्हीट में १९४९ में ५७२.९ था। १९५२ में ६३२.५ हुआ और १९५५ में ७६६.३ हो गया। काटन में १९४९ में १४४.६ था, १९५२ में २०८.८ और १९५५ में २३४.०० हो गया। यह उपाध्यक्ष महोदय, पर एकड़ ईल्ड है। तो उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारा देश एक क्रास रोड पर खड़ा है और हमारे देश के लिये, हमारे प्रदेश के लिये, राष्ट्र हित के लिये हमें चुना है कि कौन सा रास्ता हमारे लिये श्रेयस्कर और दो पथों में से किस पथ पर हम बढ़ेंगे। हमें किसी की नकल नहीं करना है लेकिन हमें एक के साथ जाना होगा और अपने देश के लिये और अपने विकास के लिये।

उपाध्यक्ष महोदय, स्टेट ट्रेडिंग के बारे में चर्चा चल रही है। स्टेट ट्रेडिंग होनी चाहिये। स्टेट ट्रेडिंग के बगैर मुट्ठी भर मुनाफाखोरों के हाथ में समाज की जिन्दगी नहीं छोड़ी जा सकती। और मैं तो कहना चाहूंगा कि सरकार इसमें सख्ती का रुख अख्तियार करे। हमें याद है और सब को याद होगा कि हमारे पंडित नेहरू ने पहले, जेल से छूटने के बाद, कहा था—सम्भव है कि उनके मानस पृष्ठभूमि में उस समय बंगाल का अकाल रहा हो–कि नियरेस्ट एलेक्ट्रिक पोल से ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिये, काश आज एक भी ऐसी फांसी हो गई होती पार्लियामेन्ट के सामने, काउन्सिल भवन के सामने तो बहुत कुछ हो जाता। इसमें डेमोक्रेसी बाधक नहीं है। बाबू सम्पूर्णानन्द जी के हाथ में पावर है, पंडित जी के हाथ में पावर है, यह वह कर सकते हैं, कानून बदल सकते हैं। कोई कानून चिरस्थायी नहीं है जो विकास में बाधक बन जाय। संविधान की धारायें बदल सकती हैं, हमने उसको बदला भी है लेकिन अगर कोई कानून की धारायें हमारे विकास में बाधक होंगी, स्टैबलिंग ब्लाक होंगी तो वह रह नहीं सकतीं और जनता उनको बदलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जगजीवन राम जी ने अभी-अभी कासगंज में बहुत से मानपत्रों का जवाब देते हुये अपने भाव प्रकट किये कि चोरबाजारी करने वालों को जो लोग इस प्रकार के अनैतिक कार्यों से जनता को तड़पा-तड़पा कर मारना चाहते हैं उन्हें यदि मृत्यु दंड भी दिया जाय तो वह ज्यादा नहीं है। काश जगजीवन राम जी इस प्रश्न को एक प्रेस्टिज ईश्यू बनाकर कैबिनेट में इसके ऊपर असर्ट करते तो मैं समझता कि उनमें कुछ ताकत है। उन्होंने आखिर में कहा कि आज समाज, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, दो दलों में विभक्त हो गया है और शोषण करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है जिसको रोकना आज सरकार के लिये जरूरी है। मैं समझता हूं कि इसी दृष्टि से सरकार ने आज व्यापार को अपने हाथ में लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, चाइना के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं। वहां यह भी सिद्ध हुआ है कि जब थोड़े परिवार कोआपरेटिव बनाते हैं तो आमदनी कम होती है लेकिन ज्यों ज्यों परिवारों की संख्या बढ़ती जाती है, उनकी आमदनी भी बढ़ती जाती है। वहां पर जब ४ परिवारों की कोआपरेटिव्ज बनीं तो पैदावार प्रति एकड़ १,३०१ पाउन्ड हुई, जब ५ परिवारों की कोआपरेटिव्ज बनीं तो पैदावार १,३३६ पाउन्ड हुई, जब १४ परिवारों की कोआपरेटिव्ज बनीं तो उत्पादन १,५५४ पाउन्ड हुआ और जब ३६ परिवारों की कोआपरेटिव्ज बनीं तो उत्पादन बढ़कर १,९७६ पाउन्ड हो गया। जो कामन सेंस के मुताबिक है वही हो रहा है। वह वहां भी हुआ है और जहां भी होगा इसी प्रकार होगा। हमारी जनता काहिल नहीं है, वह मेहनत से काम करती है, लेकिन जो हमारा तरीका है वह पिछड़ा हुआ है। जब वे आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत से लोग इसमें बाधा पहुंचाते हैं। चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी दल के लोग हों, चाहे कितने ही बड़े से बड़े लोग ही क्यों न हों हमें उनको रास्ते में से हटाना ही होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, औसत आय के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मौजूदा सरकार के प्रयत्न करने के बाद भी हमारे देश में गरीबी बढ़ रही है। राष्ट्रीय सम्पत्ति बहुत मानों में बढ़ी है, लेकिन जो साधारण जनता है, जो बहुजन लोग हैं, उनको उसका हिस्सा बहुत कम मिला है। यह औसत का गोरखधंधा है। जब उस चीज को हम भीतर से देखते हैं तो कामन मेन का हिस्सा बहुत कम रह जाता है। ज्यादा हिस्सा उन लोगों को मिलता है जो थोड़े हैं, जिनके पास साधन हैं और जिनका असर इस सरकार के ऊपर भी है। मैं तो यह भी कहूंगा कि हमारे देश की औसत आय उतनी भी नहीं है जितना कि हमारे राष्ट्रपति के अस्तबल के एक घोड़े पर खर्च हो रहा है।

राष्ट्रीय योजनाओं पर जो अपरम्पार खर्चा हो रहा है, उस रुपये का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। माननीय पालीवाल जी ने जो २ आना लूट की बात कही वह तो उन्होंने बहुत ही लिबरल शब्दों में कही, लेकिन मैं उसके बारे में कहूंगा कि विकास योजनाओं में जो खर्चा हो रहा है उसमें रुपये में आठ आना काम होता है। हमारी तहसील और क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी नहर बन रही है, यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि वह अभी पूरी नहीं हुई है। मैं

[श्री झारखंडेराय]

अपने निजी अनुभव से जानता हूं कि उसमें लाखों रुपया लूटा गया है। मीनियल स्टाफ ने लूटा, ओवरसियर ने लूटा, ठेकेदार, ईंट के भट्ठे वालों ने लूटा है। लाखों की तादाद में कच्ची और नम्बर दो की ईंटें लगायी गयी हैं जो कि नम्बर एक के नाम पर लगायी गयी हैं। किसी भी हिस्से को तोड़ कर देखा जाय वहां जो मसाला लगा है उसका अगर केमिकल एक्जामिनेशन कराया जाय तो मालूम हो जायगा कि सीमेंट और बालू किस अनुपात में लगा हुआ है। इस काम में विभाग के बड़े-बड़े इंजीनियर शामिल हैं। इस बारे में मैं माननीय चरणसिंह जी को बधाई देता हूं। चाहे उनसे हमारे कितने ही बुनियादी मतभेद क्यों न हों, लेकिन उन्होंने जो सिंचाई विभाग में कदम उठाया है वह प्रशंसनीय है। उनके आने से लोगों में घबराहट पैदा हो गयी है। डाकू ओवरसियर और डाकू इंजीनियर भागे भागे फिर रहे हैं। मुमकिन है मिनिस्टरों तक भी पहुंचे हों। एक बहुत बड़ी संख्या में कोशिश की जा रही है। मैं भी उसका अपवाद नहीं हूं। मेरे पास भी लोग आये और कहा कि गाजीपुर और बलिया में ही यह कदम क्यों उठाया जा रहा है। लेकिन इस प्रकार से थोड़ा बहुत कदम उठाने से भी सुधार होने की आशा रहती है। मैं सरकार से कहूंगा कि वह इन चीजों पर विचार करे। यही वजह है कि माताटीला, सपरार और अर्जुन बांध में खर्चा बढ़ा है। हमारे यहां दोहरी कैनाल में भी अनुमान से ज्यादा रुपया खर्च हो रहा है। यह नहीं कि अनुमान लगाने में इंजीनियर्स कनजरवेटिव हों। एस्टीमेट्स काफी लिबरली बनाये जाते हैं। अपना और अपने साथियों का पेट भरने की गुंजायश उसमें रखी जाती है। तो माननीय सम्पूर्णानन्द जी के रिजीम में विकास और निर्माण के काम हुये हैं, लेकिन चाहे वे दारुलशफा का काम हो, चाहे कोई पुल हो अगर उसको देखा जाय और अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ देखा जाय तो यह साफ मालूम हो जायगा कि कौन भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। किसी माननीय सदस्य ने ठीक ही पी०डब्ल्यू०डी० विभाग के बारे में कहा कि यह प्लन्डरिंग विदआउट डेन्जर है। लेकिन विकास, सिंचाई और विद्युत विभाग ने उनके भी कान काट लिये। वे उनसे भी आगे बढ़े हुए हैं। इसमें जो गोलमाल हुआ है उसकी कोई सीमा नहीं है। मैं कहूंगा कि यह गम्भीर चेतावनी देश के लिये है कि देश का नवनिर्माण ठेकेदार नहीं कर सकते हैं। अगर देश का नवनिर्माण आप ठेकेदारों से कराना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि या तो आप नवनिर्माण को समझते नहीं हैं या उसे कराना नहीं चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, बेकारी बढ़ी, यह गम्भीर बात है। इस बात का दावा किया गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ८० लाख आदमियों को काम दिया जायगा, वह बात पूरी नहीं हुई। दूसरी योजना के चलते-चलते बेरोजगारों की संख्या दुगुनी हो जायगी। योजना के प्रारम्भ में ५३ लाख बेकार थे जो इसकी समाप्ति होते-होते १ करोड़ हो जायेंगे। सन् १९६०-६१ के अन्त में १ करोड़ ५२ लाख अतिरिक्त नौकरियों की आवश्यकता होगी परन्तु ८० लाख नौकरियों की ही व्यवस्था की गयी है यानी इस तरह से कई लाख आदमियों को काम नहीं मिलेगा। यह तो सारे भारत का चित्र है। अब अपने प्रदेश का चित्र बतलाता हूं। सन् १९५५ में ३,२१,९७७ बेकार थे जो सन् १९५६ में ३,३६,४४० हो गये और सन् १९५७ में ३,४३,६६३ हो गये। यह रोजगार दफ्तर से मालूम हुआ है जहां कि सब लोग पहुंच भी नहीं पाते और बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में बेकारी सबसे ज्यादा है। सारे देश में जहां जहां बेकारी है उसमें बंगाल को छोड़कर हमारे प्रदेश में सबसे अधिक बेकारी है।

एक सदस्य--आबादी भी तो सबसे अधिक है।

श्री झारखंडेराय--ठीक है, संतोष के लिये कोई न कोई बात मिलनी चाहिये। अपनी जो कमी हो, खामी हो, अपने रास्ते में जो गड़बड़ी हो, उस पर ध्यान देने के बजाय यह आत्मतुष्टि का अच्छा तरीका है। इसी को आत्मतुष्टि और आत्म प्रवंचना कहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मितव्ययता और फजूलखर्ची का एक जुड़ा हुआ सम्बन्ध है ऊपर से नीचे तक। मैं जानता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी शायद मेरे बाद बोलेंगे। मुझे बड़ी खुशी है, फिर वे कहेंगे कि क्या किया जाय, सरकारी नौकरों की तनख्वाह कैसे कम की जायं वे भारत सरकार के मातहत हैं।

जो सुविधा के लिये उनको अधिकार हैं उसके कुछ नियम बने हुये हैं। मैं जब इस बात को कहता हूं तो मैं भूल नहीं सकता कि माननीय मुख्य मंत्री जी, पंडित जवाहर लाल नेहरू और हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी, सब एक ही पार्टी के हैं। अलग-अलग पार्टीज के कम्बीनेशन नहीं हैं। क्योंकि सारे देश में एक प्रांत को छोड़ कर एक पार्टी की हुकूमत केंद्र में भी है और और प्रांतों में भी है।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति जी को आप क्षमा कर दें तो अच्छा होगा। प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री के लिये ही कहें।

श्री झारखंडेराय---चूंकि एक पार्टी की हुकूमत है इसलिये मैंने उनका भी जिक्र कर दिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि बड़ी-बड़ी तनख्वाहों पर जो ऊंचे-ऊंचे आफिसरान हैं, जो ऊंचे-ऊंचे इंजीनियर्स हैं, और जो अन्य बड़े बड़े अधिकारी सारे प्रदेश में फैले हुए हैं उनके ऊपर भारी भरकम खर्चा होता है। इन बड़ी तनख्वाहों के सम्बन्ध में मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या इसमें कुछ कमी नहीं हो सकती है, क्या समाजवादी लक्ष्य से इसका कोई मेल खाता है? अवाड़ी के प्रस्ताव के बाद और नागपुर कांग्रेस के रेजोल्यूशन के बाद भी अगर आप बड़ी-बड़ी तनख्वाहों पर इन आफिसरों को रखते हैं तो इन नौकरशाही को आप कब तक चुमलाते रहेंगे। ये तो इस तरह से आपको ही चबा जायेंगे। इसी तरह से बड़े-बड़े आफिसरों पर बहुत रुपया खर्च हो रहा है। श्री नम्बूद्रीपाद ने कहा था कि हायर स्केल आफ पे के द्वारा उस देश की व्यवस्था करना जो कि गरीब है कोई मेल नहीं खाता। इसलिये मैं चाहूंगा कि अनावश्यक व्यवस्था पर जो खर्च होता है उस संबंध में आप सोचेंगे। बड़ी बड़ी तनख्वाह वाले अधिकारियों को रख कर के और इतना भारी भरकम खर्चा करके आप समाजवाद की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। गरीब चपरासी, चौकीदार बेचारे जिनकी छोटी-छोटी तनख्वाहें हैं उनके अन्दर हम कैसे विश्वास पैदा कर सकते हैं कि सरकार सचमुच ही उनकी विषमता को दूर करके समानता लाना चाहती है? बरेली के कांग्रेस वालों ने सन् १९५८ में अपने ५००प्रतिनिधियों के सम्मेलन में यह फैसला किया था कि किसी सरकारी कर्मचारी का वेतन १०० रु० से कम और १,००० रु० से ज्यादा नहीं होना चाहिये। अगर आप ५०० नहीं कर सकते तो हायस्ट सीलिंग १,००० कर दीजिये। फिर जो पैसा बचे उसे कम तनख्वाह वालों में बांटिये। जितनों को मिलेगा, मिलेगा न मिलेगा न मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, टाइम तो बहुत कम रह गया है।

श्री उपाध्यक्ष---नहीं-नहीं, आप चाहें तो ५ मिनट और दे सकता हूं।

श्री झारखंडेराय---तो मैं चाहूंगा कि जो करोड़ों का खर्च है, विदेशी दूतावासों पर, अधिकारियों पर, गवर्नरों पर, उन के निवास स्थानों पर उस खर्च को कम करें। यह राष्ट्रीय समस्या है। हमारे प्लान बनेंगे और हम दूसरों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगते फिरेंगे, हम भीख मांगने के पक्ष में नहीं हैं चाहे अमेरिका से हो या रूस से हो। हम अपने पैर पर खड़े हो सकते हैं, हमें चाहिये कि अगर सहायता लेनी ही हो तो बहुत कम लें। चाहे टी०टी०के० जायें या मुरारजी देसाई जायें, भीख मांगने के लिये बाहर जाना किसी का भी उचित नहीं है यह हमारे राष्ट्रीय गौरव के लिये अपमान है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस क्षेत्र में मितव्ययता बरती जाय।

इकानामी कमेटी का जिक्र हुआ। मैंने उसकी रिपोर्ट को देखा है। उसकी सिफारिशें बहुत मामूली थीं लेकिन अमल में नहीं आ रही हैं। तो फिर कमेटी क्यों बनाई जाती है? भत्ता और इतना टी०ए०, डी०ए० क्यों दिया गया? खाली अलमारियों की शोभा के लिये। यही कमेटियों की सिफारिशों का हश्र होगा। तो सोचना पड़ेगा कि कमेटी की रिपोर्ट केवल इसीलिये तो नहीं बनाई जातीं कि लोगों का दिमाग मुख्य समस्या से जरा डाइवर्ट हो जाये। मुझे मालूम है, यहां के जिम्मेदार अधिकारी ने एक बार कहा था कि १५ से २० करोड़ रुपया तक हमारे सूबे में प्रशासन से बच सकता है। मान लीजिये कुछ अतिशयोक्ति हो या गलत अन्दाज हो, लेकिन तो भी बहुत बड़ी रकम बचाई जा सकती है यदि मितव्ययता से काम लिया जाये।

[श्री झारखंडेराय]

उपाध्यक्ष महोदय, सचिवालय के अस्थायी कर्मचारियों की समस्या तो स्थायी हो गई है। उनकी तकलीफें और उनका रोना स्थायी हो चुका है। इस बढ़ती हुई महंगाई में तमाम लोगों की मांग है कि कम से कम उन का २५ फीसदी वेतन बढ़ना चाहिये। लेकिन सरकार ने जो ढाई रु०, पांच रुपया, बढ़ाया है वह उपहास है। और वह भी सरकारी संस्थान जो उद्योग-धंधों के हैं उनपर लागू नहीं है। इस बात की मांग बराबर चलती रही है कि केंद्र और प्रांत का वेतन समान किया जाये। इन चीजों पर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता। क्या यही तय कर लिया गया है कि इन्हें कुचला जायेगा, इन्हें दबाया जायेगा, इन्हें स्वीकार न किया जायेगा? मैं जानता हूं, मुख्य मंत्री जी कहेंगे और पहले भी कई बार कह चुके हैं कि उनकी विवशता है, संवैधानिक कठिनाइयां हैं। हम इसको नहीं मानते। इसलिये नहीं मानते कि एक पार्टी की सरकार है। तो यह कमेटी की सिफारिशें कार्यान्वित क्यों नहीं की जा रही हैं। जहां तक सर्विस कंडक्ट रूल्स का प्रश्न है, मैं तो चाहता हूं कि यह विधान सभा के सामने आने चाहियें, इन की भी स्वीकृति ली जाये तब वह लागू किये जायें। बिना विधान सभा की स्वीकृति के लागू करना कर्मचारियों के जनवादी अधिकारों पर चोट है। इसलिये मैं चाहूंगा कि १,२०० जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनके संबंध में सरकार सोचे। जिस रफ्तार से सरकार चल रही है उस रफ्तार से तो इन कर्मचारियों को स्थायी करने में ३०० वर्ष लग जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, गन्ना आन्दोलन के साथ जो व्यवहार हुआ है और जो इस आदरणीय सदन का अपमान हुआ है, एक प्रदेश की नहीं दो प्रदेश की सरकारों ने एक प्रस्ताव पास किया। क़रीब-क़रीब दस करोड़ जनता की आवाज थी। यह सब प्रतिनिधि हमारे देश की जनता के हैं। केवल मुट्ठी भर जो चीनी मिलों के मालिक हैं उनका मुनाफा कम न हो यह इसलिये किया गया। क्या यह समाजवाद है? समाजवाद हो रहा है लेकिन उल्टी दिशा में। विकास हो रहा है लेकिन पैर पीछे को चल रहा है। इस गन्ने के दाम घटने के कारण प्रदेश के किसानों का २० करोड़ का घाटा हुआ है। अनाज का दाम जब किसान बेचता है तो उसे कम मिलता है लेकिन जब वह खरीदता है तब उसे मंहगा मिलता है। ऐसी हालत में उसे ४० करोड़ का घाटा उठाना पड़ता है। इस तरह से ६० या ६२ करोड़ रुपया प्रदेश के किसानों से निकल जाता है। यह बड़े-बड़े पूंजीपतियों और चीनी मिल मालिकों की जेब में चला जाता है। जो अमृत पत्रिका की ओर से कार्रवाई हुई है वह भी सचमुच दुखजनक है। इसलिये अन्त में कहना चाहूंगा कि बड़े-बड़े समाचार-पत्रों के मालिक हैं वह भी पूंजीवादी नीति अपना रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि यह तमाम बातें समाजवाद की ओर ले जाने वाली नहीं हैं। यह समाजवाद का रास्ता नहीं है। यह विकास का रास्ता नहीं है। हमारे देश के लिये, प्रदेश के लिये, एक ही रास्ता है कि सही माने में समाजवाद की ओर आगे बढ़ा जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---मेम्बर्स अधिक बोलने वाले हैं इसलिये यदि सदस्यों के बोलने के लिये कुछ समय कम कर दिया जाय तो उचित होगा।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय मुख्य मंत्री के भाषण के बाद इस पर विचार किया जा सकता है।

***डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---उपाध्यक्ष महोदय, यों तो इस वाद विवाद में जो बातें कही गई हैं उनका उत्तर अन्त में वित्त मंत्री जी देंगे और यह भी निश्चित है कि इनमें से कई बातें जब विभागीय अनुदानों पर बहस होगी तो उस समय उपस्थित की जायेंगी। इसलिये मेरे लिये न तो यह संभव होगा और न उचित ही होगा कि मैं उन सब बातों की चर्चा करूं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनका संबंध हमारे प्रदेश के हितों से है उन बातों का जिक्र मैं सदन के सामने करूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उदाहरण के लिये एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि इस समय प्रदेश के लाखों या करोड़ों व्यक्तियों को व्यथित कर रहे हैं। उन्होंने एकाध का जिक्र किया, मसलन सीलिंग आन लैन्ड और कोआपरेटिव फार्मिंग। जो भी किसी आदमी के पास जमीन है उसके ऊपर हद बांध दी जाय या न बांधी जाय यह एक महत्व का सवाल है। नागपुर में कांग्रेस ने इसको स्वीकार किया है। इसलिये यह जाहिर बात है कि जहां भी ऐसी सरकारें हों जिनका संचालन कांग्रेस जन के हाथ में हो, वह सरकारें इस नीति को स्वीकार करती हैं। केवल सरकारों की बात नहीं है, मेरा ऐसा ख्याल है कि पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार के विचार देश में फैले हैं, विभिन्न पार्टियों की ओर से ऐसे विचार लोगों के सामने रखे गये हैं, जो अनेक प्रकार के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुये हैं उनका यह नतीजा जरूर हुआ है, साधारण तौर से लोगों के दिमाग इस दिशा में झुके हैं। अधिकांश लोग जो देहात के रहने वाले हैं जिनके पास जमीन है उनमें इस बात का विचार हो गया है कि आज नहीं तो कल, आगे या पीछे कुछ दिनों के अन्दर जो जमीन लोगों के पास रहेगी उसके ऊपर कोई न कोई हद, सीलिंग, लगाना होगी।

हां, एक प्रश्न अवश्य इसके साथ लगा हुआ है जो महत्व का है। माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि नागपुर कांग्रेस में भी इसके संबंध में कोई निर्णय नहीं हुआ है, वह ऐसा प्रश्न है जिसका निर्णय प्रत्येक प्रदेश की सरकार को करना होगा। सीलिंग क्या हो, हद क्या रखी जाय, यह सार्वदेशिक ढंग से सारे भारत के लिये एक नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश की ही बात ले लीजिये। सारे उत्तर प्रदेश में एक-सी सीलिंग नहीं रखी जा सकती। मेरठ या पश्चिमी जिलों में, पूर्वी जिलों में, पहाड़ के जिलों में तथा बुन्देलखंड सब जगह एक सीलिंग नहीं हो सकती। क्योंकि जमीन अलग-अलग किस्म की है। इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। सीलिंग हो, इतना स्पष्ट है। कांग्रेस ने भी प्रस्ताव में लिखा है कि सीलिंग के विषय में इस साल के अन्दर कानून बनना चाहिये और मैं आशा करता हूं कि इस प्रदेश में कानून बनेगा और इस संबंध में सदन के सामने चीज आयेगी। लेकिन अभी सीलिंग क्या हो मैंने विचार नहीं किया है। इस पर हम सब को विचार करना होगा और मैं आशा करता हूं कि हम सीलिंग के संबंध में ऐसा निश्चय कर सकेंगे जो यथाशक्ति न्यायोचित हो। सीलिंग बांधने के बाद जो जमीन बचेगी उसका क्या होगा। उसके संबंध में काफी विचार भी हुआ है और विचार की वजह भी हो सकती है। मसलन एक ख्याल यह हो सकता है कि जिनके पास जमीन नहीं है उनमें बांट दी जाय। लेकिन एक बात निश्चित है कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उन सब लोगों को यदि ऐसी सीलिंग में बांधना है जो न्यायोचित हो तो सब लोगों को जो जमीन वाले हैं, जमीन नहीं मिल सकती है, यह तय बात है।

एक तरीका यह भी हो सकता है कि ऐसी जमीन को व्यक्तियों में न बांटा जाय और कोई सामूहिक खेती का तरीका निकाला जाय, यह भी महत्व और व्योरे का प्रश्न है, इस पर हमको विचार करना होगा प्रदेश के हित को सामने रखते हुये।

इसी तरह से दूसरा प्रश्न है कोआपरेटिव फार्मिंग का, सहयोगी खेती का, कांग्रेस ने इस संबंध में प्रस्ताव पास किया है। अभी कल भाषण करते हुये यदि मैं भूलता नहीं माननीय राजनारायण जी ने यह कहा कि कोआपरेटिव फार्मिंग की स्कीम कांग्रेस के चलाये नहीं चल सकती। इसलिये कि नागपुर से लौटने के बाद कई प्रमुख कांग्रेस जन ने इसके संबंध में संदेह प्रकट किया और कई तरह की राय दीं। मैं कहना चाहता हूं कि कई लोगों ने इसके संबंध में अपनी सम्मतियां प्रकट कीं जो कि कुछ हद तक देखने में कोआपरेटिव फार्मिंग योजना के विरुद्ध प्रतीत होती थीं। यह मेरी समझ में इस बात की बहुत बड़ी गारंटी है कि सहकारी खेती अगर कभी होगी तो कांग्रेस के ही हाथों से होगी।

अभी २,४ दिन हुये, एक पार्टी के एक प्रमुख नेता के बयान या भाषण की चर्चा अखबारों में आई थी। यदि अखबार की रिपोर्ट सही है तो उन्होंने यह कहा था, लड़कों को यह सलाह दी थी, कि यदि तुम्हारा अध्यापक तुमको अंग्रेजी में पढ़ावे तो शोर मचाओ, गुल मचाओ, ऊधम करने लगो और क्लास में इतनी अशांति पैदा कर दो कि अध्यापक के लिये पढ़ाना असंभव हो

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

जाय। कांग्रेस इस प्रकार की इनडिसिप्लिन को तो देश के लिये घातक समझती ही है और ऐसा समझती है कि जो व्यक्ति ऐसी सलाह दे सकता है वह देश के साथ शत्रुता कर सकता है। लेकिन कांग्रेस ऐसे डिसिप्लिन में विश्वास नहीं करती जो कि पत्थरों या जड़ पदार्थों में हो सकता है। आप १० पत्थरों को एक जगह रख देंगे तो वे वहीं रखे रहेंगे, अपनी जगह से हिल नहीं सकते। लेकिन जिनमें मस्तिष्क है और सोचने-विचारने की शक्ति है, जिनको वस्तुस्थिति का पता है, वहां जरूर ही सोचना और विचारना होगा और निर्णय की व्याख्या करने का मौका होना ही चाहिये। यही सफलता की कुंजी है। कभी-कभी बहुत से प्रमाण इस संबंध में दिये जाते हैं—प्रमाण देने की जरूरत नहीं है—कि कोआपरेटिव फार्मिंग बड़ी अच्छी चीज है। उन पर बहस करने की जरूरत नहीं है। एक कांग्रेसजन के नाते मैं भी मानता हूं इस सिद्धांत को और मैं भी वहां मौजूद था जहां यह बहस हुई थी वर्किंग कमेटी से लेकर जिला कांग्रेस तक। लेकिन यह पागलपन की बात होगी कि व्यावहारिक प्रश्नों को अपने सामने न रखा जाय। कांग्रेस ने उनको अपने सामने रखा है।

बहुत से लोग कहते हैं कि एक बाप के चार बेटे होते हैं, वे अलग-अलग हो जाते हैं, तो सामूहिक खेती कैसे होगी। हमारी बड़ी-बड़ी कम्पनीज चलती हैं, जिनको हजारों आदमी चलाते हैं, डायरेक्टर्स चलाते हैं, लेकिन काश्तकार को समझाना होगा और उसकी घबराहट दूर करने की बात होगी। अभी हाल में मैं एक जगह देहात में गया था। बात बड़ी सीधी-सी और छोटी-सी मालूम होती है लेकिन है लोगों के दिमाग में। उन्होंने कहा कि साहब, देखिये एक तो हमारी बड़ी मुश्किल यह है कि हमारा मटर का खेत है, हमारे बच्चे खेत में घूमकर मटर खाते हैं कभी-कभी हमारे यहां मेहमान आ जाते हैं, जैसे आप ही आ गये, तो हम जितनी मटर की जरूरत होती है तोड़ लेते हैं, यदि सहकारी खेती हो गयी तो इस तरह तोड़ना चोरी हो जायगा और उसका क्या इंतजाम होगा। साधारणतया लोगों के मन में इस तरह से सवाल उठते हैं, उनको जवाब देना होगा, समझाना होगा और उचित वातावरण पैदा करना होगा। कोआपरेटिव फार्मिंग चाहे जितनी अच्छी हो, उसका नाम लेने से सारे सवाल हल नहीं हो सकते। कोआपरेटिव फार्मिंग के साथ क्रांति भी होगी, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रांति भी होगी, केवल आर्थिक क्रांति ही नहीं होगी। इस क्रांति का नायक जिसको बनना होगा उसे लोगों को यह समझाना होगा कि सहकारी खेती से ये ये फायदे होंगे। और साथ ही इसके जो आप समझते हैं आपके जीवन में अड़चनें पड़ने वाली हैं या जो आप समझते हैं कि एक दिक्कत पैदा हो जायगी, आपका जीवन कठिन हो जायगा ये दिक्कतें नहीं होंगी, बल्कि दिक्कतें दूर होंगी। कांग्रेस ने इन सब बातों को समझा है। कांग्रेस की तरफ से यह कहा जाता है कि कोआपरेटिव फार्मिंग के बारे में कम्पलशन नहीं करना है। कम्पलसरी कोआपरेशन के कोई मानी नहीं होते हैं। लोगों को समझाना है कि वे इस प्रयोग को करने के लिये तैयार हों, लेकिन जबरदस्ती कोआपरेशन नहीं कराना है।

हमारे सामने मिसाल आती है चीन की। चीन के किसान और मजदूर २,३ महीने के अन्दर कोआपरेटिव फार्मिंग के अन्दर आ गये यह मैं समझ नहीं पाया। मैं चीन गया नहीं लेकिन २००, ३०० छोटी और बड़ी पुस्तकें पढ़ी होंगी। चीन का मौजूदा आदमी हिन्दुस्तान से कोई बहुत भिन्न नहीं है। कोई ज्यादा ऐसे सवाल भी नहीं हैं जो उसके सामने पैदा नहीं होते और यहां पैदा होते हों। लेकिन मैं नहीं कह सकता कि कोई रिपोर्ट गलत है। यह भी नहीं कह सकता कि चीन के शासक जो कहते होंगे वे गलत कहते होंगे। कोई जादू की छड़ी घमाई और सब किसान मजदूर बदल गये यह बात समझ में नहीं आती। हिन्दुस्तान में यह जादू नहीं चल सकता। हिन्दुस्तान में और ज्यादा समझाने की जरूरत है। कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट कह दिया गया है कि चीज अच्छी है, लोगों को इसके फायदे समझाना है लेकिन जबरदस्ती करके कोआपरेटिव फार्मिंग की बात नहीं सोच सकता, न सोचना चाहिये।

एक चीज जरूर है जिसकी तरफ जोर दिया गया। वह है सर्विस कोआपरेटिव्ज। इसके संबंध में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मैंने भी देहात के लोगों से बातचीत की।

लोग इसका स्वागत करते हैं। जो तय हुआ वह यह है कि हमको कोशिश करना चाहिये कि अगले ३ वर्ष में हम अपने प्रदेश में सर्विस कोआपरेटिव्ज का जाल बिछा दें। हम कितने सफल होंगे कह नहीं सकते, लेकिन अगर सर्विस कोआपरेटिव्ज का एक नेट वर्क सारे प्रदेश में फैल जाय तो काश्तकारों को बड़ा लाभ होगा, इस पर ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। काश्तकारों को जिन चीजों की जरूरत पड़ी है उनके लेने में उसे आसानी होगी। जब फसल तैयार होती है उसके पास इतनी शक्ति नहीं होती और न जगह होती है कि वह उस फसल को रख सके। मजबूर हो कर उसे बेचना पड़ता है और मिडिल मेन तथा व्यापारी के हाथ बेचना पड़ता है जो व्यापारी उसी चीज के दूने दाम वसूल करता है और दूसरों से नहीं उसी काश्तकार को खरीदना पड़ता है। अगर सर्विस कोआपरेटिव्ज स्थापित हो जायं तो काश्तकारों को इससे बचत हो जायगी।

सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जायगी कि ३ वर्ष के अन्दर सर्विस कोआरेटिव्ज चल जायं और ३ वर्ष के अन्दर कोआपरेटिव फार्मिंग की बात भी लोगों की समझ में आ जाय तो अच्छा है .....

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---गन्ने को छोड़ कर।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--गन्ना कोआपरेटिव्ज तोड़ दी जायं ?

श्री गेंदासिंह---गन्ने की कोआपरेटिव्ज को मोल-तोल करने का अधिकार नहीं होगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--क्यों नहीं होगा। आज भी है।

एक चीज समझ में नहीं आई। उस रोज माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने कुछ जिक्र किया कि कई लाख कुवें गायब हो गये। मैं नहीं समझ पाया कि कैसे गायब हो गये।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---मैंने यह कहा कि ५ लाख कच्चे कुओं की तादाद पिछले ३० साल के अन्दर घट गयी और २ लाख २८ हजार के करीब पक्के कुएं जो पहले सिंचाई के काम में शामिल होते थे वे अब नहीं होते हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मेरे लिये यह नयी चीज थी। ऐसा है तो अफसोस की बात है। मैंने दरयाफ्त किया तो आंकड़े मिले नहीं। मैं त्रिलोकी सिंह जी का कृतज्ञ हूं। जो हमारे यहां कानून था पुराने कानून के अन्दर और जो ऐक्ट था, जमींदारी एबोलीशन के बाद जो कानून हुआ उसके मुताबिक जो कुएं हैं उनको नष्ट नहीं होना चाहिये था। जिस किसी की भी सम्पत्ति थी वह उस की सम्पत्ति बनी रहनी चाहिये थी और उसको उसकी देखभाल करनी चाहिये थी। फिर भी अगर ऐसा हुआ कि चार-पांच लाख कुएं गायब हो गये, तो एक तरफ तो नहरें बनवा रहे हैं, ट्यूबवेल बनवा रहे हैं, मैसोनरी वैल्स बनवाए और एक तरफ यह कि इतने कुएं गायब हो जायं तो अफसोस की बात है और मैं कृतज्ञ हूंगा यह जानने पर कि वह कुएं कहां चले गये।

एक चीज है, अन्न के सिलसिले में स्टेट ट्रेडिंग का जिक्र किया गया। अन्न का दाम बढ़ा। कई बार इस पर बहस हो चुकी है। सारी बहस को दोहराने की जरूरत नहीं है। जैसा कि अभी खाद्य मंत्री जी ने कहा, भगवान की कृपा से भाव गिरने भी लगे हैं। लेकिन इसी सिलसिले में जहां और सब कारणों का जिक्र किया गया यह भी कहा गया कि गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेट ट्रेडिंग की योजना आई इस वजह से भी दाम बढ़े और माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने एक दिन और भी सलाह दी कि जहां तक स्टेट ट्रेडिंग की बात है, गवर्नमेंट को इसे वापस लेना चाहिये या कम से कम स्लो डाउन तो अवश्य करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आप की योजना बिल्कुल फेल हो गई। कुछ न कुछ तो असफलता हुई जरूर, लेकिन क्या असफलता हुई इसके सम्बन्ध में निश्चय करने में मुझको थोड़ी दिक्कत पड़ रही है। इस सदन में कई खयाल के लोग हैं। बहरहाल कांग्रेस ने स्टेट ट्रेडिंग की बात की। जो तरीका स्टेट ट्रेडिंग का हमारी समझ में आया हमने बरतने की कोशिश की। हमारे जनसंघ के भाई बिलकुल

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

खिलाफ हैं। कुछ और लोगों की अलग राय है। डेमोक्रेसी में करें क्या? अगर अपोजीशन की बात न मानें तो शिकायत। अपोजीशन में चार-चार, पांच-पांच हो जायं तो किसकी बात मानें? हमने सोचा कि सब से बड़ा ग्रुप जो अपोजीशन का है उस ग्रुप की बात मानना ठीक है। उनकी पार्टी ने तय किया कि स्टेट ट्रेडिंग होनी चाहिये। उनकी बात मानी। लेकिन अब कहते हैं कि स्कीम फेल हो गई। हमारी स्कीम फेल हो गयी या पी० एस० पी० की स्कीम फेल हो गयी, या हमने अपोजीशन की बात मान ली यहां हम फेल हुए? क्या हुआ?

श्री गेंदासिंह---ऐसा तो नहीं है कि पी० एस० पी० की स्कीम थी, आपने फेल कर दी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---तो अपोजीशन में जो सब से बड़ा ग्रुप था हमने उसकी बात मान ली। यह हमने लोकतंत्र का प्रयोग किया। यही गलती शायद हमसे हुयी। मैंने तो माननीय त्रिलोकी सिंह जी के मुंह से सुना कि स्टेट ट्रेडिंग चला और फेल हो गया। यह हो सकता है कि जिस तरीके से हमने स्टेट ट्रेडिंग चलाया, अगर वह तरीका सही नहीं था, कोई और तरीका है तो वह तरीका बतलाना चाहिये। जैसा और सभी मित्रों ने कहा है, फूड का ऐसा मामला है जो पार्टी पालिटिक्स पर नहीं हो सकता। लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अधिकांश लोग एक पार्टी जनसंघ को छोड़कर, किसी न किसी रूप में स्टेट ट्रेडिंग के पक्ष में हैं। जिस मानी में रूस और चीन कम्युनिस्ट कंट्रीज में स्टेट ट्रेडिंग हो सकता है उस को तो हम नहीं चला सकते। फूड के मामले में जो भी उचित सलाह हो हम उसको बरतने के लिये तैयार हैं। स्टेट ट्रेडिंग की दशा में प्रयोग करने की बात हमारी समझ में आयी। अगर वह प्रयोग ठीक नहीं है तो और कोई हो सकता है। जो हमारी परिस्थितियों में सम्भव हो हम उसको मानने के लिये तैयार हैं।

उस दिन अपने भाषण में माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने कहा था कि लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि आपने आलोचना तो की, आप सलाह दीजिये। तो सलाह देना मेरा काम नहीं है। मैं ऐसा कहता हूं, मेरा निवेदन है कि और किसी का हो या न हो लेकिन पी० एस० पी० और उसके नेता का तो जरूर यह काम है---सलाह देना---क्योंकि सब देशों में यह कायदा होता है जहां प्रजातन्त्र होता है कि जो अपोजीशन है, भले ही ४-५ दल हों, लेकिन जो मेन पार्टी अपोजीशन की है वह हमेशा खयाल रखती है कि कल हम गवर्नमेंट में आ सकते हैं और वह एक आल्टरनेटिव पार्टी सरकार बनाने के लिये होती है, वह अपना एक प्रोग्राम रखती है कि यह सरकार इस तरह से फलां काम करती है और अगर पावर हमारे हाथ में हो तो वह कार्य इस तरह से होगा। उस को बताना होगा कि यह तरीका काम करने का है, सलाह का शब्द वह इस्तेमाल करें या न करें लेकिन उन का यह कर्त्तव्य होता है। हम आशा करते हैं कि जिस शासन के तरीके को हम बरत रहे हैं उस में रह कर वह हमें बतायें और जनता को बतायें कि फलां काम इस तरह से करना चाहिये। हम इसके लिये उनके कृतज्ञ होंगे, आलोचना की दृष्टि से नहीं बल्कि हम उनकी सलाह लेकर कृतज्ञ होंगे। उनसे मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं और आशा भी करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---कृपलानी जी की सलाह मान लीजिये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वह तो बड़ा मुश्किल है लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि अगर गलती से ऐसा मान लिया तो सब से पहले श्री राजनारायण ही उस से अलग होंगे।

व्योरे की बातें तो बहुत हैं लेकिन शासन के सम्बन्ध में जिसको कहा जाय 'क्लीनलीनेस' वह तो बहुत बड़ी चीज है। मनुष्य ऐसा कोई नहीं है जो इस बात का दावा कर सकता हो कि कभी उससे एरर आफ जजमेंट नहीं होता। यहां तक कि जिनको लोग अवतारी पुरुष कहते हैं और वह मनुष्य रूप में शरीर धारण कर के आते हैं जैसे रामकृष्ण तो उनसे भी ऐसे काम हो सकते हैं जिनको लोग दोष कहें और जिन के लिये लोग उंगली उठा सकते हैं। फिर भी यह मैं मानता

हूं कि शासन की बोनाफाइडीज या नियत के सम्बन्ध में जरूर सन्देह नहीं होना चाहिये शासन एक व्यक्ति का नाम नहीं, जहां डिक्टेटरशिप हो वहां हो सकता है कि एक व्यक्ति की बात हो, जैसे फ्रान्स में लुई दि फोरटीन था जो कहता था कि "लेतासेबुआ" "दि स्टेट, इट इज आई", कोई एक व्यक्ति डिक्टेटरशिप में ही कह सकता है कि मैं स्टेट हूं लेकिन जहां किसी तरह की भी डेमोक्रेसी चलती हो वहां एक व्यक्ति स्टेट नहीं है, एक व्यक्ति गवर्नमेंट नहीं है। आज दस पांच आदमी हैं, मिनिस्टर्स हैं, डिप्टी मिनिस्टर्स हैं, स्टेट मिनिस्टर्स हैं, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज हैं सब गवर्नमेंट के अंग हैं टेक्निकली, लेकिन आज गवर्नमेंट ऊपर से लेकर गांव में रहने वाले छोटे चौकीदार तक जाती है। ऐसी हालत में कोई यह नहीं कह सकता कि इतनी बड़ी मेशीनरी में कोई गलती न करे। ऐसा हो नहीं सकता, एरर आफ जजमेंट होता है, कभी–कभी किसी हालत में बदनियती भी हो सकती है लेकिन आन दि होल ऊपर से देखने पर "क्लीनलीनेस" सफाई होनी ही चाहिये। इस सम्बन्ध में सदन के सामने मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि यदि उदारता के साथ, निष्पक्षता के साथ विचार किया जाय तो गवर्नमेंट के सम्बन्ध में इस तरह के आक्षेप लाने का मौका किसी को नहीं मिलेगा। मेरे पास कई विभाग हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडस्ट्रीज है या प्लानिंग है उनके सम्बन्ध में ग्रान्ट्स के समय में तमाम बातें आयेंगी और माननीय सदस्यों को कहने का और मुझे सुनने का मौका मिलेगा। कुछ खास बातों का मैं जिक्र कर दूं जिनका यहां भी और दूसरी जगह भी जिक्र किया गया।

मार्टिन बर्न्स का जिक्र आया। एक तो किसी ने कहा कि मार्टिन बर्न्स बहुत से गलत काम करता है उनका प्राजिक्यूशन नहीं होता है। उनको कर्ज देने की बात भी कही गई। जहां तक उनके प्राजिक्यूशन की बात है मुझे मालूम है कि उनके ऊपर इसी सूबे में १९ मुकदमें चल रहे हैं, इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस और दूसरे शहरों में.....

एक सदस्य—वापस हो गये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आज सुबह तक की तो मुझे खबर है उसके बाद की तो नहीं है, जरूर आपकी इत्तला सही होगी।

एक सदस्य—२३ मुकदमे थे, वह सब वापस हो गये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१९ का तो मुझे पता है, उनकी इत्तला मेरे पास है। ४ आपने चलाये होंगे तो आपको ज्यादा मालूम होगा, आपने वापस ले लिये होंगे।

बहरहाल, जहांतक कर्ज की बात है, एक बात समझनी चाहिए। कई अलग-अलग नामों से कम्पनियां हैं, लेकिन जाहिर बात है कि उन सब की जड़ में किसी न किसी रूप में मार्टिन बर्न्स हैं, इसलिये मार्टिन बर्न्स की बात ही कहनी ठीक है। अलग अलग शहरों में जो कम्पनियां हैं उनके साथ अलग अलग कंट्रेक्ट्स हैं। कोई ठेका जल्द खत्म होने वाला है, कोई १९७५ या १९७० तक जाने वाले हैं। उनके खत्म होने के बाद दो रास्ते हो सकते हैं। या तो उस कम्पनी को फिर दिया जाय या गवर्नमेंट उस कम्पनी को अपने हाथ में ले ले। अगर गवर्नमेंट अपन हाथ में लेना चाहे तो शर्त यह है कि जो भी उनका असासा है, जो उनके असेट्स हैं उन सब की कीमत लगानी होगी, जिस वक्त लेने की बात होगी और प्लस २० परसेंट। इतना रुपया अगर मुआवजा दिया जाय तो वह कम्पनी ली जा सकती है। यह सवाल हमारे सामने आया। हमने सोचा इस बात को। आज जो चीजों की कीमत है, शुरू में जब कम्पनी बनी होंगी उस वक्त जिस चीज को उन्होंने एक रुपये में लिया होगा आज बाजार में ४ रुपया कम से कम होगी, बल्कि ज्यादा होगी। तो जब हम लेंगे तो कोई न कोई आर्बिट्रेटर तो बैठेगा कीमत लगाने के लिये। जो भी बुक वैल्यू है उसकी मोटे तौर से बुक वैल्यू उस वक्त चौगुनी होगी, प्लस २० परसेंट। इतना देने के बाद हम कम्पनी को ले सकते हैं। कई लाइसेंस उनके खत्म हो रहे हैं। यह हमारे सामने सवाल था कि अगर हम इनको लेने की कोशिश करते हैं तो इतना रुपया कहां से लाया जाय। इस काम के लिये हमको गवर्नमेंट आफ इंडिया से रुपया मिलने वाला नहीं,

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

क्योंकि उनकी राय है कि यह जो बिजली की इंडस्ट्री है जो आलरेडी चल रही है यह ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कि और सब कामों को छोड़ कर स्टेट इसको अपने हाथ में ले ले। हमारे पास रुपया कहीं है नहीं। सोचने की बात है कि यह करोड़ों रुपया जो कीमत है, प्लस २० परसेंट, कहां से आवे? हमारे पास कोई जरिया नहीं है सिवाय इसके कि कम्पनी से यह बात चीत करें कि फिर कुछ दिनों के लिए चलावें।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--जमींदारों की तरह से बांड उनको दे दीजिये, क्या बात है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जमींदारों की तरह से भले आदमी सब थोड़े ही हैं? बहरहाल, यों तो लम्बे टाइम के लिये तो वह भी रिन्युअल नहीं चाहते। वह कहते हैं कि हमको डर इस बात का है कि कुछ दिनों बाद, २०-२५ वर्ष के बाद अटामिक पीरियड आ जायगा, तो उस वक्त तो बिजली कम्पनियों की जगह नहीं रहेगी। बहरहाल, आवेगा या नहीं, यह तो भगवान् जानता है, लेकिन इस वक्त जब कि हमारे पास रुपये की इतनी दिक्कत है, डेवलपमेंट के हमारे पास इतने काम हैं तो इतना रुपया कहां से लावें? तो जरूर हमारे सामने सवाल है कि इन कम्पनियों को चलने दिया जाय। विचार यह है कि हम शर्तों को कम करने की कोशिश करें। २० परसेंट वाली शर्त अगर हटा दी जाय तो अच्छा है, जब कभी लेना हो। तो यह सवाल चल रहे हैं।

और भी कई सवाल हैं। कई जगहों पर इंडस्ट्री बढ़ाने की बात है। देहली के पास गाजियाबाद है, वहां इंडस्ट्री बढ़ रही है। नैनी में बढ़ रही है। मुरादाबाद और मुगलसराय के पास बढ़ रही है। इंडस्ट्री बढ़ाने के लिये पावर की जरूरत है। वह कहते हैं कि रुपया हमारे पास नहीं है। रोज आपके सामने शिकायतें आती हैं कनेक्शन न मिलने की, आवर्स आफ वर्क घटाने पड़ते हैं। एक मिसाल भी देता हूं। ३ वर्ष हुए राष्ट्रपति के हाथ से फाउंडेशन रखा गया लोकोमोटिव वाले कारखाने का, वाराणसी से कुछ मील पर, उसके लिए जितनी बिजली की जरूरत थी, मार्टिन कम्पनी नहीं दे सकी और गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से यह आया कि अगर उत्तर प्रदेश इस चीज का इन्तजाम नहीं कर सकता तो हम इस कारखाने को उत्तर प्रदेश से हटा लेंगे। खैर, किसी तरह से लड़ झगड़ कर हमने बिजली का इन्तजाम कराया। तो अब सवाल यह है कि अगर हमको अपने प्रदेश में इंडस्ट्री की तरक्की करना है, प्राइवेट लोगों को बिजली देना है तो रुपये का इन्तजाम करना होगा। ऐसी हालत में अगर सूद पर हम उनको रुपया देते हैं तो मैं समझता हूं कि कोई गलत बात नहीं है। प्रदेश के हित के लिये यह चीज जरूरी है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक तो उनको मुआवजा देने के लिये हमारे पास रुपया नहीं है और फिर हम को और कामों के लिये भी तो रुपया चाहिये।

एक चीज का बार-बार जिक्र आता है कि हम किसी माने में पूंजीपतियों की मदद करना चाहते हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हम इस देश की जो एकोनामी, इस देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसके बाहर नहीं हैं, उसी की चहारदीवारी के अन्दर हम हैं। अगर कोई ऐसा दिन आयेगा कि इस देश से जिसको कैपिटलिज्म कहते हैं वह उठ जायगा, पूंजीपति नहीं रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी नहीं रहेंगे। लेकिन जब तक इस देश की व्यवस्था ऐसी है जिसमें प्राइवेट सेक्टर के लिये जगह है, जो कि हमारे प्लान के अन्दर है, हर जगह है, तब तक इतना समझना चाहिये, बार-बार इसको कहने में हमें कोई शर्म नहीं है कि हम जरूर प्राइवेट सेक्टर की मदद करेंगे, इंडस्ट्री की मदद करेंगे और इस बात की जरूर कोशिश करेंगे कि अगर किसी और प्रदेश में इंडस्ट्री लगने वाली है तो वह उत्तर प्रदेश में आये। यह मैं कोई एपोलोजिटिक तरीके से नहीं कहना चाहता हूं कि डरते हुये, शरमाते हुये कहूं। हम कहते हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर इस देश में रहेगा तो उत्तर प्रदेश में भी रहेगा। फिर, कोई हमारी ही बात नहीं है। केरल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। सारे अखबारों में यह चीज आ चुकी है कि कितनी कोशिश कर के

उन्होंने बिड़ला ग्रुप को अपने यहां इंडस्ट्री खोलने के लिये राजी किया है। मजदूरों के बोनस के सम्बन्ध में ऐसा समझौता हुआ है जो हिन्दुस्तान में कहीं और नहीं है। वह सारे देश से कैपिटलिज्म को समाप्त करने की कोशिश भले ही करें लेकिन जब हिन्दुस्तान में और जगह इंडस्ट्री होनी है तो केरल गवर्नमेंट ने यह ठीक ही किया। इसलिये मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि हम जरूर इंडस्ट्री की मदद करेंगे।

श्री राजनारायण—वह भी तो ककार है।

डाक्ट सम्पूर्णानन्द—हां, ऐसा मैंने उपनिषदों में पढ़ा है, ब्रह्मा का रूप है ककार। और इंडस्ट्री के होने से अनेक फायदे होते हैं उस की तरफ लोगों का खयाल कम जाता है। मिसाल के लिये हमारे प्रदेश में सोडा ऐश फैक्टरी खुलने की बात है। अभी हाल में यहां के सदन की जो इंडस्ट्री और लेबर की स्टैंडिंग कमेटी है उसके सदस्य वहां गये थे। सामने बैठे हुये सदस्यों में से एक सज्जन जो फिरोजाबाद के सदस्य हैं, कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं हैं, वे भी उनमें थे। इसका जिक्र मैं इसलिये करता हूं कि सोडा ऐश ऐसी चीज हैं जो ग्लास फैक्टरीज के काम की चीज है। अगर यह फैक्ट्री चल जाती है तो हमको जितना सोडा ऐश मंगाना पड़ता है ग्लास फैक्ट्रीज के लिये वह सारे का सारा एक फैक्ट्री से मिल जाता है और हमारा बहुत-सा फारेन एक्स-चेंज बच जाता है। फिरोजाबाद हमारा बहुत बड़ा सेन्टर है ग्लास इंडस्ट्री का। अगर हम चाहते हैं कि फिरोजाबाद की ग्लास इंडस्ट्री चलती रहे तो जरूर हमें सोडा ऐश उस को देना चाहिये। सोडा ऐश हमारे यहां हो जाय। उन्होंने कहा कि हमारे यहां जल्दी से जल्दी डिपो खोल दी जाय। उन्होंने ठीक किया और यह मुनासिब बात है। एक-एक फैक्टरी हमारे यहां खुलती है तो करोड़ों रुपये का माल जो बाहर से मंगाया जाता है उसको मंगाना वह बन्द कर देती है। इससे हमारे देश और प्रदेश को फायदा होता है। अगर इस तरह से हमारे यहां कार-खाने खुलते हैं तो एक तो सब से पहले उसमें मजदूरों को मजदूरी मिलती है और न जाने कितने लोगों को उसकी वजह से जीविका मिलती है। एक कारखाना खुलता है तो २–३ हजार मजदूर उसमें काम पाते हैं, अनाज बेचने वाले वहां पर दुकान खोलते हैं, कपड़े की दुकानें खुलती हैं और न जाने कितनी किस्म की दुकानें खुलती हैं, बच्चों के लिये स्कूल खुलते हैं तो स्टेशनरी की दुकानें भी खुलती हैं यानी कहने का मतलब यह है कि उसके कारण हजारों आदमियों की जीविका चलती है। इंजीनियरिंग वर्क्स भी खुलते हैं और भी देखा जाय तो हमारे प्रदेश की सेल्स टैक्स से आमदनी बढ़ती है।

हमारी आमदनी का बहुत बड़ा जरिया इन्कम टैक्स है। उसका कायदा यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो आमदनी होती है उसका कुछ हिस्सा वह रखती है और उसका एक डिवीजिबिल पूल होता है। उसमें स्टेट्स का हिस्सा होता है। उसमें बड़ा भारी लाभ है। वह सदन के सामने नहीं आता है। मैं माननीय सदस्यों की इत्तला के लिये बताये देता हूं। एक तरफ तो बम्बई, मदरास और वेस्ट बंगाल जैसी स्टेट्स हैं और दूसरी तरफ हमारी जैसी स्टेट्स हैं। वहां वाले कहते हैं कि जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वह सब हमारे यहां ही हैं इसलिये इन्कमटैक्स की आमदनी हमें मिलनी चाहिये और हम कहते हैं कि इंडस्ट्री में हमारा हिस्सा कम जरूर है लेकिन अगर हमारे यहां इतने आदमी न होते तो बम्बई वगैरह की चीजें कैसे बिकतीं। इसलिये हमें ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिये। इसलिये और भी हम चाहते हैं कि हमारे यहां इंडस्ट्रीज होनी चाहिये जिससे हमें भी कुछ कहने का मौका मिल सके।

श्री राजनारायण—क्या मन्त्रियों की तनख्वाहों पर इन्कम टैक्स लगाने जा रहे हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हमारी तनख्वाहें जब १५०० हो जायंगी तो वह भी दे देंगे। हमने तनख्वाहें १,५०० से घटाकर १,१०० कर ली हैं।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—५०० रुपये कर लीजिये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अगर आप होंगे तो ऐसा ही कर लेंगे। मैं यह कह रहा था कि इंडस्ट्री जब कायम होती है तो देश को कितना फायदा होता है। जब हम सोचते हैं तो

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

कैपीटेलिज्म को ही पकड़ लेते हैं लेकिन इंडस्ट्री की बात नहीं सोचते हैं। हम इंडस्ट्रियलिस्ट को देखते हैं लेकिन इंडस्ट्री को नहीं देखते। यह तो मानी हुई बात है कि जब कोई आदमी अपना रुपया लगाता है तो वह अपने फायदे के लिये ही लगाता है। हम देखते हैं कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट की मदद कर दी गई लेकिन यह नहीं देखते कि इंडस्ट्री की मदद की गई है। जैसे कि यह मानी हुई बात है कि कारखानों के खुलने से हजारों आदमियों का फायदा होता है, देश का फायदा होता है और साथ ही साथ प्रदेश का भी फायदा होता है तो मैं इन बातों को ध्यान में रखते हुये कहता हूं कि जब तक देश में प्राइवेट सैक्टर रहेगा तब तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि और प्रदेशों के मुकाबले में उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज आयें और हमें कोशिश करनी भी चाहिये।

मैंने सोडा ऐश फैक्ट्री का जिक्र किया। अब मैं टैक्सटाइल पार्ट्स की फैक्ट्री के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में भी कपड़े की मिलें हैं। टैक्सटाइल की बड़ी-बड़ी मशीनें तो बाहर से आती हैं। बड़ी-बड़ी मशीनों के बनाने के साधन अभी हमारे देश में नहीं हैं। लेकिन पार्ट्स देश में बन सकते हैं, बनते भी हैं और कुछ बाहर से भी आते हैं, बनने लगे हैं और हमारे यहां बनाये जा रहे हैं। अगर इसका कारखाना खुलता है तो देश को फायदा होता है। अगर इसमें दोषी समझे जाते हैं तो हम जरूर दोषी हैं और हमें इसमें खुशी है और रहेगी। जब तक हमारे हाथ में जिम्मेदारी है हम कोशिश करेंगे कि दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में उत्तर प्रदेश को इंडस्ट्रीज मिलें। हमारे सामने आज मिसालें हैं। तीन-चार बड़ी इंडस्ट्रीज खुलने वाली हैं फार्मास्यूटिकल्स की, यानी दवायें बनाने की। माननीय सदस्यों को शायद पता नहीं होगा कि कितना गहरा मुकाबला है। बंगाल, बम्बई और काश्मीर हैं और हम भी हैं। बहरहाल जो कुछ हो जाय। लेकिन कितनी कोशिश करनी पड़ती है उत्तर प्रदेश में किसी इंस्टीट्यूट को ले आने की, किसी इंडस्ट्री को ले आने की, यह भूलना नहीं चाहिये। आज से कुछ ही वर्ष पहले की बात है। जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब थे पहले के वह यहां आये हुये थे। उनसे जब इस बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को इंडस्ट्री से क्या ताल्लुक? आप तो एक ऐग्रीकल्चरिस्ट प्रदेश हैं। आपको इंडस्ट्री से क्या करना है? आश्चर्य होता था लोगों को इस बात से।

एक चीज का जिक्र हुआ कि कर्ज बढ़ता जाता है। बिलकुल सही है। कर्ज बढ़ता जाता है और बढ़ता जायगा। क्यों बढ़ता जाता है? कर्ज किस बात के लिये लिया जाता है? प्लान को देख लीजिये आप। मसलन इस साल जो प्लान चल रहा है उसकी फिगर मुझे ठीक याद नहीं है, कुछ लाख छोड़ दे रहा हूं। करीब ४८ करोड़ का प्लान है। २२ करोड़ स्टेट गवर्नमेंट लगाती है और २६ करोड़ गवर्नमेंट आफ इंडिया लगाती है। उस २६ करोड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा कर्ज के रूप में होता है। अब अगर डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं नहरें खुद रही हैं, कहीं एजूकेशन में कुछ खर्च हो रहा है, कहीं रोड्स पर कुछ खर्च हो रहा है, कहीं पावर पर कुछ खर्च हो रहा है, इंडस्ट्री पर कुछ खर्च हो रहा है, तो बहुत बड़ा हिस्सा उसमें कर्ज का है। कर्ज का बढ़ना तभी बन्द हो सकता है जबकि हम गवर्नमेंट आफ इंडिया से यह कह दें कि इस २६ करोड़ रुपये में से एक पैसा भी हम कर्ज के रूप में नहीं लेंगे। दूसरे हम जो डेवलपमेंट में खर्च करते हैं उसके लिये पब्लिक लोन भी लेते हैं। पिछले साल करीब ८ करोड़ लोन लिया था। आगे भी लेंगे अगर इंतजाम हो सका। यह ऐसा कर्ज है जो पे करता है अपने को, घाटे वाला नहीं है। तो अगर डेवलपमेंट करना है और डेवलपमेंट होगा तो उसके लिये कर्ज लेना ही होगा। कर्ज बढ़ता ही जायगा इसको भी हम एक बार अच्छी तरह से समझ लें।

अब एक मेरे सामने दिक्कत यह है कि माननीय राजनारायण ने बहुत सी बातें कहीं, उनकी बातों का जवाब देने की कोशिश की जाय या न की जाय। कोशिश इसलिये कहता हूं कि मैं जानता हूं कि उनका मैं जवाब नहीं दे सकता। जिस स्तर पर वह बात करते हैं मैं वहां जा नहीं सकता और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कभी ऐसा न हो कि मैं उस स्तर पर पहुंचूं। एक वाक्य में कह दूं। कल की बातों का जिक्र नहीं करूंगा। एक दूसरे दिन की यहीं की उनकी

स्पीच का जिक्र करूंगा। उन्होंने एक दिन फरमाया था सात आठ दिन हुये होंगे, अभी हाल में जब देहात में गया था पदयात्रा के सिलसिले में तो उनसे किसी सब-इंस्पेक्टर ने कहा कि साहब, बहुत से लोग जो चोरबाजारी वगैरह करते हैं, हम कैसे उनके ऊपर मुकदमा चलावें, मुख्य मंत्री को चारों तरफ से घेरे खड़े हैं वही लोग। माननीय गृह मंत्री जी अगर कोई बात कह दें तो उनकी बात का तो विश्वास राजनारायण जी नहीं करते लेकिन उनके मुहकमे के एक सब-इंस्पेक्टर की बात को वेद वाक्य मान लिया उन्होंने। हरिश्चन्द्र के बाद एक सब-इंस्पेक्टर कम से कम ऐसा है जो सत्यवादी है।

श्री राजनारायण---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। श्रीमन, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं और वह यह कि पहले के भाषण का यहां पर जिक्र माननीय मुख्य मंत्री जी कर रहे हैं और उसको कुछ विकृत ढंग से कर रहे हैं। व्यवस्था यहां अब तक यह रही है कि पहले के भाषणों का जवाब इस तरह से नहीं दिया जाता और अगर वह उसका जिक्र करें तो ठीक है, मैं जानता हूं कि आप मुझको स्पष्टीकरण करने का मौका देंगे ही।

श्री उपाध्यक्ष---तो आप यह चाहते हैं कि जो बात आप कहें उसका जवाब ही न मिले ?

श्री राजनारायण---आज तक जो इस सदन की मर्यादा रही है उसका स्मरण करा रहा था मैं और अगर माननीय मुख्य मंत्री जी उस पर नहीं चल रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि उसका स्पष्टीकरण हो जाय। बाद में आप हमको मौका दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय मुख्य मंत्री, एक बात मैं आपको और बता दूं कि आपके केवल चार मिनट और रह गये हैं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करूंगा कि इनका समय और बढ़ा दिया जाय क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री को हमारी सब बातों की सफाई करनी है और मैं चाहता हूं कि जरा खुलकर सब बातों की सफाई हो जाय।

श्री त्रिलोकीसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरा खयाल है माननीय वित्त मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री के भाषणों पर कोई सीमा नहीं नियत की गई थी। साधारण मंत्रियों के भाषणों पर था ४५ मिनट।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इतना मैं निवेदन कर दूं कि कुछ लोगों के दिमाग में भ्रांति है उसको मैं दूर कर रहा हूं। जो लोग मुझे घेरे खड़े हुये थे जो चोर बाजारी करने वाले होंगे, उनमें पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी राजबिहारी सिंह और ५०,६० और कांग्रेसी थे। उन सब लोगों को एक दम चोर बाजार करने वाले और बेईमान उन्होंने बना दिया....

श्री गेंदासिंह---सब काशी के ही थे।

श्री राजनारायण---उसमें देवरिया के भी रहे होंगे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---गेंदासिंह जी ने ठीक ही कहा। विभीषण की बदौलत लंका का राष्ट्र नष्ट हो गया था। अब उन्होंने एक हलके से वाक्य में उन ६०,७० आदमियों को बेईमान बना दिया यह ऐसी कला है जो कम लोगों को आती होगी। कम से कम मैं ऐसी बात नहीं कर सकता। किसी पार्टी के नेता की बाबत अगर मैं जानता भी हूं तो यह चीज जबान पर नहीं ला सकता। दूसरे यह कि अगर किसी एक आदमी की बाबत शक भी हो तो उसकी वजह से सारे आदमियों को इस तरह से कह देना कहां तक उचित मालूम होता है। इसीलिये मैंने शुरू में कहा कि उन बातों का जवाब दे नहीं सकता।

उन्होंने प्लान की शिकायत की कि यह गलत है। इस बात के लिये हम मजबूर हैं। हम इस बात को मानते हैं कि यह प्लान गलत हो सकता है। इसमें कुछ सुधार भी हो सकता है, यह भी हम मानते हैं। अभी आपने देखा कि हमारे यहां एन०ई०एस० का जो रूप था उसको

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

बदला गया है। अनुभव के आधार पर उसमें तब्दीली की जा सकती है। इसी सदन की एक कमेटी बैठी हुई है उसमें गोविन्दसहाय जी चैयरमैन हैं और कई माननीय सदस्य उसके सदस्य हैं। वह लोगों की एविडेंस ले रही है और उसकी रिपोर्ट आने वाली है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद जो संभव होगा प्लानिंग के रूप को बदलने की चेष्टा की जायगी। उसकी बाबत अभी मैं कह नहीं सकता लेकिन उस प्लानिंग के रूप में जो संभव हो सकेगा परिवर्तन किया जायगा लेकिन साधारण तौर पर प्लानिंग का खंडन करना उचित नहीं है। उसके लिये इस समय कोई भी परिवर्तन करने में हम मजबूर हैं। मिसाल के लिये मैं निवेदन करूं कि यह कहा गया कि ये सीमेंट की सड़क क्यों बनाई जाती हैं और कच्ची सड़कों से भी काम चल सकता है। आप इस बात को मानते होंगे कि पक्की सड़कों की जरूरत नहीं है लेकिन जो मोटर, तांगा और साइकिल वाले शहर और देहात के लोग हैं क्या वे इस बात को पसन्द करेंगे कि अगर पक्की सड़कों को बनाना बन्द कर दिया जाय तो वे कच्ची सड़कों से काम चला लेंगे। आज हम चाहे कुछ भी नीति रखते हों लेकिन हम फौज रखते हैं वह इसलिये कि कभी अगर कोई किसी तरफ से देश पर आक्रमण हो तो देश की रक्षा कर सके। डिफेंस का प्रबन्ध भी करते हैं। उसमें मोटर भी होते हैं और बहुत-सी चीजें होती हैं जिनका मैं नाम भी नहीं जानता मगर उसके लिये वे चीजें कैसे चलेंगी। उनके लिये हमको पुल की जरूरत है। उनके लिये सड़कों की जरूरत है। कच्ची सड़कों पर वे चीजें नहीं चल सकती हैं। यातायात के लिये लोगों को रेलवे भी चाहिये। यह हो सकता है कि कुछ लोग इन चीजों को छोड़ दें लेकिन किसी सरकार के लिये इस तरह से संभव नहीं है। इसलिये हवा में बात कर देना कि इन चीजों को छोड़ दिया जाय इससे काम नहीं चल सकता है। जिस जमाने में आज हम चल रहे हैं, उस जमाने को देखकर, चाहे वे गांव के रहने वाले हों या शहर के रहने वाले हों, यह बातें करनी होंगी। न हम रूस की नकल करते हैं और न अमेरिका की नकल करते हैं। हम तो अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं। अगर हमारी जरूरत ऐसी है कि जिन जरूरतों को अमेरिका ने उन तरीकों से ही पूरा किया है तो उन तरीकों से हमको भी काम लेना होगा। इसमें किसी की नकल करने की बात नहीं है केवल उसकी पूर्ति करने की बात है।

बहुत से आंकड़े हमारे सामने रखे गये। अंग्रेजी में एक कहावत है कि दुनिया में ३ प्रकार के झूठ होते हैं। लाइज़, डैम लाइज और स्टेटिस्टिक। आंकड़े बड़ा काम देते हैं। काम लेने वाला आदमी होना चाहिये। हम किसी से कह दें किसी जगह पर कि फलां स्कूल का रिजल्ट बड़ा अच्छा रहा, सेन्ट परसेंट रहा, सुनकर बड़ी तबीयत खुश होगी। और अगर कोई पूछे कि कुल कितने अपीयर हुये और कह दें कि एक ही लड़का अपीयर हुआ तो सेन्ट परसेन्ट के माने दूसरे हो जाते हैं। एक मिसाल यह दी गई कि अंग्रेजों के जमाने में इतने हजार मील रेलवे लाइन बनाई गई और इस सरकार ने इतने मील ही रेलवे लाइन बनाई लेकिन रेल तो १८९८ में ही चलने लगी थी और १८९८ से लेकर १९४७ तक का समय एक तरफ और १९४७ से १९५७ तक एक तरफ रखकर मुकाबला किया जाय तो इसका क्या जबाव दिया जाय। यह कह दिया गया कि फलां साल में गल्ले का उत्पादन कितना कम हुआ लेकिन यह नहीं बताया गया कि उस साल में बाढ़ भी आई, ओले पड़े या और कोई दैवी प्रकोप आया। तो इस तरह की स्टैटिस्टिक्स का जबाव देना बेकार है।

श्री झारखंडेराय दो चीजों का जिक्र कर रहे थे, अमृत पत्रिका के मामले का और तनख्वाहों के मामले का। अमृत पत्रिका और अमृत बाजार पत्रिका, ये प्राइवेट कन्सर्न हैं, अगर उनका जिक्र न किया गया होता तो अच्छा था लेकिन खैर। इस सिलसिले में यह कहा जाता है कि अमृत पत्रिका जब बन्द हो गया तो बाद में अमृत बाजार पत्रिका निकला और वह अनरजिस्टर्ड है। यह कहा जाता है कि गवर्नमेंट उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करती है। एक बात जाननी चाहिये कि जो पुराना अमृत पत्रिका था, जो कम्पनी थी उसका हेड आफिस भी कलकत्ता था और जो नया अमृत बाजार पत्रिका निकला है उस का भी हेड आफिस कलकत्ता है।

वह अनरजिस्टर्ड है या नहीं है, इस सम्बन्ध में बंगाल गवर्नमेंट कार्यवाही कर सकती है, यू० पी० गवर्नमेंट कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है। इलाहाबाद से अखबार तो निकलता है लेकिन उसका हेड आफिस कलकत्ता में है इसलिये वह वेस्ट बंगाल के जुरिस्डिक्शन में है हमारे जुरिडिस्क्शन में नहीं है। अखबार बन्द हो गया, आदमी बेकार हो गये, इसका अफसोस मुझे भी है लेकिन जहां तक उस पर कोई कानूनी बात करने का सम्बन्ध है, मेरी समझ में नहीं आता कि हम क्या कर सकते हैं। मुझ से अखबार के कई विभागों से सम्बन्ध रखने वाले और पत्रकारों की जो संख्या है उसके भी प्रतिनिधि मिले। उन्होंने जो मुझसे कहा वह यह कि अपने गुड आफिसेज से काम लीजिये और उनको भरोसा है यह मैं निजी तरीके पर कह सकता हूं कि—मेरी कोशिश से उनको फायदा हो। मैंने विश्वास दिलाया और जो उस पत्र के प्रोप्राइटर हैं उनको खत भी लिखा कि मुझको अफसोस है बन्द होने का और मैंने यह भी लिखा है कि आप मेहरबानी करके अगर लखनऊ आ सकते हों तो आयें। इसके अलावा और मैं क्या कर सकता हूं। कानूनी तरीके से कोई काम करने का मेरा दखल नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—एडजुडीकेशन ट्रिबुनल को भिजवा दीजिये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उसके लिये कोई केस होना चाहिये। मैं समझता हूं कि लेबर डिपार्टमेंट में कोई पार्टी नहीं आई है।

यह कहा गया कि मिनिमम तनख्वाह १०० रु० हो और मैक्सिमम १,००० रु० हो। बड़ी तनख्वाहों का भी जिक्र किया गया। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। पहले तो मैं यह नहीं समझता कि आजकल का जो जमाना,इस जमाने में हम आम तौर से किसी को बहुत बड़ी तनख्वाह दे रहे हैं। थोड़ी तनख्वाहें दे रहे हैं। बड़ी तनख्वाहें दे रहे हों, मैं ऐसा नहीं मानता। सोशलिज्म के माने डिवीजन आफ प्रापर्टी नहीं होता। सबको भिखमंगा बनाना सोशलिज्म नहीं हो सकता, सम्पन्न बनाना सोशलिज्म के माने हो सकते हैं। १,००० रु० से ऊपर तनख्वाह पाने वाले जो कि ३, साढ़े ३ लाख आदमी होंगे उनकी तनख्वाह काट कर अगर बाटा जाय तो शायद २–४ आने भी मिलने मुश्किल हो जायंगे कम तनख्वाह पाने वालों के लिये। ऐसा करने से उनका नुकसान हो सकता है लेकिन किसी का फायदा नहीं हो सकता। जैसा मैंने कहा यह हम मानते हैं कि तनख्वाह हम कम देते हैं, लेकिन ज्यादा भी नहीं देते। इसलिये हम आपकी उस सलाह को मानने के लिये तैयार नहीं हैं और उसके बारे में कोशिश भी नहीं करते हैं। यह जरूर है कि हम कुछ न कुछ बढ़ाने की कोशिश ही कर र हैं, जहां तक हमसे बन पड़ता है।

इस बात का जिक्र हुआ कि ढाई रुपया १०० रुपया तक कुछ नहीं बढ़ाया गया और १०० से २०० तक ५ रुपया भी कुछ नहीं बढ़ाया गया। इतना ही नहीं, यह जो हमने ढाई रुपया बढ़ाया है वह केवल टेम्परेरिली बढ़ाया है, परमानेन्ट नहीं। बहुत कम है, यह हम जानते हैं लेकिन यह भी देखना है कि हमारी सामर्थ्य कितनी है। बजट तो माननीय सदस्यों के सामने ही है, उसके अन्तर्गत हम कर ही क्या सकते हैं। देखना यह है कि अपनी कमियों के बावजूद हम किस तरफ को जाने की कोशिश कर रहेहैं।

सबसे कम तनख्वाह पाने वाला चपरासी होता है। (श्री राजनारायण के कुछ कहने पर) सोशलिज्म की बाबत राजनारायण जी कभी-कभी जिक्र किया करते हैं और यह भी कहते हैं कि उसका एक आध लफ्ज मुझसे भी पढ़े हैं। इसके बारे में शेखसादी साहब ने एक शेर कहा है जिसका अर्थ यह होता है कि ऐसे अस्थिर चित्त के शिष्य को नहीं पढ़ाना चाहिये जो खुद तो भूल जाय और उस्ताद को बुरा-भला कहे। सबसे कम तनख्वाह पाने वालों में हमारे यहां चपरासी हैं। मैं उसी का जिक्र कर रहा था। उसको सन् ३७ में साढ़े दस रुपया मिल रहे थे, सन् ३९ में हमने उसके १३ रुपये किये, १ मार्च सन् ४९ को २० रुपये किये और डीअरनेस किया और जिस चपरासी को साढ़े दस रुपया मिलते थे उसी को आज ४२ रुपया मिल रहा है। महंगाई भत्ते को हमने उसकी बेसिक पे कर दिया है जिसका असर यह होगा कि उसके टी० ए० में फर्क होगा और प्रावीडेंट फंड में भी फर्क पड़ेगा।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

अब रही यह बात कि यह डीअरनेस लागू रहेगा या नहीं तो यह जैसा भी समय होगा, वैसा होगा। ऐसी सूरत भी हो सकती है कि इस साढ़े सात रुपये को भी मिला देना पड़े। लेकिन जिसकी तनख्वाह २० रुपया थी उसकी बेसिक पे ४२ रुपया हो गयी है। जहां तक हमारी हिम्मत पड़ती है वहां तक हम एक-एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी तरफ आपने देखा कि ४६-४७ में एक पे कमेटी बैठी थी, मैं ही उसका चेयरमैन था। उस वक्त सुपीरियर सर्विस की तनख्वाह २५० से शुरू होती थी, उसमें हमने कोई वृद्धि नहीं की है। वह आज भी २५० ही है और इधर २० के ४२ रुपये हो गये। यहां एक और १० का नहीं हमने १ और ६ का अनुपात कर दिया। यह अवश्य है कि ऊपर की जो तनख्वाह है उसको हमने घटाने की कोशिश नहीं की लेकिन नीचे से ऊपर को बढ़ने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। इसको देखने से मालूम होगा कि सैलरीज में जो डिसक्रिमिनेशन है उसको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।

कल किसी ने पीपुल्स बजट का जिक्र किया। उन्होंने यह कहा था कि पीपुल्स बजट वह था जो कि लियाकतअली खां साहब ने पेश किया था मैं उसकी बाबत इतना ही कह देना चाहता हूं कि १-२ पार्टीज को छोड़कर सब सामने बैठने वाली पार्टियां उनमें थीं, कांग्रेस भी उनमें थी। उन सब को याद होगा कि इन्टरिम गवर्नमेंट जब बनी थी तो उसके दो टुकड़े बिलकुल एक दूसरे से स्वतंत्र थे, एक मुस्लिम लीग का हिस्सा और एक कांग्रेस वालों का हिस्सा। उस वक्त जो लियाकत अली खां साहब ने बजट पेश किया उसके सम्बन्ध में मौलाना आजाद साहब ने अपनी आटोबाईग्राफी में जो लिखा है उसमें से केवल दो सेंटेंस पढ़ देना चाहता हूं।

"Liaqat Ali had framed the budget which was ostensibly based on Congress declaration, but that was in fact a clever device for discrediting the Congress."

उन्होंने कहा कि जिस बजट को लियाकत अली खां ने पेश किया वह ऐसा बजट था जो देखने में तो ऊपर से बड़ा अच्छा और जनता का बजट मालूम होता था, लेकिन वास्तव में वह बजट कांग्रेस को बदनाम करने वाला बजट था। इसका सब से बड़ा सबूत यह है कि जब पाकिस्तान बना तो वहां उन्होंने इस तरह का फिर कोई बजट पेश नहीं किया ....

श्री बलवानसिंह---मैंने यह कहा था कि वह जनता का बजट था।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अगर जनता को धोखा ही देना हो तो और भी अधिक बातें कही जा सकती हैं और इससे भी अच्छा बजट पेश किया जा सकता है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---उस किताब में जो दूसरी बातें लिखी हुई हैं उनसे आप पूरी तरह से सहमत हैं? उस किताब में मौलाना साहब ने और भी बहुत सी बातें कही हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---आप जरा पढ़ लें उस किताब को तो मालूम होगा कि उन्होंने क्या कहा है और क्या नहीं कहा है। श्रीमन्, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता....

श्री राजनारायण---लोग समझ गये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस जन्म में तो शायद हो नहीं सकता। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम मनुष्य हैं, हम इस चीज का दावा तो नहीं करते, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को जानते हैं और अपनी जिम्मेदारी को पूरी नेकनीयती के साथ पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है 'ड्यूटी इज इट्स ओन रिवार्ड', हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और हमको इस पर विश्वास है कि हम अपने कर्त्तव्य का पालन करेंगे तो सफलता मिलेगी। इतना ही नहीं, हमको यह भी विश्वास है कि जो लोग आज हमारे विरोधी हैं किन्हीं कारणों से, वे हमारी बातों का खंडन करते हैं, हमारी बातों की आलोचना करते हैं, परन्तु वे भी अपने दिल में उन चीजों को देखते हैं और मानते हैं, क्योंकि ऐसी चीजें सब की आंखों के सामने हैं। जो चीजें

बन सकती हैं वे ऐसी हैं जिनसे कोई इन्कार नहीं कर सकता है । यह बात जरूर है कि जो काम हम करते हैं उसमें सफल हुए हैं, लेकिन अधिक सफलता और मिल सकती है यदि पूरी तरह से हमारे उन मित्रों का भी सहयोग प्राप्त हो जो उधर बैठ हुए हैं । जो इधर बैठे हुए हैं वे तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज संकट की स्थिति से हम गुजर रहे हैं, यदि सभी तरफ के लोगों का सहयोग मिले तो बहुत ज्यादा काम हम कर सकते हैं । यह बात याद रखनी चाहिये जैसा मैं पहले कह चुका हूं और फिर कहता हूं कि सोशलिज्म के माने यह है कि गरीब ऊपर उठें, देश उन्नत हो, सम्पन्न हो । यह नहीं होना चाहिये कि हम एक दूसरे का खंडन करें, आपस में लड़ कर एक दूसरे की आलोचना करें, इससे देश आगे नहीं बढ़ सकता है । हमको तो देश के गरीबों को ऊपर उठाने की दृष्टि से काम करना चाहिये न कि जो ऊपर हैं उनको नीचे खींच कर गिराने की दृष्टि से । अगर इस दृष्टि से हम काम करें तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं केवल एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी ने ऐसी कोई बात कही जो आपने नहीं कही थी ? स्पष्टीकरण तो केवल इसी तरह की बातों के लिये ही दिया जा सकता है ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मुझे अफसोस है कि माननीय मुख्य मंत्री जी कभी-कभी कुछ ऐसी बातें कह दिया करते हैं जो सत्य नहीं रहती हैं । उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय में एक पार्टी के नेता के भाषण के बारे में उन्होंने कुछ कहा ।

श्री उपाध्यक्ष---पार्टी का प्रश्न उठाने की इजाजत मैं नहीं दूंगा ।

श्री राजनारायण---पार्टी के बारे में ही उन्होंने कहा है ।

श्री उपाध्यक्ष---पार्टी के बारे में तो हजारों बातें कही जा सकती हैं । यदि माननीय सदस्य को कोई गलतफहमी हो तो उसके लिये पर्सनल एक्सप्लेनेशन हो सकता है । डाक्टर लोहिया के बारे में उन्होंने कहा ?

श्री राजनारायण---डाक्टर लोहिया का उन्होंने नाम नहीं लिया । हो सकता है कि उन्होंने हमारे बारे में कहा हो ।

श्री उपाध्यक्ष---आप के बारे में उन्होंने नहीं कहा ।

श्री राजनारायण---मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप मुख्य मन्त्री का काम न करें ।

श्री उपाध्यक्ष---यह परम्परा गलत होगी कि दूसरे नेताओं के सम्बन्ध में यदि कुछ कहा जाय तो . . .

श्री राजनारायण---यह भी परम्परा गलत है कि यदि किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में असत्य बात कही जाये तो उस का स्पष्टीकरण न करने दिया जाय और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो अंग्रेजी चला रहा है वह राष्ट्र का द्रोही है ।

अब मैं दूसरी बात कहता हूं । अभी-अभी मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि जब वह पद-यात्रा में गये थे, तो हमारे किसी भाषण में, शायद उस भाषण को उन्होंने पढ़ा नहीं, एक दरोगा की बात उन्होंने कही कि मैंने उसे मान लिया । सत्य बात जो श्री सम्पूर्णानन्द जी कहेंगे हम उसे मानेंगे, सत्य बात जो दरोगा जी कहेंगे हम उसे भी मानेंगे . . . .

श्री उपाध्यक्ष---यह पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं है ।

श्री राजनारायण---राजनारायण, रामनारायण त्रिपाठी तो नहीं हो जायेंगे । वह तो मैं कह ही रहा हूं, पर उसको मैं फट से कैसे कह दूं । मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि श्री सम्पूर्णानन्द जी जब पद यात्रा में गये थे, हमने ऐसा नहीं कहा कि सभी लोग जो उनके साथ गये थे डाकू और बदमाश थे । मगर वहां के दरोगा का कहना था कि श्री सम्पूर्णानन्द जी की पदयात्रा के समय वहां

[श्री राजनारायण]

ऐसी मूर्तियां भी थीं जिनका नाम डाकू और चोरों की लिस्ट में बराबर आता रहता है और वह लोग कल को जब चोरी करें तो हम हैरानी में पड़ जाते हैं, अगर हम कोई कार्यवाही उन पर करते हैं तो ऐसी कोई ताकत नहीं होती जो हमको बचा सके, हमारी सर्विस की सिक्योरिटी कर सके। इसलिये मैं अब भी चाहूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इस बात की जानकारी हासिल करें कि किन-किन विभूतियों ने उनका स्वागत किया था।

*श्री गेंदासिंह---उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी कृपा होती यदि मुख्य मन्त्री जी मेरी बात सुनते। मैं समझता हूं कि सिवा माननीय मुख्य मंत्री जी के मैं दूसरों की चर्चा कम करूंगा। मैंने इसी लिये उनको पहले कहला भी दिया था कि दस-पन्द्रह मिनट से ज्यादा वक्त मुझे नहीं चाहिये और मैं ऐसे सवालों को उठाना चाहता हूं जिनका जवाब हमको ही नहीं देना है बल्कि सारे देश को देना है। उन्होंने नापसन्द किया इस काम को, उन्होंने सुनना भी नापसन्द किया तो भी मैं आपके सामने उन बातों को अवश्य रखना चाहता हूं और भविष्य में अगर वह जरूरत समझें तो जवाब दें। पार्लियामेंटरी पद्धति में बजट एक ऐसा अवसर है जिसको बहुत महत्व दिया जाता है। बजट में जो सबसे मुख्य बात है और मैं समझता हूं कि सबसे मुख्य बात मानी जानी चाहिये थी उसको इस वक्त मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि छिपाया गया। क्या छिपाया गया है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

हमेशा इस बात की चर्चा की जाती है, और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी आल राउन्ड प्रोग्रेस की बात पहले ही नहीं अब भी की है। उन्होंने कहा है कि सारा देश प्रोग्रेस कर रहा है। मामूली गलतियां हो रही हैं, उन मामूली गलतियों की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाना चाहिये और जो सारे देश की प्रगति हो रही है उसमें सारे देश के लोगों को हाथ मिलाकर काम करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पर आपको और माननीय सदन को गौर करने को कहूंगा। मैं चाहता हूं कि देश किस तरफ जा रहा है, उसके गम्भीर रूप को सबसे पहले जरा समझा जाय। हमारी आमदनी १९५०-५१ में २६० रु० वार्षिक एक आदमी की थी हमने १९५०-५१ के बाद ८ वर्षों तक लगातार अरबों रुपया खर्च किया और शासन के ऊपर बड़ी वृद्धि की, बहुत अक्लमन्दी से काम किया, मिनिस्टरों ने रात-रात जग कर नक्शे बनाये, प्लान बनाये और उन प्लान्स पर काम किया। इतना सब होने पर भी कहां पहुंचे जरा गौर कीजिये। सन् १९५०-५१ में २५९.९ परकैपिटा इनकम थी वह १९५७-५८ में २४८.८ रुपये पर पहुंच गई। अरबों रुपया खर्च करने के बाद, हमारे सारे मिनिस्टरों की मेहनत के बाद, सारे देश के प्लानिंग में लगने के बाद हम यहां पहुंच गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी गम्भीर बात है। अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये स्टैटिस्टिक्स जो हैं वे दुनियां के सब झूठों के बाप हैं।

एक सदस्य---यह नहीं कहा।

श्री गेंदा सिंह---अच्छा जाने दीजिये। जो कुछ भी कहा। हम ऐसा समझते थे कि इन स्टैटिस्टिक्स में सचमुच फर्जी बातें भी रहती हैं। आज हम इन आंकड़ों को आधार मान लें क्योंकि दूसरे आंकड़े नहीं हैं इसलिये इन्हीं को आधार मानना पड़ेगा। अगर हम आधार मानते हैं तो क्या हम मुख्य मंत्री जी से यह पूछने के हकदार नहीं हैं कि बड़ी बुद्धिमत्ता से इतने रुपये खर्च करने के बाद आज हमारे देश में इतने नंगे-भूखे लोग क्यों हैं? इतनी टैक्सों की भरमार होने के बाद और उसकी वसूलयाबी के बाद उस रुपये को इस तरीके से खर्च करते हैं कि उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता है। बल्कि हमें यह कहना चाहिये कि हम चार कदम पीछे चले जाते हैं। फिर अब हम यह तो मान लें कि हमारी नेशनल इनकम घट रही है। हम तो नेशनल इनकम बढ़ाने चले थे, लेकिन वह घट रही है। हम बड़ी तेजी से चले थे, लेकिन हम चार कदम पीछे हट गये। ८ वर्षों में हम इतने पीछे हट गये यह सोचने की बात है। बहुत-सी बुराइयां हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि मुख्य मंत्री जी आज जाने या अनजाने भारतवर्ष में जो प्रजातंत्र है उस प्रजातंत्र के विरुद्ध जहाद क्यों बोले हैं। जो कुछ भी बुराई हो जाय उसके लिये मुख्य मंत्री जी फौरन कह देते हैं कि आज तो डेमोक्रेसी है। बड़ी तनख्वाहें नहीं घटाई जा सकतीं क्योंकि आजकल डेमोक्रेसी है भुखमरी इसलिये दूर नहीं की जा सकती क्योंकि डेमोक्रेसी है। ब्लैकमार्केटिंग इसलिये दूर नहीं की जा सकती क्योंकि डेमाक्रेसी है। गरीबी इसलिये दूर नहीं की जा सकती क्योंकि डेमाक्रेसी है। करप्शन इसलिये दूर नहीं हो सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी है।

(इस समय १ बजकर ३१ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री वीरसेन पीठासीन हुए।)

इस तरह से वे बोल रहे हैं। झारखंडे राय जी का डिक्टेटरशिप तो उनको पसन्द नहीं है। किसी न किसी रूप में वे डिक्टेटरशिप को पसन्द तो करना चाहते हैं, लेकिन माननीय झारखंडेराय का डिक्टेटरशिप उनको पसन्द नहीं है। इस डेमाक्रेसी में सारी बुराइयां दूर नहीं हो सकतीं वे ऐसा कहते हैं, लेकिन उनको खुलकर कहना चाहिये। अगर खुलकर कहें तो उस पर सारा देश विचार करेगा। कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप नहीं चाहते फिर वे इलाज बतायें। उन्होंने इलाज बताया भी। उन्होंने बड़ी बोल्डली कहा कि उद्योगपतियों का नाम लेते हो उनकी मदद करो। वे कहते हैं कि हम उद्योगपतियों की मदद करेंगे और ऐसी मदद करेंगे, जिस मदद में उद्योगपति तो बढ़ें, लेकिन उसी के साथ-साथ सारे देश के गरीब लोग और अधिक गरीब हों। यह उन्होंने साहस के साथ माननीय सदन में कहा। मैं देख रहा हूं इंडस्ट्री के बहुत हामी हैं, चलाना चाहते हैं। दूसरे प्रदेशों की इंडस्ट्री को यहां लाना चाहते हैं। मालूम नहीं कहां से बोल रहे हैं। क्या बंगाल, मद्रास, पंजाब वाले सुन नहीं रहे हैं। क्या वह इतना सोये हुये हैं कि उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर सारे प्रदेशों की इन्डस्ट्री को निकाल कर ले आये और वह चुप रहें, तमाशा देखते रहेंगे। फाइनेन्स के सिलसिले में ब्रज मोहन बिरला ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेन्ट से जब रुपया लेने का वक्त होता है प्रोजेक्ट्स के लिये तो हमको क्या मिलता है। इसको यदि छोड़कर अनाजों की दूकानों को देखें अभी ४ दिन पहले अजीत प्रसाद जैन जी ने कहा था कि ४८ हजार दूकानें सारे देश में हैं और इस उत्तर प्रदेश में ४,००० या ४,५०० हैं। जो छठां हिस्सा मालूम होता है। आज अनाज का भाव जितना महंगा उत्तर प्रदेश में है उतना भारतवर्ष में कहीं नहीं है। यू० पी० को हक़ नहीं है ४८,००० में से छठां हिस्सा भी ले सके। यू०पी० को दूकानें नहीं मिल सकती हैं, लेकिन इंडस्ट्री मार ले आयेंगे और हमारे सामने यू०पी० के चैम्पियन बनेंगे। यह बदकिस्मती की बात है। उदाहरण के तौर पर कानपुर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को श्रीमन्, आप देखिये, उसकी क्या हालत है? इसके बाद शुगर इंडस्ट्री की भी यही हालत होने वाली है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने सुनना गवारा नहीं किया, शुगर इंडस्ट्री आज कहां जा रही है, क्यों जा रही है, इसके लिये इलाज क्या सोचते हैं। गन्ने की खेती ज्यादा है। खेती तो बढ़ती जाती है, लेकिन उत्पादन कम होता जा रहा है। आज से ३ वर्ष पहले जितना उत्पादन हुआ था उससे कम पिछले साल हुआ और अब के साल पिछले साल से भी कम हुआ। आप को इस इंडस्ट्री की मदद के नाम पर क्या करना है। आप खंडसारी बन्द करना चाहते हैं जिससे गुड़ के दाम न बढ़ने पावें, कोल्हू न चले और काटेज इन्डस्ट्री न चले और इसके द्वारा जो लोगों को रोजगार मिलता है वह न मिले। मैं समझता हूं शायद यह हिम्मत न पड़ेगी। लेकिन आज यह खर्चा है इन्डस्ट्रीलिस्ट यह चाहता है कि खंडसारी और गुड़ बन्द कर दिया जाय और हमको छूट हो जाय हम जिस भाव चाहें गन्ना खरीदें और गन्ने वालों को लूट सकें।

अधिष्ठाता महोदय, अगर वह होते तो मुझे कहने में उत्साह होता, कम से कम वह सुनते, वह हुक्मरा हैं। ६ करोड़ ३२ लाख लोगों के भाग्य विधाता हैं। उनसे मैं यह प्रार्थना करूंगा कि प्रजातंत्र की डाल पर बैठकर के उस डाल को काटने की कोशिश न करें। एक मोटी बात मैं कहता हूं कि प्रजातंत्र के रहने में एडल्ट फ्रैन्चाइज रहेगा। बालिग मताधिकार रहता है और बहुमत भूखा नंगा रहे तो बालिग मताधिकार और उसके साथ-साथ बराबर यह गरीबी, दरिद्रता, विषमता कैसे चल सकती है, यह नहीं चल सकती है। इसके लिये सोचना होगा।

[श्री गेंदासिंह]

आप ने सीलिंग मुकर्रर करने की बात कही, कोआपरेटिव फार्मिंग की बात कही और स्टेट ट्रेडिंग की बात कही। इसके माने यह हैं कि आप नया समाज बनाना चाहते हैं, वह समाज जिसमें भूखा-नंगा न होगा, जिसमें किसी के पास इतनी दौलत न होगी जो दूसरों को खरीद सके। ऐसे समाज की रचना के लिये हम सोचते थे कि नागपुर के सेशन के बाद हमारा जो बजट आयेगा वह इस पर आधारित होगा। नागपुर की बातों की चर्चा इस बजट में नहीं है।

इस समय अधिक समय नहीं है कि सीलिंग, कोआपरेटिव फार्मिंग और स्टेट ट्रेडिंग पर व्यापक रूप से कुछ कहा जा सके, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि अगर आप अच्छी नीयत से, अच्छे ढंग से देहातों में काम करेंगे तो सारे देश के लोग आपसे सहयोग करेंगे और आप के पीछे होंगे।

आज सीलिंग न होने से बड़ा विरोध हो रहा है। यह बात सही है कि जमीन कम है। आप सबको नहीं दे सकेंगे। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव सारे देश में पड़ेगा और कम से कम नये समाज की रचना की कल्पना लोग करने लगेंगे जिसमें न तो ऊंचे होंगे, न भूखों मरने वाले और न नंगे रहने वाले होंगे। तथा एक ऐसी रचना होगी समाज की जिसमें कि लोग सुख तथा इज्जत के साथ रह सकें। अब कोआपरेटिव फार्मिंग के बारे में बड़ी चर्चा है और यह सफाई हो गयी कि दबाव डाल कर कोआपरेटिव फार्मिंग नहीं करना चाहते। पहले सीलिंग मुकर्रर कीजिये और उसके बाद जो जमीन निकलती है उसका बटवारा कीजिये भूमिहीनों में और उसका बटवारा करके कोआपरेटिव फार्मिंग कीजिये। उसका नतीजा सामने आयेगा। अगर नतीजा अच्छा होगा तो सारे देश के लोग आकर्षित होंगे। तो फिर कोआपरेटिव फार्मिंग के विरुद्ध कहीं कोई हो नहीं सकता लेकिन बिना सीलिंग के कोआपरेटिव फार्मिंग की चर्चा नहीं की जा सकती, न उससे कोई लाभ है और न वह मनोविज्ञान पैदा हो सकेगा।

हमारे सूबे में लगभग १ अरब रुपये की चीनी पैदा होती है और लगभग इतने ही रुपये का गुड़ पैदा होता है। इन दोनों व्यापारों में एक बड़ी भारी संख्या लोगों की लगी हुई है। लेकिन जैसा कहा गया मैं नहीं समझता कि कोआपरेटिव केन फेडरेशन को यह अख्तियार है कि वह अपने सौदे का मोल-तोल कर सके। सरकार जो हुक्म दे उसको किसी मिल को सप्लाई करना होगा, यह काम है।

यह चर्चा की जाती है कि गन्ने की कीमत बढ़ायी तो अन्न की कीमत बढ़ जायगी। अधिष्ठाता महोदय, मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। १९५५-५६ में ४६७·७ लाख एकड़ जमीन में गल्ले की खेती हुई, ५६-५७ में ४७५.५ लाख एकड़ जमीन में और ५७-५८ में ४६७.९ लाख एकड़ जमीन में अन्न की खेती हुई और उसी अनुपात से इसी समय में ३४.१ लाख एकड़, ३४.७ लाख एकड़ और ३४.५ लाख एकड़ जमीन में क्रमशः अन्य पदार्थों की खेती हुई। यह देखते हुये मैं नहीं समझता कि गन्ने की कीमत इतनी रिम्यूनरेटिव दिखाई पड़ती है जिससे गन्ने की खेती बढ़ जायगी। यह जो अन्न की खेती के लिये ४७५ लाख एकड़ जमीन जोती जा चुकी थी इसमें से ८ लाख एकड़ दूसरे वर्ष कम हुई लेकिन गन्ने की खेती बढ़ी नहीं यह बात भी विचारणीय है।

मैं आपसे कहता हूं कि बम्बई का किसान ३५ टन एक एकड़ में पैदा करता है इसलिये उसको १ रुपये १२ आने मन मिलेंगे। मद्रास और आंध्र के किसान ३० टन से ३५ टन फी एकड़ में पैदा करते हैं इसलिये उनको १ रुपये ११ आने फी मन कीमत मिलेगी लेकिन चूंकि यू० पी० का किसान कम पैदा करता है और उसकी लागत ज्यादा लगती है इसलिये उसको कीमत ज्यादा नहीं दी जायगी।

मैं अन्त में एक बात कहना चाहता हूं कि अजीत प्रसाद जी ने पार्लियामेंट में कहा कि हमने यह कीमत निम्नतम मुकर्रर की है और इसके साथ साथ उन्होंने यह कहा कि कुछ करोड़ रुपये लोगों को मिले हैं। किसने दिलाया? बम्बई, मदरास तथा आंध्र स्टेट गवर्नमेन्ट ने दिलाया। यू०पी० की स्टेट गवर्नमेन्ट जो है वह कहती है कि हम इंडस्ट्री की मदद करेंगे लेकिन

किसानों की मदद नहीं करेंगे और किसान अगर गन्ने को नहीं देगा तो उसका डंडे से सर तोड़ेंगे। अन्त में मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं, मैं समझता हूं कि राजबिहारी सिंह जी मुख्य मंत्री जी तक इस बात को पहुंचा देंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गन्ने की वकालत करने के एवज में मुझे यह धमकी मिली कि मेरा सिर तोड़ा जायगा और उस सिर तोड़े जाने से मैं यह नहीं कहता कि कोई आदमी उससे बरी है। मेरे सिर तोड़ने की साजिश जो थी वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की होती है या सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस की होती है तो मैं नहीं समझता कि डी०एम० और सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस इन कुर्सियों से बहुत दूर हैं। इस बात की कोशिश की गई कि बलवा कराया जाय। हम बराबर कहते हैं कि किसान सरकार के खिलाफ नहीं है, किसान सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार ने बंदूकें, तलवारें, डंडे और अपनी सारी ताकतों को लेकर के किसानों की इस लेजीटिमेट डिमांड को दबाने में कुछ नहीं उठा रक्खा और मेरे साथ जो बर्ताव किया गया वह तो मैं समझता हूं कि वह मेरे साथ कर लें। लेकिन मैं यह बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो किसान के साथ बर्ताव किया जा रहा है यह बर्ताव डेमोक्रेसी के खिलाफ है और डेमोक्रेसी खतरे में है। इन बातों को रखते हुये मैं कहूंगा कि कुछ सोचा जा सके तो अच्छा है। कम से कम डेमोक्रेसी की डाल पर बैठकर उसे काट कर न गिरायें। यह एक बहुत अहम सवाल है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—प्वाइंट आफ आर्डर। अभी बहुत से वक्ता बोलने के इच्छुक हैं। इसलिये टाइम लिमिट जो है उसको कम कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—मैं समझता हूं कि समय इससे कम करना ठीक नहीं है।

***चौधरी दाताराम** (जिला सहारनपुर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं, वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये और कुछ सुझाव देने के लिये खड़ा हुआ हूं। अधिष्ठाता महोदय, आज हमारे प्रदेश में काफी तरक्की हो रही है। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं, हां, ऐसी बात जरूर है कि बहुत-सी बातों में कमियां भी हैं और उन कमियों को दूर करने के प्रयत्न भी किये जा रहे हैं, और करने चाहिए। हमारे इस प्रदेश में शिक्षा के लिये इस बजट में काफी रुपया रक्खा गया है?। १,४२५ प्राइमरी स्कूल दहातों के लिये और मंजूर किये गये हैं। नये विकास खंड खोले जाएंगे। सिंचाई का काम बढ़ेगा। ट्यूबवेल खोले जाएंगे। इस तरह के बहुत से ऐसे काम हैं जिनसे उम्मीद है कि देहातों को काफी फायदा होगा। लेकिन साथ ही साथ मैं एक और बात निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इस प्रदेश में जहां और कामों में तरक्की हो रही है वहां एक और बात में भी तरक्की हुई है और वह काम है राज्य-आबकारी। मेरा मतलब कहने का यह है कि शराब की आमदनी में भी काफी बढ़ोत्तरी हो रही है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बतलाया कि ५७–५८ का जो मूल बजट था उसमें राज्य-आबकारी और जंगलात के विषय में ९५ लाख और ७५ लाख रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है। दूसरे माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि पिछले साल ५८–५९ में राज्य-आबकारी, स्टाम्प, जंगलात और मोटर वेहिकिल्स के टैक्सेशन से अधिक आय के कारण १२७ लाख रुपए की बढ़ोत्तरी हुई है। जब मैंने हिसाब लगाया तो राज्य आबकारी से २७ लाख रुपए की बढ़ोत्तरी हुई है और १०७ लाख की दूसरी मदों से हुई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां और मदों में तरक्की हो रही है वहां पर राज्य आबकारी के महकमें में भी तरक्की हुई है और आबकारी से आय बढ़ रही है। एक तरफ तो आबकारी की आय बढ़ रही है और दूसरी तरफ मद्यनिषेध पर भी व्यय हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर बात क्या है, या तो ग्रामों में और शहरों में सब जगह मद्यनिषेध का महकमा ही तोड़ दिया जाय ताकि जो खर्च हो रहा है वही कम हो जाय और जनता पर टैक्स का बोझ कम हो जाय।

मुझे अपने जिले की एक बात अर्ज करना है कि वहां पर एक अजीब धन्धा हो रहा है। पहले यह होता था कि शराब की दूकानें किसी कोने में या पीछे हटकर होती थीं लेकिन अब तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[चौधरी दाताराम]

स्कूल, कालेज के पास और चौराहों पर सरेआम खुल रही हैं। सहज में गये और बोतल दबा लाये बगल में और पी डाली। सहारनपुर जिले में मोटर के अड्डों पर, आम चौराहों पर कोनों से बाहर निकल कर दूकानें लगा ली गई हैं ताकि मोटर से उतर कर लोग आसानी से शराब पी सकें। कभी-कभी मैं भी हजरतगंज चला जाता हूं तो जिस तरह से वहां जगह-जगह पर सिनेमा के और एक्ट्रेसेज के पोस्टर्स लगे रहते हैं उसी तरह से बड़े-बड़े साइनबोर्ड चौराहों पर लगे रहते हैं जिन में बोतल बनी रहती है बड़ी खूबसूरती से और लिखा रहता है कि यहां शराब की दूकान है। मिसाल के तौर पर मैं बताऊं कि सहारनपुर जिले के मुकाम नकुड़ में पहले बिलकुल कोने में एक दूकान थी लेकिन अब वह मोटर के अड्डे पर खास चौराहे पर पहुंच गई है और सैकड़ों आदमी वहां मोटर से उतरते और चढ़ते शराब पीते हैं। इसी तरह से छितवनपुर वगैरह में भी आम चौराहों पर दूकानें खुली हुई हैं और खूब जोर का प्रापेगेन्डा उनका हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि इसका क्या कारण है और क्यों इस बात की इजाजत दी जाती है।

हर जिले में मद्यनिषेध के सम्बन्ध में एडवाइजरी बोर्ड होता है जिसमें कुछ विधान सभा सदस्य और गैर-सरकारी आदमी भी होते हैं। हमारे यहां सहारनपुर जिले की बोर्ड ने एक प्रस्ताव सन् ५६ में पास किया था कि वहां की जो दो दूकानें फंदपुरी और झबरेड़ा की हैं उनके कारण बहुत चोरी और बदमाशियां बढ़ रही हैं, उनको वहां से हटाया जाय लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। उस के बाद उसी बोर्ड ने सन् ५७ में फिर एक रेजोलूशन पास किया कि हमने सन् ५६ में जो रिजोलूशन पास किया था कि वह दूकानें वहां से हटा ली जायं उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, इसलिये वह इस साल जरूर हटा दी जायं लेकिन उस पर भी कोई असर नहीं हुआ। फिर मैं, आबकारी के मिनिस्टर इस वक्त नहीं हैं, उनसे मिला और उनसे कहा कि वहां की शिकायतों को हटा दीजिये। उन्होंने कहा कि आप अपने जिले के सब एम० एल० एज० के दस्तखत करा के मुझे दीजिये, मैं कोशिश करूंगा। मैंने साहब वह भी किया, सब एम० एल० एज० के दस्तखत कराये, सिवाय एक के जो कांग्रेस टिकट पर नहीं हैं। आखीर में इनकार हो गया और आज भी वह मामला वैसे ही पड़ा है। उसी तरह से वह कायम है। उनमें कुछ लोगों की चांदी बन गयी, क्योंकि जलजला तो कुछ आया ही। मेरा कहना यह है कि पंचसाला योजना के लिये अगर हमको रुपये की जरूरत है तो क्या वह रुपया लोगों को शराब पिलाकर इकट्ठा किया जायगा? मेरे खयाल में तो पंच साला योजना का यह भी ध्येय होना चाहिये कि लोगों के चरित्र ठीक रहें। अगर चरित्र ठीक नहीं होगा तो मुल्क में बहुत भ्रष्टाचार, घूसखोरी और बेईमानी बढ़ेगी, वह खत्म नहीं होगी। क्या यह जो सड़कें, रेलें, नहरें बन रही हैं इन पर चोरों, डकैतों को चलवायेंगे? चलने वाले का चरित्र भी तो ठीक होना चाहिये। मैं समझता हूं कि अच्छे काम के लिये साधन भी अच्छा होना चाहिये। अच्छा निर्माण करने के लिये रुपया भी अच्छे ढंग से आना चाहिये। अगर खराब तरह का रुपया आयेगा तो मुल्क में खराबी पैदा करेगा। मैं समझता हूं, मंत्री जी इसे नोट करें और हमारे ऊपर जरा कृपा करके उन दुकानों को तो बन्द कर ही दें जिससे देहातों में जो गड़बड़ी हो रही है वह दूर हो।

दूसरी बात, मुझे सिंचाई के बारे में, अधिष्ठाता महोदय, कहनी है। जहां तक कि सिंचाई का ताल्लुक है उसमें काफी तरक्की हो रही है, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं, लेकिन बाज दफा ऐसी कुछ गड़बड़ी हो जाती है कि जैसे मसल है, "आसमान से गिरा और खजूर में अटका"। १५ सितम्बर की विधान सभा की कार्यवाही है, इसमें सिंचाई मंत्री, श्री राममूर्ति जो उस वक्त थे उन्होंने विधान सभा में मेरे प्रश्न के उत्तर में घोषणा की थी कि पूर्वी जमुना नहर पर आबपाशी का एक-तिहाई फसल में माफ कर दिया जायगा, लेकिन बदकिस्मती यह हुई कि वह आबपाशी लोअर डिवीजन में कर दी गयी, अपर डिवीजन में नहीं हो सकी। आज उसका कागज चल रहा है, सुना है मंजूर भी हो गयी लेकिन फाइल इधर-उधर धक्के खाती फिर रही है। मैं उम्मीद करता कि इस पर शीघ्र कार्यवाही की जायगी।

दूसरी बात मुझे एक और निवेदन करनी है कि हमारे जिले की सड़क पर पंजाब की जो हद लगती है वहां पर पंजाब सरकार ने जमुना नदी पर बड़े-बड़े बांध-बांध दिये हैं और वह यू० पी० गवर्नमेंट की रजामन्दी से बांधे हैं। वह चाहे उन्होंने किसी तरह से बांधे हों, लेकिन ३ बांध उन्होंने, एक तो कुंजपुर में, एक मेरठ के पास लौनी में और एक बुलन्दशहर जिले में। तीनों बांध यू० पी० सरकार की मंजूरी से बांधे हैं। उन्होंने कहा ३ बांध इनके बदले में बांध दो। हमारी सरकार कहती है कि हमारे पास रुपया नहीं है। जब रुपया नहीं था तो मंजूरी क्यों दी? जहां पहले से दरिया बहता था आज उन्होंने गल्ले की पैदावार खड़ी कर दी है, वहां पानी का रुख ही बदल गया है। आज सैकड़ों गांव इस काल के मुंह में जायंगे ही। यह तो अच्छा हुआ पिछले साल इस नदी में इतनी बाढ़ नहीं आयी वरना इस साल सैकड़ों गांव बरबाद हो जाते। मैं समझता हूं कि सरकार इन सुझावों पर ध्यान देगी और वह बांध जल्दी ही बांध देगी।

*श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का समय दिया। मैंने वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट और उस पर लोगों के भाषण बड़े गौर से सुने हैं। प्रस्तुत बजट को क्रान्तिकारी बजट या समाजवादी बजट या कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने वाला बजट कोई भला आदमी नहीं कह सकता। ऐसा कह कर तो जनता को भ्रम में डालना और शोषण तथा पूंजीवाद का प्रबन्ध करना है। यह बजट एक नमूना है। इसमें कुछ लोगों की थोड़ी बहुत तनख्वाह बढ़ायी गई है। यह एक उदाहरण है जैसे कि जनता में कहा जाता है कि गुड़ देकर के पत्थर मारना या यों कहिये कि जब चोर या डकैत अंधेरी रात में किसी गांव में चोरी करने के इरादे से जाते हैं जब कि सब आदमी सोये हुये होते हैं तो कुत्ते उन्हें देखकर आदमियों को जगाने के लिये भोंकते हैं। तो चोर और डकैत उन कुत्तों को खाने के लिये कोई ऐसी चीज दे देते हैं जिससे वे भौंकना बन्द कर दें। तो मेरी राय में यह थोड़ी-सी बढ़ोत्तरी दिखला कर पूंजीवाद को बढ़ाने की कोशिश की गयी है। इसका उदाहरण यह है कि इसमें बड़े-बड़े पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, व्यापारियों पर से बिजली का कर माफ कर दिया गया है जब कि वे हर प्रकार से उसे देने में समर्थ हैं। इसके विपरीत सारे प्रान्त भर में गरीब किसानों से ९–९ साल का पुराना पंचायत टैक्स और पिछले साल लगाया हुआ बागों का टैक्स उस हालत में वसूल किया जा रहा है जब कि देश में भुखमरी फैली हुई है, जबकि किसान पैसे के अभाव में अपने खेत में बीज नहीं डाल सका है, जबकि आज लोगों के पास जाड़ों में ओढ़ने के लिये कपड़ा नहीं है। ऐसी हालत में ये टैक्स वसूल किये जा रहे हैं कि इसकी मिसाल किसी दूसरी जगह नहीं मिल सकती। इससे यह साबित होता है कि यह बजट हर माने में पूंजीवाद और शोषण को पनपाने वाला बजट है। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि यह स्वतंत्रता का बजट नहीं है क्योंकि प्रातः स्मरणीय पूज्य बापू ने स्वतंत्रता के लिये कहा था कि स्वतंत्रता का मतलब है कि हर व्यक्ति अपनी उन्नति करने में स्वतंत्र हो, बगैर किसी का अधिकार लिये और बगैर किसी को कष्ट पहुंचाये हर किसी के पास कमाने और खाने के साधन हों। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस बजट में ऐसी कोई झलक दिखायी दे रही है जिसके द्वारा हम यह आशा कर सकें कि हर आदमी अपनी प्रगति करने में स्वतंत्र होगा बगैर किसी की मेहनत का फायदा उठाये हुये और हर किसी के पास कमाने खाने के साधन होंगे। ऐसी कोई सूरत हमको इसमें नहीं दिखायी पड़ती। पंचायत टैक्स इस बर्बरता के साथ वसूल किया जा रहा है और खासकर प्रतापगढ़ जिले की कुन्डा तहसील में, जो मेरा क्षेत्र है, जहां का मैं प्रतिनिधि हूं कि लोगों को मुर्गा बनाया जाता है, पीटा जाता है और इसके उदाहरण के रूप में आज भी कुंडा तहसील की हवालात में दो आदमी ग्राम पंचायत का टैक्स दे सकने में असमर्थ होने के कारण बन्द हैं।

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---ग्राम पंचायत टैक्स सरकार का कर नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नन्दराम--लेकिन अफसोस यह है कि सरकार का टैक्स न होते हुये भी सरकार के कलेक्शन अफसर और कुर्क अमीन इसे वसूल कर रहे हैं । सरकारी टैक्स नहीं है तो फिर सरकार इसकी वसूली में गिरफ्तारियां क्यों कर रही है, कुर्की क्यों करा रही है ? सरकार उनकी कुर्की क्यों कर रही है ?

श्रीमन्, मुझे पंचायत टैक्स की अवैधानिकता के बारे में भी कुछ कहना है । मैं पहले भी कह चुका हूं और अब भी कहता हूं कि यह टैक्स अवैधानिक है । यह इससे सिद्ध होता है कि यह टैक्स किसानों के खेत के लगान पर लगाया जाता है । मुझे निवेदन करना है कि खेती भी एक धंधा है, जैसे वकालत है, व्यापार है, डाक्टरी है, सर्विस है और जितने भी धंधे हैं उन सब पर इन्कम टैक्स लगाया जाता है। लेकिन एक खास आमदनी के बाद लगाया जाता है। पहले शायद उसकी लिमिट ४,२०० रुपये थी और अब शायद उसको घटाकर ३,००० रुपये कर दी गई है । इतनी आमदनी पर कोई इन्कम टैक्स नहीं लगता है इससे ज्यादा आमदनी वालों पर लगता है। लेकिन किसान ऐसा बदबक्त है, उसका ऐसा धंधा है कि जिसकी आमदनी का कोई खयाल नहीं रखा गया है । उसको तो लगान देना लाजमी है चाहे उसके पास ५ बिस्वा जमीन हो, चाहे एक बीघा जमीन हो, चाहे उसके बच्चे भूखे मरें लेकिन उसको लगान देना लाजमी होगा । यह कहां का न्याय है, यह कहां की ईमानदारी है, यह कहां का जनतंत्र है, यह कहां का समाजवाद है और यह कहां के कल्याणकारी राज्य के स्थापित करने की घोषणा है ?

दूसरे यह कि यह टैक्स उन लोगों पर लगा हुआ है जो घोड़ा रखते हैं, गाड़ी रखते हैं या दुकान करते हैं और मजदूरों तक पर लगा हुआ है । गांव पंचायत गांव की है और म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया यह शहरों की है । यह नियम है कि इनमें टैक्स लगता है तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का टैक्स हट जाता है । लेकिन गांव पंचायत जो गांव की म्युनिसिपैलिटी है उसका टैक्स लगता है तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का टैक्स भी लगता है । इसलिये यह अवैधानिक है ।

दूसरा कारण इसका यह भी है कि हमारे गांव से जो आमदनी होती है, जिसके बल से राज्य चल रहा है और मंत्री लोग बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं क्या उसकी आमदनी में से उनको भी कुछ पैसा मिलता है ? न्याय तो यह कहता है कि जो गांव पंचायत की आमदनी हो उसके चार भाग होने चाहिये । क्योंकि हमारे देश में चार हुकूमतें हैं जैसा कि सोश लिस्ट पार्टी कहती है । इस लिये एक चौथाई हिस्सा देहली की सरकार को, एक चौथाई प्रदेश की सरकार को, एक चौथाई जिला की हुकूमत को और एक चौथाई हिस्सा गांव पंचायत को मिलना चाहिये । यह अवैधानिक है इसलिये बर्बरता और जालिमाना ढंग से वसूल हो, लोग जेल में बन्द हों और उनकी गाय-भैंस कुर्क की जांय यह एक ताज्जुब की बात मालूम होती है । पंचायत टैक्स में एक और गम्भीर बात है । कमाल की बात है कि पंचायत टैक्स का नियम है कि जितना कर किसान पर लगे उसका आधा वहां के भू-स्वामी पर लगे । यह माना कि अब भू-स्वामी नहीं हैं, लेकिन नौ साल पहले का कर वसूल किया जा रहा है । उस समय तो भूस्वामी थे । लेकिन उन भूस्वामियों से कोई भी कर वसूल नहीं हो रहा है । कोई भी कर्मचारी उनसे कर वसूल करने की हिम्मत नहीं कर रहा है । न उनकी कुर्की हो रही है, न उनकी गिरफ्तारी हो रही है । कोई उनसे नहीं बोलता है । लेकिन उन भूखे गरीब किसानों और छोटे-छोटे दूकानदारों को जेलों में बन्द किया जाता है ।

अब मैं थोड़ा-सा खाद्य समस्या के बारे में भी कहना चाहता हूं । हां, एक बात श्रीमन्, बागों के सिलसिले में भी कहनी है । बागों पर हमारे जिले प्रतापगढ़ में सन् ६० से लगान लिया गया और उन बागों पर लिया गया जिनमें कभी खेती नहीं हुई है, जिनमें काफी पेड़ भरे हुये हैं । यह कहां की ईमानदारी है ? जब कहा जाता है तो अफसर कहते हैं कि दरख्वास्त दो। कितने ही बाग के मालिकों ने दरख्वास्तें दे रखी हैं। न उनकी कोई इन्क्वायरी हो रही है, न कोई जांच हो रही है, न कोई सुनवाई हो रही है । और इस बजट को समाजवादी बजट कहा जाता है जिसमें कि पूंजीपतियों पर बिजली का कर माफ किया जाता है जो कि आसानी से वसूल हो सकता

है । लेकिन गरीब जनता जो देने में असमर्थ है, जो भूखों मर रही हैं, जिनके बच्चे तड़प रहे हैं उनसे सन् ६० से आज तक का बाग कर वसूल किया जाय, और पंचायत कर वसूल किया जाय यह शर्म की बात है और अफसोस की बात है ।

खाद्य-समस्या के बारे में बड़ी दोहाई दी जा रही है। खास तौर से सुल्तानआलम साहब ने बड़ा जोर दिया था। खाद्य समस्या गवर्नमेंट कहती है मगर सुलझाना नहीं चाहती है। खाद्य समस्या सुलझाने के जो उपाय हैं गवर्नमेंट उनमें से एक को भी नहीं करना चाहती। खाद्य समस्या तभी सुलझेगी जब हमारे देश की खेती की उपज बढ़ेगी और उपज बढ़ने के जो कारण हैं उन्हें सरकार करना नहीं चाहती। उसके लिये यह आवश्यक है कि सिंचाई की दर सस्ती की जाय । एक तरफ बिजली कर सरकार माफ कर सकती है लेकिन किसानों पर सिंचाई की दर कम नहीं कर सकती । कम करना तो अलग रहा ऐसे उदाहरण हैं, कोई मेरे साथ चले कुंडा क्षेत्र में, मैं उसे दिखलाऊं । एक एक नम्बर दो दो परचों में भरे हुये हैं। कितने ही काश्तकारों की ज्यादा जमीन भर दी जाती है जबकि वह बेचारे सींचते तक नहीं और परचे तब दिये जाते हैं जबकि उज्रदारी का समय निकल जाता है। नहर से एक दफा पानी दे दिया जाता है। काश्तकार ने पलेवा कर लिया। सिंचाई कर ली। खेत बो लिया। अब उसके बाद पानी नहीं दिया जाता। उसका बीया भी मारा जाता है, पैदावार कहां से हो। इसलिये अगर गवर्नमेंट खाद्य समस्या को हल करना चाहती है तो किसान के लिए सस्ती सिंचाई, सस्ते बीज और खेती के सस्ते औजार का प्रबन्ध करना होगा।

श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे समय दिया, मैं इसके लिये आपका आभारी हूं। मुझे बड़े दुख के साथ यह कहने का अवसर मिला है कि माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में जो कहा है कि हमारा समाजवादी बजट है उसमें उस समाज का कहीं भी जिक्र नहीं आया जो कि उस समाज का एक खास अंग है। मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि आज हरिजनों के बारे में माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कुछ भी नहीं कहा है। हमारे विरोधी दल के नेता उपस्थित नहीं हैं सदन में, मैं उनसे भी यह कहता कि उन्होंने भी अपने भाषण में इस समाज का नाम नहीं लिया। बड़े दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि जो समाज आज सारे समाजकी सेवा करता हो, जो अपने को किसी तरह अग्रसर न समझता हो उसकी तरफ सरकार का कतई ध्यान नहीं है। मैं यह जानता हूं कि आज हमारे पूज्य गांधी जी नहीं हैं अगर वे होते तो मैं समझता हूं कि सब के सामने यह समस्या होती कि हरिजनों की दशा ऐसी है जिसको ऊपर उठाया जाय। लेकिन आज यहां पर बैठ कर गांधी जी के सिद्धान्तों को भुलाया जाता है। वह यह समझते हैं कि उनको अपने लिये करना चाहिये। गवर्नमेंट जो पैसा समाज के लिये देती है उस समाज के लिये वह खर्च करती है जहां पर मेरा-तेरी की बात है । मैं देखता हूं कि हरिजनों की समस्या को हल करने के लिये कोई तवज्जह नहीं दी जाती है । आज गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन तो बना रखा है, लेकिन क्या आज रिजर्वेशन की नीति को बरता जा रहा है। मैं १० साल से देख रहा हूं कि १८ फीसदी का कोटा पूरा नहीं किया जा रहा है । मैं सन् १९४८ से यह देख रहा हूं कि सरकार ने इस बात को कहा था कि हम १८ फीसदी हरिजन अपने विभागों में लेंगे लेकिन वह आज तक पूरा नहीं कर पाई है ।

अधिष्ठाता महोदय, आज मुझे यह मौका मिला है और आप भी उसी समाज के प्रतिनिधि हैं । आप यह जानते हैं कि इस समाज के साथ क्या-क्या बीतती है। हरिजन यह समझते थे कि आजादी मिलेगी तो उनको कुछ आराम मिलेगा । वह यह समझते थे कि जमींदारी के खात्मे के बाद उनको खुशी के दिन देखने को मिलेंगे और जो यह बेगारी ली जाती है वह भी नहीं ली जायगी । आज जमींदारी के खत्म होने पर पंचायतों और गांव समाजों की रचना की गई है परन्तु हरिजनों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसको मैं यहां पर बयान नहीं कर सकता । समझ में नहीं आता कि सरकार की क्या नीति है । आज जो हरिजन अपनी नौकरी के लिये गांव छोड़ देते हैं उनकी जमीन को छीन लिया जाता है । जमींदारों ने उनको जमीन दी थी । वे उन लोगों की सेवा करते थे, लेकिन आज गांव पंचायत उन हरिजनों की जमीन छीन

[श्री रामप्रसाद देशमुख]

रही है । उनके रहने के लिये भी कोई व्यवस्था नहीं है । ये पंचायतें उनके घरों की जमीन भी ले रही हैं । सरकार चाहती है कि हरिजनों का उत्थान हो लेकिन आज मैं यहां पर कह सकता हूं कि लखनऊ में हरिजनों के बीच जाकर देखें कि वे लोग नरक का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उस तरफ ध्यान नहीं जाता है । जो यहां पर बाहर से आये हैं उनके लिये अच्छे-अच्छे मकान बनाये गये हैं और उनके कारोबार के लिये भी प्रबन्ध किया गया है लेकिन हरिजनों के लिये इस तरह का कोई प्रबन्ध नहीं हो रहा है, जो कि समाज की सेवा करता आ रहा है । वे लोग यह समझते हैं कि अगर हरिजनों के साथ यह बरताव नहीं किया गया तो वे कमजोर हो जावेंगे । यह नीति मुझे उनकी मालूम होती है । इसलिये मेरा निवेदन सरकार से यही है कि वह इस तरफ ध्यान दें। देहात की तरफ देखें कि उनके साथ क्या क्या बरताव किया जाता है ।

सोशल डिसेबलिटी ऐक्ट बना हुआ है परन्तु सरकार ने उसके मातहत कितने केस चलाये हैं ? मेरा सरकार से निवेदन है कि वह कभी जाकर देखे कि आज इन हरिजनों के साथ क्या बरताव हो रहा है । अगर शिकायत की जाती है तो पुलिस एक्शन नहीं लेती है । वह यह जानते हैं कि उस समाज पर यदि वे एक्शन लेंगे तो उनके ऊपर से उनके ऊपर ऐक्शन लिया जायगा कि तुम बड़े समाज को कमजोर करने के लिये एक्शन ले रहे हो । मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि यह आपका कानून बनकर कागजों में ही रखा है । कोई भी कानून काम में नहीं लाया जा रहा है । यह ऊपर का समाज आज यह चाहता है कि उनके साथ उठकर ऊंचे बैठने न पावें । आज गांधी जी हमारे बीच में नहीं हैं, अगर वह होते तो शायद इस सरकार को रहने भी न देते । वह यही कहते कि इन हरिजनों को उठाओ । उनका मन्शा यही था कि हरिजन यहां का गवर्नर हो । आज हम देखते हैं कि इन हरिजनों के साथ क्या-क्या बरताव हो रहे हैं । आज अधिकारियों ने इस बात का निश्चय किया है कि अगर तुम अमुक पार्टी के आदमी हो तो तुम्हारा काम नहीं होगा । वह आज अन्याय करने में लगे हुये हैं । जो अन्यायी है उसके पास मिनिस्टर जाते हैं और उन गुंडों के यहां दावतें खाई जाती हैं । यह शायद इसलिये खाई जाती हैं कि हमारी कमजोरी है । मैं जानता हूं और मुझे यह कहना पड़ता है कि यह मिनिस्टरों का रवैया हो गया है कि अधिकारियों के दबाव में पड़ जाते हैं । किसी आदमी के साथ देखकर बरताव किया जाता है । आज जनता के हित की बात नहीं सोची जाती । अधिकारी पार्टियों में पड़कर जनता के रुपये को लूट रहे हैं । आज लाखों रुपया योजनाओं में व्यय किया जा रहा है, लेकिन जाकर नहीं देखते कि क्या हो रहा है । मोटर में जाते हैं और सैर करते हैं । डेवलपमेंट का काम हो रहा है जो करते हैं उनको क्रेडिट नहीं मिलता है । ब्लाक का काम जाकर देखना चाहिये कि कितना काम हुआ है । कोई जांच उस काम के विषय की वहां पर नहीं हो रही है । कोई भी देखने वाला नहीं है कि कितना काम हुआ है ।

आज डेवलपमेंट में हमने इतना रुपया खर्च कर दिया लेकिन क्या कोई कह सकता है कि कितना काम हुआ, क्या एक नाली भी बनी ? उनके रहने के लिये चाहे मकान बन गये हों लेकिन कहीं कोई ऐसी चीज नहीं देखने में आती जिससे जनता कह सके कि डेवलपमेंट का काम हो रहा है । यह तो गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है जिसके रुपये को आप लेते हैं । हरिजनों की बात मैंने इस लिये कह दी क्योंकि मैं भी उसी समाज से हूं लेकिन दुख होता है कि एक समाज जो दुनिया की सेवा करता है उसके लिये सरकार कुछ क्यों नहीं करती । १८ परसेन्ट की जो बात थी उसके लिये गवर्नमेंट कोई कमेटी क्यों नहीं बनाती जो कि जाकर जांच करे कि आज यह समाज किधर जा रहा है । अगर सरकार इस ओर कदम नहीं उठाती तो उसे पछताना पड़ेगा । मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर सरकार इस ओर नहीं सोचेगी तो वह कमजोर होगी । यह वह समाज है जिसके बल पर आज दुनिया चल रही है, जिसने बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स को बनाया है, नहरें खोदी हैं और सारे समाज की सेवा की है । इस समाज के अधिकारों पर कुठाराघात नहीं होना चाहिये । क्या आज इसके साथ अन्याय नहीं हो रहा है ? सरकार इसके साथ न्याय क्यों नहीं करती ? इनके रहन-सहन को ऊंचा करने के लिये सरकार क्यों नहीं व्यवस्था करती ?

बड़े-बड़े मंदिर और बिल्डिंग्ज बन जाती हैं पत्थर के देवताओं के लिये लेकिन उसके लिये नहीं बनती जोकि जनता की सेवा करता है ।

अधिष्ठाता महोदय, आज किसान सुरक्षित नहीं है । गल्ले की गरानी की बात की जाती है और कहा जाता है गल्ला ज्यादा उपजाया जाय । आज किसान अपने खेत पर जा नहीं सकता, चरागाह पर अपने जानवरों को चरा नहीं सकता । गल्ला भी तभी ज्यादा उपजेगा जब कि किसानों को सहायता दी जायेगी, उनके लिये अच्छी व्यवस्था की जायगी, जब वह समझेगा कि मेरी जमीन है । आज तो किसान समझता है कि उसकी जमीन छीनी जा रही है ।

कोआपरेटिव की बात कही जाती है । दो–तीन साल पहले जब पंत जी यहां पर थे तो एक मर्तबे वे बख्शी के तालाब पर भाषण कर रहे थे कि कोआपरेटिव की बेसिस पर कोई काम नहीं हो रहा है, कोआपरेटिव्ज फेल हो रही हैं । आज मंत्री जी कहते हैं कि हम कोआपरेटिव्ज कायम करेंगे, मैं कहता हूं कि ऐसा कभी हो नहीं सकता । आज समाज पिछड़ा हुआ है, समाज की भावना यह है कि भाई-भाई को भाई नहीं कह सकता । आज भाई चारे को पैदा करना है । कैसे कोआपरेटिव के आधार पर काम किया जा सकता है ? बेईमानों के हाथ में आज कोआपरेटिव्ज हैं, लूट मार हो रही है, कोई नहीं कह सकता कि जनता के साथ न्याय हो रहा है । अधिष्ठाता महोदय, कहा जाता है कि गल्ला ज्यादा उपजाया जाय । हमारे जिले में मंत्री महोदय जाते हैं और कहते हैं कि गल्ले की जरूरत नहीं है, मछली, अंडे गोश्त खाइये । मंत्री जी का यह भाषण है क्योंकि उनकी भवनायें उस तरफ को बढ़ गई हैं जो कि दूसरे देशों के लोगों में है । वे अभी इस देश की परम्परा को नहीं समझे हैं कि किस तरह से क्या लोग करते हैं । ऐसी दशा में किसान आगे नहीं बढ़ सकता । आज वह सुरक्षित नहीं है । उसके ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं कुछ स्वास्थ्य की बात भी कहना चाहता हूं। जिस देश में पहले घी-दूध की नदियां बहती थीं वहां आज कोई चीज नहीं है, किसानों के लिये कोई सुविधा नहीं है । आज किसानों को मट्ठा भी खाने को नहीं मिलता है । अलीगढ़ में डेरी फार्म है वहां कोई जानवर नहीं है, वहां सुअर के अलावा कोई जानवर नहीं है । स्वास्थ्य के लिये सबसे पहले यह जरूरी है कि देहात में जाकर किसानों के साथ यह व्यवस्था करो कि वे ज्यादा से ज्यादा जानवर पाल सकें और दूध की व्यवस्था हो सके । आज किसान कमजोर होता जा रहा है, आज उसको घी, दूध तो क्या, मट्ठा भी नहीं मिलता है । पहले वह मट्ठा पीकर गुजर कर लेता था लेकिन आज तो जानोमाल के ही लाले पड़े हुये हैं । पुलिस उनके साथ अन्याय कर रही है, वहां जाकर झूठे-सच्चे मुकदमों में उनको फंसाती है । आज पुलिस वालों का भी इस तरह के झूठे-सच्चे मुकदमें बनाकर काम चल रहा है क्योंकि अगर वे केसेज नहीं देते हैं तो उनको निकालने की कोशिश की जाती है । आज दरोगा के हाथ में इतनी ताकत है और वह अपने इलाके की बात समझ सकता है कि कौन-कौन बदमाश हैं । अगर उससे कह दिया जाय कि अगर तुम्हारे इलाके में डकैती या कत्ल होगा तो तुम को निकाल दिया जायेगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई चोरी-डकैती नहीं हो सकती । लेकिन उनके सामने एक समस्या है । अगर वे चोरी डकैती नहीं दिखाते हैं और केसेज करके नहीं बनाते हैं तो उसकी तनज्जुली होगी, इसलिये उनको यह करना पड़ता है ।

*श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)––माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज मुझे खुशी है कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ताकि मैं भी आपके सामने अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकूं ।

जो बजट इस वर्ष पेश किया गया है, उस बजट की पृष्ठभूमि समाजवादी व्यवस्था पर रखी गयी है और अपने बजट भाषण में अर्थमंत्री महोदय ने यही बात प्रकट की है कि हमारा उद्देश्य यह है कि इस देश और इस राज्य के भीतर समाजवादी व्यवस्था को कायम करें। ऐसी व्यवस्था कायम करें जिससे सब लोगों को समान अवसर प्राप्त हो सके उन्नति करने का, ताकि सब की तकलीफें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामलक्षण तिवारी]

दूर की जा सकें । इसी दृष्टिकोण से हमें बजट का अध्ययन करना पड़ेगा । इसके साथ ही साथ हमारे अर्थमंत्री महोदय ने यह भी कहा था कि हमारा बजट पंचवर्षीय योजना के आधार पर ही बना हुआ है और इस वजह से उन्होंने यह भी असमर्थता प्रकट की कि यह सरकार जितना अधिक चाहती थी उतना अधिक नहीं कर सकी । किन्तु जो हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य की ओर हमने बढ़ने का प्रयत्न किया है या नहीं इसको देखने की आवश्यकता है ।

जो सबसे बड़ा कदम उठाने की चर्चा इस सदन में की गयी वह यह कि भूमि के ऊपर सीमा निर्धारित करनी चाहिये और यह कि सामूहिक खेती करनी चाहिये । ये दोनों कदम समाजवाद की ओर बढ़ाने में उच्च कोटि के कदम हैं । हम जो नारा आज तक लगाते रहे हैं उस नारे को पूरा होते देखने का एक साधन हमारे सामने दृष्टिगोचर हो रहा है और हम आशा करते हैं कि अगर हम इसमें कामयाब हुये तो हमारा भाग्य उदय हो जायगा और बहुत सारी कमियां जो हमारी नजरों में दिखायी दे रही हैं उन्हें हम पूरा करने में कायमाब हो जायेंगे ।

हमें देखना है कि हम अपने देश में और प्रदेश में आर्थिक और सामाजीकरण करने में कितने कामयाब हो पाये हैं । हमारा आर्थिक और सामाजीकरण तभी सम्भव हो सकता है जब हम समाज के अन्दर जो दबे हुये हैं उनको हमें नीचे से ऊपर उठाना होगा । इसके साथ ही साथ जो उनका आर्थिक शोषण हो रहा है वह भी दूर होना चाहिये । कहा भी है "फ्रीडम इज दि फुलफिलमेंट आफ नेसेसिटीज" यही सच्ची स्वतंत्रता है । जब हम यह चीज प्राप्त कर लेंगे तभी हम मान सकते हैं कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई । इसके लिये एक प्लान्ड एकोनामी की आवश्यकता है, लेकिन हमारा प्रदेश इतना पिछड़ा हुआ प्रदेश है, एक कृषि प्रधान प्रदेश है जिसके कारण जितनी अधिक प्रगति हमें करनी चाहिये थी उतनी प्रगति हम इस बजट के द्वारा नहीं कर सकते हैं और यह भी संभव है कि उस प्रगति को करने में हमें बहुत ही ज्यादा समय लगे । जब तक औद्योगिक क्रान्ति यहां पर नहीं होती और औद्योगिक रूप से हमारे प्रदेश का पूर्णतः विकास जब तक नहीं होता, केवल खेती के जरिये हमारे प्रान्त की समस्या हल नहीं हो सकती । हमारे प्रान्त में जितनी बेकारी बढ़ी हुई है, पढ़े लिखे और बे पढ़े लिखे लोगों की बेकारी जितनी अधिक इस प्रदेश में है उसको घटाने के लिये जब तक सुन्दर और सुविचारित योजना के अन्दर चीजें नहीं रखी जायेंगी तब तक हमारे प्रदेश का उद्धार होना बिलकुल ही कठिन है । कृषि के ऊपर भी सबसे अधिक प्रधानता दी गयी है । सिंचाई और खाद की व्यवस्था करके खेती को समुन्नत करने की ओर काफी कदम उठाने की चेष्टा की गयी है, लेकिन उसकी क्या प्लानिंग होगी, उसकी क्या योजना होगी यह तो बाद में देखने को मिलेगा, लेकिन जो कुछ अभी तक होता रहा है उससे हमको सन्तोष नहीं है और मैं समझता हूं कि हमारे बहुत से भाइयों को सन्तोष नहीं होगा । इसके अतिरिक्त मैं समझता हूं कि जिन्होंने बजट को तैयार किया है उन्हें भी इस बात से पूर्णतः सन्तोष नहीं होगा कि हमको जितना करना है उतना करने में समर्थ हुये हैं । जो योजना हमने आगे बना रखी है, उस योजना में हमें उतनी कामयाबी मिल सकेगी जो कि हमारा लक्ष्य है या जो हमारा ध्येय है । लेकिन सीमित साधनों के भीतर जो कुछ भी हो सकता है उसे करने की चेष्टा की गयी है या नहीं की गयी है, इसी कसौटी पर हमें इस चीज को रखना होगा और इसी कसौटी पर कस कर हमें इस बजट पर अपने विचार व्यक्त करने होंगे । बजट पर जनरल विवाद चल रहा है, इस प्रदेश की आर्थिक क्रान्ति के लिये जो कुछ हमें करना है वह तो हो ही रहा है ।

अब मैं शान्ति और व्यवस्था के नाम पर थोड़ी-सी बातें कहना अत्यन्त आवश्यक समझता हूं । यहां पर आंकड़े पेश किये जाते हैं कि बहुत जुर्म बढ़ते जा रहे हैं, हम बहुत तबाह हो रहे हैं । आंकड़े से स्पष्ट है और इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं है कि हम हर तरह से गिरते हुये नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी इस बात पर भी गौर किया है कि हम जिस तरीके से गिर रहे हैं उसके कारण क्या हैं और उन कारणों को दूर करने की भी चेष्टा की गयी है ? दुनिया में कोई भी इतिहास को पढ़ने वाला आदमी यह अच्छी तरह से जानता है कि कोई भी मुल्क जो आजाद हुआ है, उसकी आजादी के बाद तुरन्त इतने अधिक अधिकार जनता को या किसी को भी उसने नहीं

दे रखे हैं जितना अधिक अधिकार इस देश और इस राज्य में प्राप्त है । भाषण स्वतंत्रता और लेखन स्वतंत्रता इतनी अधिक दी गयी है कि हम भाषण करते-करते यह भी भूल जाते हैं कि हमारे भाषणों का राष्ट्रीय महत्व क्या होगा और अन्तर्राष्ट्रीय जगत में जो हम बातें करते हैं उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी । हम यह भूल जाते हैं कि विदेशों में जो हमारी हालात हैं उनकी तस्वीरें खींच-खींच कर छापी जाती हैं और प्रचार किया जाता है कि जब तक हिन्दुस्तान में अंग्रेज थे तब तक हिन्दुस्तान के रहने वाले बहुत अच्छे थे और जब से हिन्दुस्तान से अंग्रेज चले गये तब से हिन्दुस्तान की हालत बहुत तबाह और गिरी हुई होती जाती है । इन तमाम चीजों को हम भूल जाते हैं यह कहते समय कि हम जो बातें कह रहे हैं इनमें कहां तक यथार्थता और सच्चाई है और हम क्यों दुश्मनों को मौका देते हैं कि वे उन बातों से हमारे खिलाफ प्रचार कर सकें ।

मुझे याद है कि पिछले दिनों एक सज्जन खाद्य के प्रश्न पर भाषण दे रहे थे तो अपने भाषण में कहते-कहते उन्होंने यहां तक कह डाला कि मुझे मालूम है कि बलिया और गाजीपुर के लोग पेड़ों की छाल खा खाकर जिन्दा रह रहे हैं । मुझे शर्म से झुकना पड़ा और जब मैंने वहां की जनता से जाकर पूछा और कहा कि असेम्बली में ऐसे भी कहने वाले मौजूद हैं जो कहते हैं कि आप लोग पेड़ों की छाल और पत्तियां खा खाकर जिन्दा हैं, तो लोगों को दुःख हुआ और तकलीफ हुई । तो इस तरह से लोगों को भाषण स्वतंत्रता और लेखन स्वतंत्रता के नाम पर उतनी अधिक स्वतंत्रता दे दी गयी है कि लोग भूल जाते हैं कि हम जो कुछ कहते हैं या करते हैं उसका क्या प्रभाव होगा । जो कुछ शान्ति और अमन का एक तरफ हम नाम लेते हैं और दूसरी तरफ हमारी कार्रवाइयों का अप्रत्यक्ष परिणाम यह होता है कि हम अशांति और अव्यवस्था को बढ़ाने में साधक बनते हैं ।

मैं आपको कुछ और चीजें बतलाऊं । हमारे जिले में बहुत काम हुआ है इसमें शक नहीं और मैं बधाई देना चाहता हूं तमाम सरकारी लोगों को जिन्होंने जनता को बिना कहे, जनता की तमाम आवश्यकताओं की तस्वीर अपने यहां खींच रखी थी और उसके लिए कार्रवाइयां कीं, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक सारी चीजें बन कर पड़ी हुई हैं । नहर बनी हुई है लेकिन उसमें पानी नहीं है । ट्यूबवेल में लाखों रुपये इन्वेस्ट किए गए, लेकिन उससे किसी को फायदा नहीं पहुंच रहा है, अब तक नालियां अधूरी पड़ी हुई हैं । बाढ़ से बचाव के लिए बांध बनाये गए, लेकिन गंगा और घाघरा की भीषण कटान से सैकड़ों गांव बरबाद होते चले जा रहे हैं, उनके बचाव के लिये हमारी सरकार की ओर से कोई काम नहीं हो रहा है । बिहार की सरकार की ओर से गंगा के किनारों पर रोक बनाने की चेष्टा की जा रही है जिसका नतीजा यह हो रहा है कि बिहार की ओर से बलिया की ओर गंगा की धार होती जा रही है और बलिया कट कर खत्म होता जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता---आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री रामलक्षण तिवारी---मैं इन शब्दों के साथ अपनी बातें समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इस विषय पर ध्यान देगी और जो लोग आज शरणार्थी बना दिये गये हैं उनके ऊपर विशेष कृपा करेगी ।

श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी)---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । अधिष्ठाता महोदय, मुझे दुख है कि वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है मैं उसकी प्रशंसा न कर सकूंगा जिसका कारण यह है कि वित्त मंत्री महोदय की सरकार की जितनी योजनायें रही हैं उनमें से अधिकतर असफल रही हैं । प्रदेश के लाखों खेतिहर मजदूरों को जमीन दिलाने के लिये यह सरकार व्यवस्था नहीं कर सकी, पुलिस तथा गुंडों से गरीब आदमियों की इज्जत की रक्षा नहीं कर सकी, प्रदेश की गरीबी को दूर नहीं कर सकी और इस प्रदेश के पिछड़े हुये हरिजन लोगों के लिये कोई ऐसी योजना नहीं बना सकी जिससे उनका उद्धार हो सके ।

(इस समय २ बजकर ३७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त पीठासीन हुए ।)

[श्री जगन्नाथ प्रसाद]

अधिष्ठाता महोदय, इस प्रदेश में खेतिहर मजदूरों की संख्या लगभग ३७ लाख है। यह आंकड़ा सरकारी है जो कि सन् १९५१ ई० की जनसंख्या के अनुसार है। कहने के लिए तो सरकार कहती है कि हमने नियम बना दिए हैं, गांव समाज की जो परती भूमि है वह खेतिहर मजदूरों को सब से प्रथम दी जायेगी, लेकिन सरकार इस बात का पता लगा कर बतलाये कि कितने लाख एकड़ भूमि आज तक खेतिहर मजदूरों को दी जा सकी है। नियम तो अवश्य बने हैं, लेकिन गांव पंचायत के प्रधान और उसके सदस्य वही लोग होते हैं जो आज तक शोषण करते आये हैं। जब कभी भूमि प्रबन्धक कमेटी की बैठक होती है तो उन लोगों को भूमि नहीं दी जाती है जो उसके मुस्तहक़ हैं और जिनके लिये नियम बना हुआ है, बल्कि गांव पंचायत के प्रधान और भूमि प्रबन्धक कमेटी के सदस्यों के सम्बन्धियों को अधिकतर भूमि दी जाती है। भूमि के वितरण में लेखपाल का हाथ प्रधान रहता है। क्योंकि सभापति योग्य नहीं है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि गरीब लोग इस प्रजातंत्र सरकार को एक जबर्दस्त धक्का देंगे अगर वह उनकी दशा सुधारने की ओर कदम नहीं उठाती है।

इस प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जो आज कल शासन व्यवस्था की हालत है वह किसी से छिपी नहीं है। बड़ी बुरी हालत है जरायम की। ट्रेन्स पर डकैतियां होती हैं यह सबको मालूम है। हमारा अंदाजा यह है कि ३० फीसदी जरायम की रिपोर्ट थानों में नहीं जाती है और यदि जाती भी है तो उनकी रिपोर्ट्स लिखी नहीं जातीं। शायद ही कोई रिपोर्ट होती हो जिसको लिखने के लिये पांच या दस रुपये थाने के मुंशी को न देने पड़ें। यह हालत है यहां की सरकार की। इसीलिये आज हमारे प्रदेश के अन्दर जरामय बढ़ रहे हैं। जब पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई शिकायत की जाती है तो शिकायत करने वाले की प्राणों की रक्षा की बड़ी मुश्किल हो जाती है। अन्त में होता यह है कि शिकायत करने वाला बैठ रहता है और इसका नतीजा यह होता है कि आइंदा कभी कोई हिम्मत नहीं करता कि वह शिकायत करे। एक आफत मोल ले। अधिष्ठाता महोदय, पुलिस के उच्च अधिकारी विशेषतया इसके लिये जिम्मेदार हैं। कारण यह है कि अंग्रेजों के जमाने में एक पुलिस कप्तान को ९०० रुपये मिलते थे। उसका बंगला मिनिस्टर के बंगले से कम हैसियत का नहीं होता है। जब कि इस समय उसको ८०० रुपये के लगभग मिलता है। कार वगैरह भी उसको मेन्टेन करनी पड़ती है। उसका खर्च इतना जबरदस्त होता है कि उसको रिश्वत में हिस्सा लेना पड़ता है। जब उच्च अधिकारी रिश्वत में हिस्सा लेगा तो थानेदार को खुली छूट होगी। वह जो चाहेगा, उच्च अधिकारी के इशारे पर करेगा। यही कारण है कि जरायम बढ़ रहे हैं। पुलिस के उच्च अधिकारी प्रोत्साहन दे रहे हैं।

श्रीमन्, इस प्रान्त के ज्यादातर जिलों में थाने बेचे जाते हैं। उनकी कीमत होती है। किसी की ५०० रुपये और किसी की १,००० रुपये। मेरा खयाल है कि इस सदन के सदस्य मेरे विचारों से सहमत होंगे। ऐसे उच्च अधिकारी कम मिलेंगे जो रिश्वत में हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती। जब किसी उच्च अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत की जाती है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अगर कुछ किया भी तो किसी कांस्टेबिल को बरखास्त कर दिया या अगर बहुत किया तो किसी थानेदार को मुअत्तल कर दिया। सात साल से मैं सदन का सदस्य हूं शायद ही किसी कप्तान पुलिस के खिलाफ उसके मुअत्तल करने की कार्रवाई शुरू हुई हो। यही कारण है कि जरायम बढ़ रहे हैं। हिम्मत सरकार की नहीं पड़ती कि इस सम्बन्ध में कोई ठोस कदम उठाये। मेरा एक सुझाव है मुख्य मंत्री जी से हालांकि वे मौजूद नहीं हैं। इस विभाग का चार्ज किसी दृढ़ और चरित्रवान् व्यक्ति को लेना चाहिए। तब काम ठीक चल सकता है। तभी यह संभव हो सकता है कि उच्च अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सके। हमारे यहां चौधरी चरणसिंह जी हैं। जब वे माल विभाग में रहे तब भी उन्होंने कई अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। वित्त मंत्री की हैसियत से उन्होंने १४ सेल्स टैक्स अफसर निकाले। अब वे सिंचाई विभाग में हैं। जब से उन्होंने सिंचाई विभाग सम्हाला है तब से हमारे सामने कई ऐक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को मुअत्तल किया है। अगर उनके हाथ में विभाग जाय तो मेरा मत है कि जहां भी अधिकारियों के खिलाफ शिकायत होती होगी

वे उसकी जांच कराने का प्रयत्न करेंगे और उसको मुअत्तल किया जायेगा। जब तक किसी अधिकारी को खौफ नहीं होता है वह अपने को विधाता समझता है और सरकार भी उसको विधाता समझती है। यहां असेम्बली में जब सवाल पूछे जाते हैं और माननीय मंत्री जी भी वस्तु स्थिति को जानते हैं, लेकिन फिर भी उसी कान्सटेबिल या थानेदार की लिखी हुई रिपोर्ट को ही यहां पढ़ कर सुनाते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

आज मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि वह वस्तुस्थिति से परिचित हैं, लेकिन आज प्रदेश की हालत यह है कि हर आदमी अपने को खतरे से खाली नहीं समझता है और प्रदेश में सनसनी फैल रही है, वह इस चीज को नहीं जानते हैं, अगर होते तो मैं स्पष्ट कहता।

अधिष्ठाता महोदय, अब मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान वन विभाग की ओर दिलाना चाहता हूं। इत्तिफाक से हमारे वित्त मंत्री जी वन विभाग के भी मंत्री हैं। एक प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट बना था जब कि जमींदारी खत्म होने जा रही थी। वह इस मंशा से बनाया गया था कि प्रदेश के जो जमींदार थे वे अपने बागों को तेजी के साथ कटवा रहे थे।

माननीय मंत्री जी मेरी बात सुनने की कृपा करें, क्योंकि मैं वन विभाग के सम्बन्ध में कह रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता--सदन में शान्ति होनी चाहिये, काफी शोर हो रहा है।

श्री जगन्नाथप्रसाद--इस ऐक्ट के बनने से काफी फायदा हुआ, लेकिन अब यह उपयोगी नहीं है। अगर किसी काश्तकार को दो दरख्त बेंचना होता है या ईंधन के लिये कटवाना होता है तो उसके लिये परमिट प्राप्त करने में बड़ी परेशानी होती है। नियम यह है कि गांव समाज से एक प्रस्ताव पास कराया जाय कि दो दरख्त कट सकते हैं। अगर सभापति या उसके दल के लोग उस आदमी के मुआफिक नहीं हैं तो वह प्रस्ताव पास नहीं होता है और उसको इजाजत नहीं मिलती है। अगर वह तहसीलदार के यहां दरख्वास्त देता है तो वह भी गांव समाज के सभापति से रिपोर्ट मांगता है और इस तरह से उसको एक परमिट लेने के लिये २, ३ महीने लग जाते हैं। हो यह रहा है कि कहीं-कहीं बिना परमिट प्राप्त किये हुये ही बाग कट जाता है। इसलिये इस ऐक्ट के लागू होने की आवश्यकता नहीं है। अगर यह ऐक्ट न होगा तो काश्तकार अपने जरूरत के मुताबिक दरख्त कटवा सकेगा।

मेरा सरकार से निवेदन है कि या तो इस ऐक्ट को समाप्त कर दिया जाय या धारा संशोधित इसमें कर दी जाय जिसके अनुसार दरख्त काटने की इजाजत दी जाती है और उस धारा के अनुसार दरख्तों की संख्या निश्चित कर दी जाय कि इतने पर परमिट की आवश्यकता न रहेगी।

दूसरी चीज वन विभाग के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां सरकार के जंगलात हैं वहां आस-पास काश्तकारों का कब्जा जमीन पर चला आ रहा है जमींदारी खात्मा के पहले से और अब झगड़ा हो रहा है जंगलात के कारण, क्योंकि सरकार का कानून इस सम्बन्ध में साफ नहीं है। ५२८० नं० का जी० ओ० जो निकला था वह भी साफ नहीं था और अब भी ३, ४ सौ मुकदमें चल रहे हैं जिससे काश्तकारों को परेशानी हो रही है। मैं चाहता हूं कि सरकार अच्छी तरह से इसको देखे और एक कमेटी इस सदन के कुछ सदस्यों की और कुछ अधिकारी उसमें वन तथा माल विभाग के हों, बनाई जाय जो इसको देखें और मिल जुल कर के कुछ नीति निर्धारित करे।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि सरकार द्वारा फारेस्ट विभाग का नोटिफिशन निकला जिसके अनुसार उस भूमि को भी जंगल विभाग ने ले लिया जहां जंगल का नाम तक नहीं और न कोई झाड़ी तक ही है। किन्तु काश्तकार उस जमीन को काफी दिनों से जोतता चला आ रहा है, अब उसकी जमीन जा रही है। तो मेरा सुझाव यह है कि ऐसे रकबे जिनमें कोई जंगलात नहीं है, जिनमें झगड़े नहीं होते उनको छोड़ दो और जो काश्तकारान काबिज हैं उनको वह जमीन मिल जाय।

[श्री जगन्नाथप्रसाद]

चौथी चीज सिंचाई विभाग के बारे में कहनी है। शारदा नहर के किनारे हजारों एकड़ रकबे में रेह पैदा होती जा रही है और उपजाऊ भूमि नष्ट होती जा रही है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस तरह के एरियाज में ऐसे उपाय करे कि उनकी जमीन खराब न हो।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)---अधिष्ठाता महोदय, एक बात कही गयी और मैं उसको मानता हूं कि यह बजट एक क्रान्तिकारी बजट नहीं है और न स्पेक्टेकुलर बजट ही है, लेकिन हमारी जो सीमायें बंधी हैं उनमें यदि हम यह आशा करें, जब पंचवर्षीय योजना से हमारा बजट बंधा हुआ है, तो कदाचित गलत होगा। इसका एक बड़ा रिलीविंग फीचर है कि कोई नया टैक्स जनता पर नहीं पड़ रहा है, मैं इस दृष्टि से इसका स्वागत करता हूं। यद्यपि मेरा यह विश्वास है कि एक वेलफेयर स्टेट के लिये टैक्स लगाना जरूरी हो सकता है। इस दृष्टि से भी मैं इसका स्वागत करता हूं कि जो छोटी आमदनी के लोग हैं उन पर टैक्सेशन कम से कम होना चाहिये और आइंदा जो टैक्स लगे भी तो वह केवल बड़ों पर लगे और लगाना पड़ेगा।

इस बजट में एक कदम यह भी उठाया गया कि हमारे प्रदेश में टीचर्स के सम्बन्ध में जो एक समय से मांग थी, उनका जो वेतन क्रम है वह बढ़े, जिस आशा की झलक इस बजट से मिली उससे यह प्रतीत होता है कि प्रदेशीय सरकार यह तय कर चुकी है कि उस मांग को वह पूरा करने जा रही है। हमें शीघ्र ही यह सुनने को मिलेगा कि उनकी मांग पूरी हो गयी। मैं यह समझता हूं कि समय की मांग है और औचित्य भी यही है कि उनकी वह मांग पूरी हो, यदि हमारे रिसोर्सेज उसे पूरा करा दें और एक दफा में पूरा करने की इजाजत न दें तो दो इन्स्टालमेंट्स में जो बहुत जल्दी आयें वे पूरी की जायं।

इसके अतिरिक्त हमने देखा कि १०० रुपये से कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों के लिये ढाई रुपये और १०० से २०० रुपये तक तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों के लिये ५ रुपये की वृद्धि की गयी है। इसमें कई करोड़ रुपया व्यय हो रहा है। मैं इस सम्बन्ध में एक छोटी सी बात निवेदन करना चाहता हूं। जब मैं बरेली गया तो एक छोटे कर्मचारी से जिसकी तनख्वाह ४५-५० रुपये थी मैंने यह कहा कि भाई अब की दफा बजट में सरकार ने तुम्हारे लिये ढाई रुपये बढ़ा दिये हैं। श्रीमन्, विश्वास करें उसने हाथ जोड़ कर बड़ी झुंझलाहट के साथ यह कहा कि इससे न बढ़ते तो अच्छा था। मुझे बड़ा अटपटा लगा और कुछ झुंझलाहट हुई कि इस ढाई रुपये के बढ़ाने पर करोड़ों रुपये का बोझ सरकार पर पड़ रहा है, इससे ज्यादा बढ़ना कैसे संभव हो सकता था, खासतौर से जब पिछले साल में ५ रुपये की वृद्धि हो चुकी है। लेकिन जब थोड़े समय के बाद सोचने की कोशिश की तब उसकी झुंझलाहट व मजबूरी समझ में आई कि एक व्यक्ति जिस पर १० आदमी का बोझ हो, जिसका बड़ा परिवार हो उस गरीब के लिये ढाई रुपये की वृद्धि नहीं के बराबर है। समय की आवश्यकता है कि इस ओर हम तेजी से बढ़ें। वह समय जल्द आवे जब कि हम उस नीचे वर्ग की मांग की, उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकें और इसके लिये श्रीमन्, मैं समझता हूं कि बड़े ड्रास्टिक मेजर्स लेने पड़ेंगे। ऊपर के कंगूरे नहीं ढाए जायंगे तो नीचे का गढ़ा पाटना मुश्किल होगा और उसके लिये जितनी जल्दी प्रयत्न किया जाय उतना ही अच्छा होगा।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। इलेक्ट्रिसिटी पर जो ५० लाख रुपये का बोझ राज्य सरकार ले रही है यह भी एक अच्छा कदम है। इससे इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचेगा, लेकिन अच्छा होगा अगर सरकार इस रियायत को केवल काटेज इंडस्ट्रीज के लिये ही देती और बड़े-बड़े मिल मालिकों को, जिनको इस रियासत से कोई बड़ा अन्तर नहीं पड़ता जब कि राज्य पर बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है, इस रियायत को न दिया जाता। हमारे प्रदेश में अन-एम्प्लायमेंट बहुत भयानक रूप धारण किये है। सरकार की जिम्मेदारी है कि उस अन-एम्प्लायमेंट को जिस तरह से हो सके दूर करे और जितनी जल्दी जो सरकार इसको दूर कर सके उतनी ही योग्यता

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उस सरकार की मानी जा सकती है। श्रीमन्, इसके लिय मैंने बार-बार कहा है कि काटेज इंडस्ट्रीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए।

हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ६१ करोड़ रुपया काटेज इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिये रक्खा है। अब प्रश्न है कि विभिन्न राज्य अपने-अपने लिये कितना हिस्सा ले पाएं और उस हिस्से का कैसा उपयोग कर सकें। इस पर उन काटेज इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट मुनहसर करता है। पिछले वर्ष मैंने सुना था माननीय मुख्य मंत्री के वक्तव्यों द्वारा जो समाचार-पत्रों में दिये और कभी-कभी सदन में भी दिये कि वे काटेज इंडस्ट्रीज के प्रोत्साहन के लिये कोई बड़ा ठोस कदम उठाने जा रहे हैं। ऐसा भी संकेत था कि कोई अलग पोर्टफोलियों काटेज इंडस्ट्रीज के लिये खोला जा रहा है। यह एक बड़े स्वागत का विषय था। इसके मानी यह समझे थे कि काटेज इंडस्ट्रीज के ऊपर एक नया इम्फैसिस दिया जाने वाला है, जो आवश्यक था और जिसके द्वारा अन-एम्पलायमेंट दूर हो सकता है। लेकिन वह कदम अभी तक उठाया नहीं गया ह। म यह प्रार्थना करूंगा आपके द्वारा कि आज भी यदि हमें अन-एम्लायमेंट को हल करना है तो उसकी कुंजी है कि हम काटेज इंडस्ट्रीज को जोरों से प्रोत्साहन दें। अभी बाजपुर में हमारी पहली कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी खुली। गौरव की बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने उसका अ.पेनिंग किया। श्रीमन्, उसका एम्प्लायमेंट पोटेन्शियल है कुल ६५० आ.दमी। यदि इतनी ही शुगर तैयार होती काटेज इंडस्ट्रीज के द्वारा तो उसमें २५ हजार आदमियों को एम्प्लाय-मेंट मिल सकता। तो आज काटेज इंडस्ट्रीज की जो सब से बड़ी चीज है वह यह है कि यह बहुत ज्यादा एम्लायमेंट देने की पोटेन्शियलिटी रखती है। स.मर्थ्य या क्षमता रखता है और अगर बेकारी को दूर करना है तो उस क्षमता को हमें प्रयोग में लाना होगा।

मैं समय की परिधि का ध्यान रखते हुये केवल एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब हम नये-नये टैक्सेज जनता पर लगा रहे हैं और जब हम जनता से कह रहे हैं कि वह राष्ट्र निर्माण के कार्यों के लिये अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा दे तो हमें मितव्ययता की तरफ और भी अधिक बढ़ना होगा और जनता का अधिकार है कि वह हम से मांग करे कि हम हर तरफ एकानामी करें और खर्च को घटायें। हमने बजट में देखा कि ८ लाख रुपया विधान भवन की सुसज्जा के लिये खर्च करने का खयाल हो रहा है, कुछ पेंटिंज कल्चरल किस्म की की जायंगी। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हम भी सौन्दर्य के उत्सुक हैं और चाहते हैं कि यहां की खूबसूरती बढ़े, सुन्दर-सुन्दर चीजें यहां हों लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी देखना चाहिये कि जब हम आज आदमी के निवाले पर भी टैक्स लगाने के लिये मजबूर हैं तो इस वक्त वह सौन्दर्य की चीजें, आज की परिस्थिति में उचित नहीं मालूम होतीं, वह सज्जा भी हमारे लिये लज्जा का कारण बन जाती है। इसलिये इस समय वह चीज ठीक नहीं है आगे चल कर जब हम अच्छी परिस्थिति में हों तो ऐसी चीजें हम ले सकते हैं।

आखिरी बात मैं यह चाहता हूं कि आज की परिस्थिति को देखते हुये जितनी बड़ी इमारतें हैं उनका निर्माण रोकने की घोषणा होना गवर्नमेंट की तरफ से बहुत आवश्यक है। हमने देखा कि पिछले सालों में हमारे एक्जिक्यूटिव इंजीनियर्स और सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर्स के रहने वाले बंगले इतने एक्सपेंसिव और शानदार बने हैं कि इतने सुसज्जित बंगले कदाचित मिनिस्टरों के भी न हों। मैं कोई ग्रज नहीं करता हमारे कर्मचारी अच्छे निवासों में रहें लेकिन जब तक प्रदेश में तंगी है और तंगहाली है उस वक्त तक इस तरह की सज्जा जैसा कि मैंने कहा लज्जा का कारण बन जाती है। इसलिये कास्टली इमारतों के बनने को रोकने की घोषणा की जाय उस वक्त तक के लिये जब तक कि हमारे प्रदेश की हालत अच्छी नहीं होती। इन शब्दों के साथ मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं।

श्री रामकुमार वैद्य (जिला मुरादाबाद)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आप ने प्रस्तुत बजट के सम्बन्ध में मुझे अपने विचार प्रकट करने की अनुमति प्रदान की, अतः मैं आपका आभारी हूं। ज्यों-ज्यों मैं गत कई दिनों से इस बजट के सम्बन्ध में आदरणीय सदन के शासक

[श्री रामकुमार वैद्य]

पक्ष और विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों के विचार सुनता रहा त्यों-त्यों मुझे माननीय वित्त मंत्री के साथ सहानुभूति होती गई।

जब हमारे देश में नियोजन का कार्य चल रहा है और जब कि हम दूसरी योजना के वर्षों से गुजर रहे हैं और जब कि इस प्रदेश में एक ऐसी पार्टी का शासन है जिस के कि कुछ निश्चित सिद्धान्त हैं तो निश्चय ही कोई ऐसा बजट नहीं प्रस्तुत किया जा सकता कि जिसका सब ओर से समर्थन हो सके। लेकिन फिर भी कुछ खास बातों की तरफ मैं आप के द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा करूंगा।

प्रतिवर्ष यह कहा जाता है और इस वर्ष भी यह नारा दोहराया गया है और बजट प्रस्तुत करते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हमारी जो कार्य प्रणाली है, जो हमारे कार्यक्रम हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं वे हमें समाजवाद की ओर ले जाने वाले हैं। श्रीमन्, यदि समाजवाद की कोई निश्चित परिभाषा है और उस को शासन के कर्णधार निश्चित रूप से जानते हैं तो हमें भी उसकी कुछ बातों को जानने का अधिकार है। कोई भी समाजवादी शासन हो वह निश्चित रूप से चाहेगा कि देश में अवसर की समानता सब को हो और हर प्रकार का शोषण बन्द हो, लोगों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो और लोगों में अधिक से अधिक सहकारिता का भाव आये। शासक दल सहकारिता आन्दोलन की बात, श्रमदान की बात और अनेक प्रकार के नारों की बात कहता है लेकिन हम देखते हैं कि आज भी हमारे यहां शोषण उसी प्रकार जारी है और किसी प्रकार की सहकारिता के अंकुर अभी नहीं जमे हैं। वास्तविकता कुछ और है। शासन की नौकरशाही की तानाशाही के कारण हमारे नागरिकों पर और जनता पर जैसा प्रभाव पड़ना चाहिये वह नहीं पड़ रहा है और आज शासन की अच्छी नीतियां होते हुए भी वह ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। जब उन्हें हम कार्य रूप में परिणत करना चाहते हैं तो कुशलता और क्षमता का अभाव रहता है।

अभी यहां सदन में कुटीर उद्योगों की बात कही गई। यह निश्चय ही सत्य है कि जब हम अपने देश का औद्योगिक विकास करने जा रहे हैं तो यह आवश्यक है कि हम अपने यहां अधिक से अधिक ध्यान कुटीर उद्योगों की तरफ दें क्योंकि उनके प्रोत्साहन के साथ बहुत से लोगों को काम मिलता है, रोजी मिलती है जब कि हमारे यहां की जनशक्ति पहले से बहुत ज्यादा है और काम का अभाव है। परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक हमारे यहां कुटीर उद्योगों की निरंतर उपेक्षा होती रही है। मैं मुरादाबाद जिले से प्रतिनिधि हूं और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि उनकी दृष्टि में मेरठ, मुरादाबाद और इलाहाबाद के जिले हैं, इस उद्देश्य से कि वहां पर औद्योगीकरण किया जाय। उन जिलों में कुछ उद्योगों को बढ़ाया जाय, बड़े-बड़े या महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना की जाय, किन्तु मुझे निवेदन करना है कि आज कुटीर उद्योगों की स्थिति क्या है। अमरोहे में छपाई और कपड़े का उद्योग, मेरे समीप अलीगढ़ में ताले का उद्योग, लखनऊ में कढ़ाई का उद्योग, फीरोजाबाद में कांच का, बनारस में रेशम का, ये सब आज अपनी मौत मर रहे हैं। सरकार की नीति इस संबंध में प्रदर्शन की, प्रोपेगैण्डे की है, लेकिन उन उद्योगों को सही आदर नहीं दिया जाता, कोई बड़ी सहायता नहीं दी जाती जिससे उन उद्योगों में लगे हुए लाखों भाई और बहिन ठीक रोजी पा सकें और उनको ठीक फल उनके श्रम का मिल सके। जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा कि आज इस प्रदेश की आवश्यकता है कि यहां बड़े-बड़े उद्योग स्थापित किये जायं, लेकिन मैं शासन से निवेदन करूंगा कि वह इस मामले में उन लाखों आदमियों को न भूल जायं जो सुबह से शाम तक श्रम करके प्रदेश की ईमानदारी के साथ सेवा करते हैं और यह आशा करते हैं कि उनको उनके श्रम का फल मिले।

इसी तरह से श्रीमन्, इस बजट में जिक्र किया गया है छोटे-छोटे कर्मचारियों की तनख्वाहों का। ठीक है कि कुछ लोगों को ढाई और ५ रुपये की वृद्धि दी गयी है, किन्तु यह भी सत्य है कि वह स्थायी नहीं है और जब कि इस वर्ष मंहगाई ने सीमा का उल्लंघन कर दिया है

और जब यह स्थायी वृद्धि नहीं है तो यह और भी ज्यादा की जा सकती थी, भले ही इससे शासन पर कुछ ज्यादा भार पड़ जाता, लेकिन उसे किसी दूसरी जगह कम किया जा सकता था। मुझे आशा है कि सरकार इस सम्बन्ध में कुछ उपचार करेगी।

इसी तरह दूसरी जरूरी बात जिससे हमारे देश में काफी असंतोष रहा वह यह है कि गन्ने के दामों के बारे में कोई सरकार की निश्चित नीति नहीं है। इस आदरणीय सदन और बिहार ने एक मत से केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की थी कि गन्ने का दाम बढ़ा दिया जाय।

(इस समय ३ बजकर ७ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने पुनः आसन ग्रहण किया।)

खासतौर से उस समय यह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब कि हमारे देश में गत पांच वर्षों से बाढ़ें आ जाती हैं और सिर्फ गन्ना ही ऐसी फसल है कि जो शेष रह जाती है, और दूसरी पैदावार नष्ट हो जाती है। तो आवश्यक था कि पूंजीपतियों के मुनाफे की मात्रा कुछ कम करके गन्ने के दाम बढ़ा दिये जाते और यदि उस मामले पर बहुत जिम्मेदारी के साथ विचार किया जाता तो मैं कहूंगा कि यह असम्भव भी नहीं है, लेकिन सरकार इस मामले में मौन रही जब कि उसकी ओर से इस सम्बन्ध में घोषणा की बहुत ही आवश्यकता थी।

श्रीमन्, मैं एक दूसरी बात की ओर शासन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पश्चिमी जिलों में पिछले पांच वर्षों से निरन्तर बाढ़ें आ रही हैं और कुछ जिले बाढ़ग्रस्त रहते हैं। खरीफ की फसल तो खराब हो ही जाती है, रबी का भी बड़ा व्यापक नुकसान होता है और इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से जो कुछ किया जाता है मैं उसकी समालोचना नहीं करूंगा, लेकिन जिस रूप में सरकार बाढ़ आने के बाद सहायता करती है यदि उसके बजाय शीघ्रता के साथ, तत्परता से जगह-जगह इस तरह की नालियां और मार्ग बना दिये जायं जिससे अत्यधिक वर्षा से जो पानी खड़ी फसलों को डुबा देता है वह निकल जाय। इससे सरकार का भी कष्ट बच जाय और करोड़ों रुपये की जो क्षति फसल को, जानवरों को और कभी कभी प्राणियों को भी होती है उससे प्रदेश और उसका एक विशेष भाग बचा रहे। मुझे आशा है कि इस मामले में इस वर्ष तत्परता से कार्य होगा। यद्यपि अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि सरकार की नीति इस सम्बन्ध में कुछ सामयिक रही है। पिछले वर्ष जब बाढ़ आयी थी और मुरादाबाद जिले में मंत्री महोदय ने दौरा किया था और इस वर्ष भी सिंचाई मंत्री गये थे तो उन्होंने कहा था कि काफी नुकसान हुआ है सिर्फ थोड़ी सी बात हो जाती है और ९ महीने सरकार मौन रहती है।

एक बात उस पक्ष के हमारे बहुत से आदरणीय मित्रों ने कही कि जब एक दल इस प्रकार के कार्य बड़े उत्तरदायित्व से कर रहा है, बहुत सी सड़कें बनायी गयी हैं, हास्पिटल्स बनाये गये हैं, स्कूल, विद्यालय स्थापित किये गये हैं लोगों को सहायता देने के लिये, दुर्भिक्ष में या अन्न के अभाव में बहुत सी दूकानें खोली गयी हैं तो हमारे विरोधी दल के लोग और क्या चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सब के उत्तर में यह प्रश्न रखता हूं उस पक्ष के आदरणीय मित्रों से कि इस तरह से बार-बार प्रचार करने से न शासन को कोई लाभ है और न जनता को ही कोई लाभ पहुंच रहा है। ऐसे काम तो सरकार करने के लिये बाध्य है, यह तो सरकार का कार्य है कि वह देश और प्रदेश के रोजाना के जीवन से सम्बन्ध रखने वाले सभी कार्यों को करे। लेकिन किसी सरकार की उत्तमता को नापने का माप दंड तो यह है कि वह सरकार उन कामों को कितनी कुशलता के साथ करती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं देखता हूं कि सरकार के प्रत्येक कार्य में इस योग्यता का अभाव है।

आप देखेंगे कि नियोजन चल रहा है। नियोजन में अधिक उत्पादन का एक विशेष महत्व है। एक नारा भी दिया गया है इस बार लोगों को और हमेशा से ही सरकार कहती आयी है कि यदि हम अपना उत्पादन ६, ७, ८ प्रतिशत भी बढ़ा लें तो हमारा प्रदेश भोजन के मामले में स्वावलम्बी हो सकता है। लेकिन श्रीमन्, नियोजन में कृषि का एक महत्वपूर्ण स्थान होते हुए भी मैं देखता हूं कि नियोजन विभाग और कृषि विभाग के कर्मचारियों में कोई

[श्री रामकुमार वैद्य]

सामन्जस्य नहीं होता । इसी तरह जहां तक सिंचाई की बात है और पी० डब्लू० डी० अथवा उन विभागों की बात है जो हमारे सिंचाई के उपकरणों का निर्माण करते हैं उनमें आवश्यकता और कार्य को देखते हुए परस्पर कोई साम जस्य नहीं होता । कहीं पर ट्यूबवेल बना है, हजारों रुपया खर्च आया है लेकिन सुनते हैं कि वर्षों से उसको बिजली नहीं मिली । कहीं पर सड़क बन गयी तो पुलों के बनाने में तीन, चार वर्ष लग जाते हैं । इसी तरह अनेक बातें हैं, मैं उन सब का उदाहरण देकर इस सदन का समय नष्ट नहीं करूंगा । इसी तरह मैं यही कहूंगा कि जब शासन की ओर से बार-बार कहा जाय कि हमने यह किया, वह किया तो मैं उस सब का स्वागत करता हूं और खास कर के इस योजना के काल में जब कि भारत ने अपनी शक्ति से अधिक एक दांव पर अपने आपको लगा दिया है । आज योजना में हमारी सारी शक्ति लगी हुई है , हमारे ऊपर अरबों रुपये का ऋण बढ़ता जा रहा है । लेकिन यदि कहीं पर उस योजना में कोई छिद्र है या कहीं पर उसमें कोई त्रुटि है तो यह अक्षम्य अपराध होगा भले ही शासन सत्ता किसी भी पार्टी के हाथ में हो । आवश्यकता इस बात की है कि जब आज हम नियोजन की बात कहते हैं तो उस नियोजन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये हम न केवल प्राण-पन से जुट जायं बल्कि हम अपनी सर्विसेज को भी सचेत कर दें कि चाहे किसी दूसरे काम में हम थोड़ी सी गल्ती बर्दाश्त भी कर लें लेकिन नियोजन के लक्ष्यों की पूर्ति में हम कोई भी त्रुटि सहन नहीं करेंगे । आज कितने लोगों को सरकार की ओर से यह बताया गया है कि नियोजन क्या है या सहकारिता के क्या लाभ हैं ? खाली पेपर्स बांट देने से या कुछ थोड़े से लोगों के रस्मी तौर से यात्रा कर आने से जनता में वह उत्साह नहीं आ सकता जो सन् १९४६ से पहले इस देश में पाया जाता था और जिस अदम्य उत्साह के साथ इस देश के लोगों ने इसी पार्टी के पीछे चल कर जिसके हाथ में आज शासन सूत्र है देश की स्वतंत्रता को प्राप्त किया था । वह उत्साह कहां चला गया ? निश्चय ही इसका कोई कारण है । शासक दल के लोगों का अस्पष्ट लक्ष्यों के पीछे दौड़ने से और उनके अपने स्वार्थपूर्ति के कारण आज जनता का उत्साह जाता रहा है । यदि सही तरीके से सरकार और उसके दल के लोग कार्य करें तो कोई कारण नहीं है कि देश और प्रदेश की जनता उस अदम्य उत्साह के साथ नियोजन के लक्ष्यों की पूर्ति के लिये आगे न बढ़े ।

श्रीमन्, मैं इस घोषणा का स्वागत करता हूं कि प्राइवेट विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन-क्रम में समानता लाने के लिये सरकार कोई एक विशेष घोषणा करने जा रही है । इसके साथ ही साथ मैंने इसे भी हर्ष से सुना कि प्रान्त के मेडिकल कालेजेज के डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस को बन्द करने का सरकार ने इरादा कर लिया है लेकिन इससे उत्पन्न होने वाली एक विषम परिस्थिति की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । श्रीमन्, ये महानुभाव जो हमारे मेडिकल कालेजेज में अध्यापन का कार्य करते हैं निश्चय ही चिकित्सा के सम्बन्ध में एक विशेष योग्यता रखते हैं और समाज के कुछ लोग अपनी चिकित्सा उनसे कराना जरूरी समझते हैं । फिर ऐसी दशा में जब कि वे विशेषज्ञ जनसाधारण की चिकित्सा न कर सकेंगे तो इस बात की आवश्यकता है कि हमारे अस्पतालों में ज्यादा से ज्यादा और खासतौर पर कालेजेज के जो हमारे अस्पताल हैं उनमें प्राइवेट वार्ड बनाये जायं जिससे लोग वहां जा कर उन योग्य व्यक्तियों की चिकित्सा का लाभ उठा सकें । मैं समझता हूं कि मेरी इस मांग के औचित्य को समझते हुए सरकार इस ओर कोई आवश्यक कार्यवाही करेगी ।

इसके साथ ही साथ , श्रीमन्, मैं समझता हूं कि आज की जो हमारे प्रदेश की स्थिति है उसमें जिस तरह से कृषि का कार्य चल रहा है उसकी ओर भी मैं दो शब्द मंत्री महोदय से आपके द्वारा कहूं । कृषि के लक्ष्यों को निर्धारित करते समय प्रति वर्ष एक नयी योजना की घोषणा से लोगों में निराशा उत्पन्न होती है । अभी कुछ दिन पहले तक जापानी पद्धति की बात कही जाती थी । जब कि बाद में पता लगा कि जापानी लोगों ने कहा कि हम जानते नहीं है कि हमारी कौन सी पद्धति है जिसका हिन्दुस्तान में प्रचार किया जा रहा है । अब

चाइनीज पद्धति की बात शुरू हुई है। अच्छा हो कि हम अपने देश की ही किसी निश्चित पद्धति को फैलायें। चाहे उसे उत्तर प्रदेश की पद्धति कहा जाय या भारतीय पद्धति कहा जाय। हम इस तरह से करें जिससे हमारे किसानों द्वारा, देश की स्थिति के अनुसार और बीज तथा खाद के साधनों के अनुसार, अपने यहां के उत्पादन को बढ़ा सकें। अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश का ज्यादा कल्याण होगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा था। समय बहुत कम रह गया है और बोलने वाले बहुत ज्यादा है। इसलिये १५ मिनट के बजाय १० मिनट और १० मिनट के बजाय ८ मिनट कर दिया जाय तो अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह बेकार ही होगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी---बहुत से सदस्य बोलने से रह जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---अनुदानों पर समय दे दिया जायगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी---अनुदानों की बात दूसरी होती है।

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपा कर बैठिये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव यह है कि आज सेल्स टैक्स के बजाय सामान्य विवाद के लिये एक घंटा और ले लिया जाय क्योंकि कई पार्टी के बहुत से सदस्य नहीं बोल सके हैं। जैसे हमारी पार्टी के केवल तीन सदस्य ही बोल सके हैं। इसलिये सेल्स टैक्स दूसरे दिन ले लेंगे। सामान्य विवाद खत्म हो जायगा। ४५ मिनट शायद आचार्य जी लेंगे और इतना ही समय शायद वित्त मंत्री जी लेंगे। इस समय एक सदस्य माननीय अतीकुल रहमान खड़े हैं ही।

श्री उपाध्यक्ष---एक घंटा बढ़ाने से आप घाटे में ही रहेंगे इसलिये जोर न डालें।

श्री अतीकुल रहमान (जिला बिजनौर)---उपाध्यक्ष महोदय, यह सितमजदगाने महंगाई का बजट है यह उन लोगों का बजट है जो महंगाई के कारण सब से अधिक तकलीफ में थे, जिनकी आमदनी महदूद थी और जिनको अपनी मर्जी और अपने अख्तियार से अपनी आमदनी में इजाफा करने का कोई अख्तियार नहीं है। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है और इससे समाज में जो तंगी पैदा होती है तो जो लोग आजाद पेशे करते हैं उनको अख्तियार है कि वह अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी आमदनी में इजाफा कर लें। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को यह अधिकार नहीं है और जो हमारे छोटे कर्मचारी हैं और जिनकी आमदनी थोड़ी है, उनको रिलीफ पहुंचाने के लिये यह बहुत ही मुबारक कदम उठाया गया है। मैं वित्त मंत्री जी को इसके लिये बधाई देता हूं।

उधर से, अपोजीशन की तरफ से बहुत से ऐतराज किये गये हैं और हमारे मकासिद में शुबह का इजहार किया गया है। मसलन कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से इस बात पर संदेह जाहिर किया गया कि गालिबन हमने किसी मजबूरी और हालात की बिना पर समाजवाद कायम करने के लिये एलान कर दिया है लेकिन वाकैतन हमारा यह इरादा और मंशा नहीं है। लेकिन अगर हमारी तारीख (इतिहास) को देखा जाय और हमारे हुकूमत के कामों को देखा जाय तो क्या इसमें कोई संदेह हो सकता है कि हमारा यह लक्ष्य नहीं है? क्या हमने जमींदारी एबालीशन नहीं किया और क्या हमने खेती और गावों के कामों की तरफ सिर्फ इसलिये ध्यान नहीं दिया कि ७५ फीसदी आबादी हमारे प्रदेश की गांवों की है। जब हमने इस ओर ध्यान दिया है और हमने जमींदारी का अन्त किया है और उसके बाद सिर्फ हमने जमींदारी का अन्त करके इस मामले को छोड़ नहीं दिया है बल्कि हमने कोआपरेटिव फार्मिंग और सीलिंग कायम करने और हदबन्दी करने का इरादा किया है तो यह यकीनन बात दिखाती है कि हम इस बात पर मुसिर हैं और इस बात पर जमे हुए हैं कि

[श्री अतीकुल रहमान]

हम अपने प्रदेश में समाजवाद कायम करेंगे क्योंकि हम उधर से चलना चाहते हैं जो मसला ज्यादा आबादी से ताल्लुक रखता है, जो मसला देहातों से ताल्लुक रखता है मुझे इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि माननीय पालीवाल जी ने यह फरमाया कि सीलिंग हम देहातों में तो कायम कर रहे हैं, लेकिन हम सीलिंग शहरों में नहीं कायम कर रहे हैं। यह बात उन्होंने इस तरह कही गोया सीलिंग कायम करना कोई बड़ा भारी जुल्म है कि वह जुल्म हम देहातों पर तो ढा रहे हैं और शहरों पर नहीं ढा रहे हैं।

मेरा अर्ज करने का मकसद यह है कि हम देहातों की तरक्की के लिये और अपनी ज्यादा से ज्यादा जनता की बहबूदी के लिये यह मकसद अपने सामने रखते हैं और उन वर्गों का और उन गिरोहों का सब से पहले खयाल रखते हैं जो ज्यादा तादाद में हों और जो पीछे हों। यहां बहस में अपोजीशन की तरफ से यह बात भी बार-बार उठाई गई कि हमारा बजट शहरों का ज्यादा खयाल रखता है और हम शहरों को ज्यादा रुपया देते हैं, शहरों पर ज्यादा रुपया खर्च करते हैं और गावों पर नहीं करते। दुनिया बहुत छोटी हो गई है और इस जमाने में शहर और देहात का सवाल कम से कम मेरी समझ में नहीं आता। न मेरी समझ में यह आ सकता है कि कौन सा ऐसा काम है जो शहर में किया जाता है और उससे देहात को फायदा नहीं होता और कौन सा ऐसा काम है कि जो देहात में किया जाता है उससे शहर को फायदा नहीं होता। शहर और देहात की तरक्की एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है फिर मैं यह नहीं समझता कि कौन सी चीजें अपोजीशन को ऐसी मिलीं कि जिनकी बिना पर यह समझा गया कि देहात पर काफी रुपया सर्फ नहीं हो रहा है। क्या कम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं है? इतना बेहतर और इतना इन्क्लाबी प्रोग्राम है कि हम तीसरी पंचवर्षीय योजना के बीच तक इस बात की तवक्को रखते हैं कि हमारे प्रदेश के तमाम गांव इसमें शामिल हो जायंगे और हर जगह ब्लाक कायम हो जायगा। यह कम्यूनिटी प्रोजेक्ट का प्रोग्राम क्या है अगर देहात का उद्धार नहीं है, अगर देहात का उठान नहीं है।

कृषि के सिलसिले में आदरणीय विरोधी दल के नेता ने कुछ फिगर्स दिये थे इस हाउस के सामने। वह फिगर्स पुराने हैं। मैं यह भी मान सकता हूं कि मुमकिन है कि कुछ कसिया रही हों। लेकिन उन्होंने इस बजट के सिलसिले में कोई बात ऐसी सजेस्ट नहीं की कि इसमें क्या कमी है। इससे ज्यादा देहात के उद्धार के लिये क्या हो सकता है और इस महंगाई का मुकाबला करने के लिये और गल्ले की पैदावार के लिये क्या हो सकता है कि पांच लाख टन पैदावार बढ़ाने की स्कीम वित्त मंत्री ने अपने तजाबीज में रखी है।

श्रीमन्, आदरणीय पालीवाल जी ने यह भी एतराज किया है कि बजट की रूपरेखा कुछ गलत है और आउट आफ डेट (पुरानी) है और इस जमाने के लिये इसकी जरूरत नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इसकी रूप रेखा क्या होना चाहिये। मैं बजट का कोई माहिर नहीं हूं और टेक्नीकल बातों को उसकी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हमने प्लान बनाया और प्लान कैसा बनाया, एक नेशनल प्लान बनाया। वह नेशनल प्लान किसी एक पार्टी का बनाया हुआ प्लान नहीं है यह हमको याद रखना चाहिये। हर एक पार्टी इस प्लान में शामिल है। जब हमारे प्लान में हर एक पार्टी शामिल है और हमने प्लान बनाया है तो हमको इस तौर पर इसको देखना चाहिये कि आया यह बजट हमारे प्लान के लक्ष्य को पूरा करता है या नहीं और हम उस तेजी के साथ उस तरक्की के रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं और जितना काम हो जाना चाहिये था वह हो रहा है या नहीं अगर वह हो रहा है तो बजट बेहतर है और उस पर तनकीद करने की कम से कम गुंजायश है। अगर नहीं हो रहा है तो अपोजीशन को बतलाना चाहिये कि यह कमी है। बहरहाल हमें सूरत से सरोकार नहीं काम से काम है।

अपोजीशन ने छीजन (वेस्ट) के मुतालिक भी कुछ बातें कहीं। मेरी गुजारिश यह है कि हम अपने देश में बड़े-बड़े निर्माण कार्य कर रहे हैं। वे इसलिये हो रहे हैं कि हम अपने

देश की सदियों की कमी को पूरा करें। हमारा करीब का माजी (भूतकाल) शानदार नहीं गुलामी की दास्तान है। उन सब कमियों को पूरा करने के लिये हम बड़े-बड़े कदम उठा रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ बेस्ट हो रहा हो लेकिन हम कल्याणकारी समाज बनाने जा रहे हैं और उसकी बुनियाद समाजवादी उसूलों पर रख रहे हैं। हमारी जो कुछ भी बदनसीबियां रही हों उन बदनसीबियों के पर्दे में एक खुशनसीबी का यह पहलू जरूर है कि हमसे पहले इंगलिस्तान में उसके बाद यूरोप में, उसके बाद अमेरिका में और उसके बाद रूस में सनअती इन्क्लाब, औद्योगिक क्रान्ति हो चुकी है। और हमारे सामने नजरियात की एक तारीख है और उसके साथ-साथ हमारे मुल्क की एक अजीमुश्शान तहजीब है। उस तारीख, तहजीब और तमद्दुन की रोशनी में और उन तजुर्बात की रोशनी में हम अपने मुल्क में समाजवाद कायम कर रहे हैं। इसलिये मेरी अर्ज है कि हम तमाम तकलीफों को नजरन्दाज करें और इस प्लान को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश करें। मैं इन अल्फाज के साथ इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—अब मैं समय बढ़ाने के बारे में श्री गोविन्दसिंह विष्ट का प्रस्ताव लेता हूं। उसके बारे में माननीय वित्त मंत्री की क्या राय है।

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल सिर्फ यही नहीं कि एक दिन का वक्त पूरा बढ़ गया बल्कि जो लंच का वक्त था वह भी खत्म कर दिया गया है जिसके मायने यह है कि एक घंटे का समय और पूरा मिल गया। वैसे तो कभी खत्म नहीं होगा। हर एक सदस्य कुछ न कुछ अपनी बात कहता ही रहेगा। कहीं न कहीं इसकी एक लाइन ड्रा करनी होगी। इसलिये अब कोई वजह वक्त बढ़ाने की मालूम नहीं होती है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं यह प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री अपना भाषण एक घंटे की जगह आधे घंटे तक सीमित रखें ताकि बचा हुआ समय अन्य बचे हुए सदस्यों को मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि सदन समय बढ़ाने के प्रश्न पर एकमत नहीं हो रहा है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, एकमत तो हो जायेंगे। मैं समझता हूं कि वित्त मन्त्री जी ने सब की बात सुन ली है और उन को मालम हो गया है कि विरोधी पक्ष इसके लिए राजी हैं कि एक घंटे का समय ले लिया जाय और इसमें उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब उन्होंने खुद ही कहा कि एक दिन कैसे बढ़ गया, लंच भी बढ़ गया तो अब हम सिर्फ एक घंटा और मांग रहे हैं और आप के द्वारा मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वे इसको मान लें नहीं तो जो आगे की चीज होगी उसको वे देखेंगे ही।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, आज शनिश्चर का दिन छुट्टी का दिन था उसे वे ले सकते हैं तो क्या एक घंटे का और टाइम वे हमारे लिये नहीं छोड़ सकते। मैं समझता हूं कि टाइम जरूर मिलना चाहिए। अभी कितने ही जिलों के प्रतिनिधि रह गये हैं जिनको बोलने का मौका नहीं मिला है।

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—समय बढ़ाना मुश्किल है क्योंकि सदन एकमत नहीं हो रहा है। अब श्री लक्ष्मीरमण आचार्य बोलेंगे और उनके बाद वित्त मन्त्री बोलेंगे, इस लिए अब और कोई सदस्य खड़े होने का कष्ट न करें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मेरे प्रस्ताव पर राय ले ली जाय।

श्री उपाध्यक्ष—जब समय नहीं है तो मैं समझता हूं कि आप प्रेस न करें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, एक जानकारी का प्रश्न है। आप ने अभी कह दिया कि लक्ष्मीरमण जी आचार्य बोलेंगे और उसके बाद वित्त मन्त्री बोलेंगे और कोई दूसरा भाषण नहीं होगा। इसके विरोध में हम सदन को त्याग कर देंगे जब तक कि वित्त मन्त्री जी इस सदन में बोलेंगे। ५ बजे के बाद अगर बिक्री कर विधेयक आजायगा तो हम फिर आजायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—मैं एक बात बता दूं सन् १९५७ में मैंने एक व्यवस्था दी थी उसके पहले भाषण का समय कांग्रेस पार्टी का ज्यादा होता था लेकिन मेरी व्यवस्था के बाद कांग्रेस पार्टी का समय अब १०·५५ घंटे रहा और अपोजीशन का समय ११·५१ घंटा रहा। इतनी सहूलियत के बाद भी अगर आप वाकआउट करना चाहें तो उसका अधिकार तो आपको है ही।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आपके आने से पहले हमें बार-बार आश्वासन दिया गया कि भजनलाल जी जरूर बोलेंगे लेकिन अब आप आगये तो आपने कह दिया कि लक्ष्मीरमण जी बोलेंगे और वित्त मन्त्री जी बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—आपकी पार्टी के तो एक सदस्य बोल चुके हैं लेकिन जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को मौका नहीं मिला।

श्री राजनारायण—हम तो वाक आउट करेंगे।

(श्री राजनारायण ने समाजवादी दल के सदस्यों के साथ सदन का परित्याग किया।)

***समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)**—उपाध्यक्ष महोदय, ११९·६५ करोड़ रु० की आमदनी वाला बजट इस सदन के सामने पेश हुआ। १२१·४५ करोड़ रुपया इसमें खर्चा है। मुझे दुख है कि दो दिन में इस सदन के सामने सुन न सका और बहुत सी बातें जो कि सदन के माननीय सदस्यों ने कहीं उनको सुनने का अवसर मुझको न मिला। लेकिन जितना कुछ मैंने सुना है उसके आधार पर मैं यह कहूंगा, बिना किसी संकोच के, कि बहुत मूल्यवान चीजें सदन के सामने आई हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता किसी माननीय सदस्य को जिसने कि इस सदन में अपने विचार प्रकट किये हैं, कि उसकी नियत में कहीं कोई ऐसी बात रही हो जिसके सम्बन्ध में उनको दोष दूं। लेकिन इतना जरूर मुझे भान हुआ है कि शायद दुनिया में सबसे सरल चीज किसी चीज को बुरा कहना है। अगर कोई और भी बजट इस सदन के सामने आया होता तो भी उस पर इसी प्रकार की चर्चा होती। श्रीमन्, जैसा कि जगदीश शरण जी ने कहा कि इस बजट के द्वारा कोई क्रान्तिकारी चीज हम सदन के सामने रख सकते, तो यह सम्भव नहीं था। मैं केवल इतना ही धृष्टता करना चाहता हूं उन माननीय सदस्यों से जिन्होंने इस आय-व्ययक की आलोचना करने की कृपा की कि वे इतनी कृपा और करें कि वह दूसरे विचारों को सुनें तो यह बड़ा अनुग्रह होगा।

विचित्र अवस्थाओं में हमारा यह आय-व्ययक का लेखा प्रस्तुत किया गया है। सदन के माननीय सदस्यों को यह ज्ञात होना चाहिये कि हमारा देश संसार में पहला देश है जो जनतंत्र के ढंग से समाजवाद को लाने का प्रयत्न कर रहा है। हमारा यह देश और प्रदेश संसार में पहला ही है जिसमें नियोजन को जनतंत्र के ढंग से लागू करने का प्रयत्न किया जा रहा है। मैं जानता हूं और इतिहास का प्रत्यक विद्यार्थी जानता है कि नियोजन में निरंकुशता के ढंग से संसार में कुछ प्रयत्न हुए हैं, कुछ परीक्षण हुए हैं। मेरे मित्र झारखंडेराय जी, मेरे दुर्भाग्य से और इस सदन के दुर्भाग्य से इस सदन में उपस्थित नहीं हैं। सचमुच मेरी आकांक्षा थी कि वे सदन में उपस्थित होते, उनके कुछ साथी यहां हैं जो इस विचार परिपाटी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो संसार के कोने-कोने में असफल हो चुकी है। वह विचार परिपाटी जिसके पीछे हिंसा है, वह विचार परिपाटी जो न्याय को अन्याय और हिंसा से लागू करना चाहती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)—जो कुछ आप कह रहे हैं, जिस ढंग से कह रहे हैं, यह आप उस चित्र की ओर देख रहे हैं जो आपके सामने लगा हुआ है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—श्रीमन्, मेरे मित्रों को यही चीज ज्यादा अच्छी लगती है लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह चीज नहीं कहूंगा ।

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि हमने जो आय-व्ययक का लेखा इस सदन के सामने रखा है, वह कुछ सीमाओं में बंध कर रखा है । और वह इस दृष्टिकोण से रखा गया है कि जिससे इस सदन का प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक सदस्य कुछ गौरव प्राप्त कर सके और आने वाले इतिहास के दृष्टिकोण में इस सदन का प्रत्येक व्यक्ति एक नया परीक्षण संसार को देने वाला साबित हो । हम लोग इस देश में जनतंत्र के द्वारा प्लानिंग करते हैं, इस देश और प्रदेश में समाजवाद की स्थापना की धृष्टता करना चाहते हैं जनतंत्र के द्वारा । और इस प्रकार के बजट में जिसमें कि हमारी आय का, हमारे धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहले ही से निश्चित किया जा चुका है कि वह किस प्रकार से खर्च होगा, यदि उसके सम्बन्ध में कुछ लोगों को हर्ष न हो, और उसके सम्बन्ध में कुछ लोगों के हृदय में कुछ सेंसेशन क्रिएट न हो तो कोई असम्भव बात नहीं है ।

श्रीमन्, इस बजट को दूसरी दृष्टि से भी देखना पड़ेगा । कठिनाइयां बहुत हैं और उन सभी कठिनाइयों को यदि हम लेकर चलें तो मेरा खयाल है कि मेरे माननीय मित्र जो कि दूसरी ओर बैठे हुए हैं वे भी शायद उन कठिनाइयों को बहुत सरलता के साथ देखेंगे । एक अजीब प्रकार की दुनियां में हम लोग रहते हैं । अभी देहली में आबादी के सम्बन्ध में एक कांफ्रेंस हुई थी और उसमें जुलियस हक्सले जो इसके विशेषज्ञ हैं, वे भी बोले थे । मैं ज्यादा जानता नहीं लेकिन मेरे कई मित्र उधर के वक्तन फवक्तन राम राज्य की चर्चा करते रहे हैं और मेरे कुछ मित्र इधर के भी राम राज्य की चर्चा करते हैं । पांच हजार वर्ष पहिले जब कि इतिहास बनने लगा था, जब कि संस्कृति और सभ्यता का इतिहास शुरू हुआ तो सारे भूमण्डल की आबादी केवल २० मिलियिन थी यानी करीब २ करोड़ व्यक्ति थे । सन् १८५० में भूमण्डल की आबादी १,००० मिलियन हो गयी और इस तरह से सन् १९२० में भूमण्डल की आबादी श्रीमन्, २,००० मिलियन हो गयी और ६० वर्ष के बाद सन् १९८० में यह खयाल किया जाता है कि जितनी १९२० में आबादी थी उसकी दुगुनी होगी । जुलियस हक्सले ने अपने एक पुराने लेख में लिखा था कि दुनिया अंधेरे में है, एटम बम के युग में सारे मिनरल्स और मेटल्स समाप्त होते जाते हैं, जंगल कटते जा रहे हैं, सारे संसार में जंगलों का सफाया हो रहा है । संसार के जितने रिसोर्सेज हैं, जितने मिनरल्स या धातु हैं ये सब समाप्त होते जा रहे हैं । सन् १९१८ में केवल यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका में वहीं के जितने मिनरल्स व मटल्स थे वे सब खतम हो गये । सन् १९५७ की रिपोर्ट है कि संसार के जितने मिनरल्स व मेटल्स हैं वे सब अमेरिका में ही खतम हो गये । इस तरह से जंगल कटते जाते हैं, रिसोर्सेज कम होते जाते हैं और जमीन की पैदावार बढ़ाने के लिए जिस ताकत की जरूरत है वह इरोजन के नाम पर समाप्त होती जा रही है ।

सन् १९४७ में हमारे देश की आबादी जहां पहले ३७ करोड़ थी, हमारा अन्दाजा है कि यह आबादी नित्य प्रति बढ़ती जा रही है, ५० ६०, लाख आदमी हर साल बढ़त जा रहे हैं । हमारे प्रदेश की आबादी सन् १९४७ में ६ करोड़ २७ लाख के करीब थी जो अब करीब ६ करोड़ ८२ लाख के हो गयी है और नित्य प्रति यह आबादी बढ़ती जा रही है । जुलियस हक्सले ने इस सम्बन्ध में एक चीज लिखी है जिस को म इस सदन क सामने पढ़ दूं जिसके जरिये एक सच्चा चित्र उन्होंने उपस्थित करने की चेष्टा की है :

"The world's population will be less, well nourished and reduced opportunities for enjoyment and fulfilment."

इसके परिणाम स्वरूप संसार की सारी आबादी को भोजन कम मिलेगा और शारीरिक रूप से उसकी तरक्की बन्द हो जायगी और संसार को जो कुछ मिलता है उसमें भी निरन्तर कमी

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

होती जायगी। हमारे देश की और भी विचित्र स्थिति है, श्रीमन्। मैं यदि अपने मित्रों को एक ही उद्धरण देने की चेष्टा करूं तो वह शायद ठीक होगा। सन् १८७५ में लार्ड लुई मले ने जो कि उस समय सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इन्डिया लार्ड सेलिस्बरी थे उन्होंने कहा था :

"That by checking the growth of India's productive forces and by converting it into a market of British manufactures and as a source of raw materials, the Imperialists made India's economy hang largely around agriculture and import and export trade. The old equilibrium between India's agriculture and India's manufactures was destroyed and was replaced by a new equilibrium between India's agriculture and British manufactures."

श्रीमन्, यह क्रम १५० वर्ष पहले से चल रहा है। डेढ़ सौ वर्ष पहले इस देश की पैदावार के जितने साधन थे उनको अंग्रेजी व्यापार का अड्डा बनाने के लिये इस देश के संतुलन को समाप्त किया और इस देश की अर्थ व्यवस्था केवल खेती पर निर्भर रही। उसका परिणाम यह हुआ कि इस प्रकार की असंतुलित अर्थ व्यवस्था प्रारम्भ हुई और जिस के परिणामस्वरूप भारतवर्ष इस प्रकार की आर्थिक स्थित में आकर खड़ा होगया है जहां या तो वह कृषि का देश ह या संसार भर के पूंजीपतियों के व्यापार का अड्डा ह। मेरे मित्र यदि मुझे क्षमा करें तो मैं उनके सामने एक और आंकड़ा रखना चाहता हूं। आज दुनियां में हमारी स्थिति क्या है? दुनियां में हमारा क्षेत्रफल १,२२,१५१ स्क्वायर माइल और प्रत्येक स्क्वायर मील पर ४४७ आदमी रहते हैं। श्रीमन, दुनिया में क्षेत्रफल के लिहाज से, प्रति वर्गमील के घनत्व में हमारा स्थान चौथा है। हमारे मित्रों ने जापान, इजिप्ट और चाइना का जिक्र किया। मैं उनसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि चाइना का क्षेत्रफल ४२,७०,००० स्क्वायर मील है और उनका प्रति वर्ग मील का घनत्व ९७ है। आप के प्रति वर्ग मील का घनत्व ४४७ है। जापान का प्रति वर्ग मील का घनत्व ३३१ है और इजिप्ट का घनत्व केवल ३८ है। यही नहीं, बल्कि श्रीमन्, इसमें एक बड़ी कठिनाई है। हमारे देश में खेती जबसे एक मात्र जीविका साधन बनी है तबसे निरन्तर उसके प्रति हमारे यहां का शासक लापरवाह रहा ह। खेती को अच्छा बीज मिले, पानी मिले, खाद की अच्छी व्यवस्था हो और नये प्रकार के विज्ञान का उससे साथ हो। हमारे शासक ने इस चीज को शायद स्वीकार नहीं किया और उसी का निश्चित परिणाम है कि आज संसार में प्रति एकड़ सबसे कम पैदावार हमारी है। मेरे मित्रों ने कृपा पूर्वक कुछ आंकड़े पढ़ दिये और मैं उन आंकड़ों के सम्बन्ध में ज्यादा चर्चा करूं तो शायद उचित न होगा।

एक सदस्य---करना चाहिये, खूब ब्यौरे से करना चाहिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---यदि आप आज्ञा देते हैं तो मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। मेरे मित्रों के पास में उत्तर प्रदेश के आंकड़ों की दो प्रतियां १९५५-५६ और १९५६-५७ के आंकड़े की हैं और मेरे मित्रों ने इन आंकड़ों को बार-बार रखा है किसी ने कहा है कि रूरल इन्कम गिर गई। गांवों की आमदनी गिर गई।

श्री गेंदासिंह---सभी को इन्कम गिर गई है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---आप जरा संतोष रखें। जब मैं गांवों की आमदनी का जिक्र कर रहा हूं तो मैं सभी की इन्कम का जिक्र करूंगा। मैं इस सम्बन्ध में कोई चीज छिपाऊंगा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष---(एक सदस्य के खड़े होने पर) मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मंत्री जी को अपना भाषण करने दें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---श्रीमन्, मैं जिक्र कर रहा था अपने मित्रों से और इस सदन से आंकड़ों के बारे में।

एक सदस्य---अब आंकड़ों के जाल में फंसे हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मैं आंकड़ों के जाल में नहीं फंसा हूं, बल्कि जो फंस गये हैं उनको निकालना चाहता हूं।

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---बार-बार माननीय सदस्यों को रोका जाय मैं इसको पसन्द नहीं करता। कृपया आप बैठ जायं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि सन् १९४७ गुजर चुका है सन् १९५४ से पहले बहुत वर्ष गुजर चुके हैं। यदि आप पिछले आंकड़ों को देख लें तो बड़ी कृपा होगी। आप १९५७–५८ के आंकड़ों को छोड़ दें। एक बहुत अजीब से अर्थ-व्यवस्था चली है। सन् १९४७ के बाद आमदनी में बढ़ोत्तरी हुई।

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---आप बैठ जाइये। मैं विरोधी दल के सदस्यों से कहूंगा कि वे मंत्री जी के भाषण में विघ्न डालने की चेष्टा न करें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जब हम सन् १९४७ से इन आंकड़ों को देखते हैं तो सन् १९४७ के बाद जब १९५४–५५ और १९५५–५६ का वर्ष आया तो १९५५–५६ में बहुत अच्छी फसल हुई थी। १९५४–५५ और १९५५–५६ में इतने वर्ष बाद खाद्यान्न की यह स्थिति हो गई कि भारत सरकार ने तय किया कि अन्न का बाहर निर्यात किया जाय। हमारा प्रदेश १९५४–५५ और १९५५–५६ में आत्मनिर्भर हुआ है। सन् १९५७ के प्रारम्भ में सबसे पहले ज्वार में कुछ तेजी आई। ज्वार की कीमतों में वृद्धि हुई। इस माने में मैं झारखंडेराय जी से सहमत हूं। उनकी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता हूं। यह सही है कि इस प्रदेश के कुछ लोगों ने सट्टे के द्वारा या चीजों को अन्दर रखकर यहां पर कृत्रिम भाव बढ़ाने की चेष्टा की। इसका परिणाम यह हुआ कि सन् १९५७ के बाद हमारे प्रदेश की खाद्य स्थिति में अन्तर आ गया। सन् १९५७ के बाद हमें कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जो अत्यन्त गम्भीर थीं। यह बात तो हमारे मस्तिष्क में थी कि खाली खाद्यान्न की कमी नहीं है, बल्कि खाद्यान्न के प्रति खेल खेला जा रहा है। लेकिन उसके साथ ही साथ सदन को यह न भूलना चाहिये कि उसी समय हमारे पूर्व के इलाकों में घनघोर वर्षा हो रही थी। कहीं पाला पड़ रहा था, कहीं बाढ़ आ रही थी। हमारा पूर्वी इलाका निरन्तर क्षति ग्रस्त रहा। उस जमाने में मैं सन् १९५७ का जिक्र कर रहा हूं, दो, ढाई हजार सस्ते गल्ले की दूकानों को रखना पड़ा एक ओर हमारे पहाड़ का इलाका है। सदियों से खाद्यान्न की कमी का इलाका है उसमें भी सस्ते गल्ले की दूकानें निरन्तर कितने वर्षों से चल रही हैं। हमारे यहां बुन्देलखंड का भी इलाका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश में हमेशा से अच्छी संख्या में उत्पादन हुआ है और एक प्रकार से ग्रेनरी के रूप में था। वह उत्तर प्रदेश के लिये ही नहीं बल्कि सारे देश के लिये ग्रेनरी के रूप में था। दुर्भाग्य से मानिये, मैं स्वीकार करता हूं और केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस तथ्य को स्वीकार करने में किसी को भी कठिनाई न होगी कि इस वर्ष हमारे पश्चिमी इलाकों में अधिक वर्षा हुई।

श्रीमन्, मैं एक ऐसे जिले का रहने वाला हूं जहां इससे पहले इतनी अधिक वर्षा कभी नहीं हुई थी। औसतन वर्षा २० इंच की हुआ करती थी और इस बार ६२, ६३ और ६५ इंच तक वर्षा हुई, वाटर लागिंग हुई, लम्बे लम्बे खेतों में बहुत दिनों तक पानी भरा रहा। परिणाम यह हुआ कि सचमुच १९५८ में ऐसी स्थिति पैदा हो गई। हमारे यहां १९५८ के शुरू में गेहूं के भाव कुछ गिरे जनवरी के महीने में। जनवरी १९५७ में १५·३९ रु० भाव गेहूं का था और जनवरी सन् १९५८ में १५·१९ रु० गेहूं का भाव था और हमारा खयाल था कि शायद स्थिति कुछ ठीक रहे। लेकिन उसके बाद प्रकोप हुआ। ५ परसेंट भूमि में बुवाई नहीं हुई और ५ परसेंट भूमि पर जितना पैदा होना चाहिये था वह नहीं पैदा हुआ। इसके और भी कारण हैं उनमें जाना उचित न होगा। लेकिन यह जरूर है कि जो हमारा व्यापारी वर्ग है उसका भी इसमें हाथ रहा है। जहां और कारण हैं उनमें एक मुख्य कारण यह भी रहा कि मनुष्य ने अपने

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

स्वार्थ के लिये अधिक मुनाफा कमाने के लिये खाद्यान्न को छिपाया, और कृत्रिम रूप से भावों में बढ़ोत्तरी इस प्रदेश में हुई। इसके लिये जहां और कारण जिम्मेदार हैं वहां व्यापारी वर्ग भी जिम्मेदार है।

श्रीमन्, खाद्यान्न के सम्बन्ध में इस समय एक बात कहना चाहता हूं। शायद हमारे मित्र कुछ गलती पर हैं। इस समय मेरे मित्र यादवेन्द्र दत्त दुबे यहां नहीं हैं अगर होते तो मैं दिखा सकता। मैं अपने मित्रों को आंकड़े के फेर में नहीं डालना चाहता। मैं चाहता हूं कि आंकड़ों के फेर में न पड़ कर चीजों को देख सकें। हमारे सारे देश में १९५१-५२ में करीब ४२·९ यानी ४२·९ मिलियन टन खाद्यान्न पैदा हुआ। श्रीमन्, १९५७-५८ में ५२·०८।

एक सदस्य---सन् १९५०-५१ में भी बताइये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---श्रीमन्, मेरे पास सन १९५१-५२ के आंकड़े इस समय नहीं हैं। जो मेरे मित्रों के पास हैं उनको देख लें।

एक सदस्य---१९५०-५१ के बतायें ?

श्री उपाध्यक्ष---मैं बराबर निवेदन कर चुका हूं। अगर माननीय सदस्य नहीं मानते तो मुझे मजबूरन किसी सदस्य को कहना पड़ेगा कि वह सदन को छोड़ दें। जब आप भाषण करते हैं तो इधर से इस किस्म की बात नहीं होती है। मेरे बराबर निवेदन करने पर भी कोई न कोई बात कही जाती है, मैं चाहता हूं कि उनको आप कहने दीजिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---श्रीमन्, मैं आपका अनुगृहीत हूं कि मेरे मित्रों से आपने कहा, मैं उनसे केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यदि उनकी बात को सुनने की क्षमता हम में है तो वह भी सुनने की कृपा करें। मैं यह कहता हूं कि १९५१-५२ में हमारे यहां ४२·९ था और उसके बाद के आंकड़े भी मैंने सदन को दिये। तो देश में खाद्यान्नों की बढ़ोत्तरी हुई। १० मिलियन टन अधिक खाद्यान्न बढ़े। लेकिन सन् १९५१-५२ की जो एकोनामिक एन्ड स्टेटिस्टिकल एडवाइस है केन्द्रीय सरकार की उसमें कहा गया था कि अगर देश में केवल ४-५ टन मिलियन अनाज बाहर से मंगा लिया करें तो बहुत है, लेकिन श्रीमन्, मेरे खयाल से यह बात सही नहीं थी। १९५१-५२ के मुकाबले में यदि हम उनके आंकड़े मानते तो ९ प्रतिशत अन्न हमको बाहर से मंगाना पड़ता, लेकिन जब हमने इसका हिसाब लगाया तो वाकई में १९५७ में ३३ प्रतिशत अन्न मंगाना ही नहीं पड़ा, हमारे देश में जितना अन्न बढ़ा उसके अलावा ३३ प्रतिशत अन्न की यहां पर खपत भी हुई। मेरे मित्र कृपा करके यह देख लें यह बढ़ोत्तरी क्यों कर हुई ? १९५१-५२ में हम यह समझते थे कि ९ प्रतिशत अन्न से ही हमारा काम चल जायगा, आगे चल कर १९५७ में ३३ प्रतिशत अन्न बाहर से, जितना कि हमारे देश में पैदा होता था, उसके अतिरिक्त आया। मैं तो विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि जैसे जैसे देश का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, जैसे जैसे देश की आमदनी बढ़ेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में नया जीवन व्यापेगा निरन्तर इस देश में अनाज की खपत बढ़ती जायगी। यदि हमारे मित्र औषधि विज्ञान में विश्वास करें और १४०० केलोरी प्रति व्यक्ति को देने की कोशिश करें तो सारे संसार में ४० प्रतिशत अन्न की कमी है और आपके देश में भी ४०-५० प्रतिशत अन्न की कमी है। पता नहीं वह युग कब आयेगा जब इस बढ़ती हुई आबादी के साथ ४० प्रतिशत अन्न की कमी पूरी हो सकेगी ? एक बुजुर्ग, जो इस वक्त सदन में नहीं है, उन्होंने यह कहा पता नहीं इस डेढ़ सेर के अनाज में यह देश कैसे जीवित है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---मैंने बार बार निवेदन किया कि बीच में न टोका जाय। यह अफसोस की बात है। यह सदन है या आप इसे क्या बनाना चाहते हैं ?

*श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि यह आज्ञा तो आपकी शिरोधार्य है। मैं सर्वथा इसे स्वयं अनुचित समझता हूं कि जो माननीय सदस्य बोल रहे हों उन्हें बीच में टोका जाय, लेकिन मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि जब माननीय त्रिलोकी सिंह जी बोल रहे थे, मैं बोल रहा था और झारखंडेराय जी बोल रहे थे तो कई बार टोके गये। भाषण में उन सदस्यों के नाम भी मिल जायंगे। मैं आशा करता हूं कि उधर के सदस्य भी इस बात का खयाल रखेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय पालीवाल जी से सहमत हूं कि उस तरफ के लोग ऐसा करते हैं तो अनुचित है। लेकिन बहुत से माननीय वक्ता इसे अनुचित नहीं समझते और उनको टोका जाता है तो वे इसे पसन्द करते हैं और वे उसका जबाव देते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---हम उसका स्वागत करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---आप लोग स्वागत करते हैं तो ठीक है लेकिन अगर कोई स्वागत नहीं करता तो वह चीज उस पर लादी न जाय।

श्री गेंदासिंह---ज्यादा बात तो हम लोगों ने भी इसी खयाल से की।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मैं यह जिक्र कर रहा था कि अन्न की सारे संसार में कमी है और दूसरे महायुद्ध के बाद निरन्तर कमी होती चली जाती है और मध्य पूर्व एशिया में दूसरे महायुद्ध के बाद निरन्तर १०, १५ प्रतिशत अन्न की कमी बढ़ती चली गयी है।

मेरे मित्रों ने बहुत अधिक चर्चा की नागपुर प्रस्ताव की। चन्द्रजीत यादव जी ने यह कहा कि आज तो हम मजबूर हो गये हैं जिसके कारण हम सोशलिस्टिक सोसाइटी तथा कोआपरेटिव फार्मिग का जिक्र करते हैं। झारखंडेराय जी ने उसका जिक्र अपने तौर पर किया। मैं उसका जिक्र अपने तौर पर लम्बी बात न कह कर संक्षेप में कहूंगा कि हम मजबूर हुए हैं या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जिस सोशलिज्म की कल्पना उनके मस्तिष्क में है वह सोशलिज्म हमारे मस्तिष्क में नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जिस सोशलिज्म में क्लास कांफ्लिक्ट हो, जिसके पीछे वायलेंस व हेटरेड की भित्ति कायम हो, जिसमें मीन्स एण्ड एण्ड्स के बारे में कहा जाय कि एण्ड ठीक होना चाहिये, मीन्स कुछ भी हों हमारे मस्तिष्क में इस किस्म क सोशलिज्म की कल्पना नहीं है। हम भी समझते हैं कि सामाजिक असमानता दूर होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को बराबरी का मौका मिलना चाहिय तथा ऐसे समाज की स्थापना होनी चाहिये जिसमें मनुष्य को मौलिक सुख मिल सके यानी रोटी, कपड़े तथा घर का प्रबन्ध हो सके, बच्चों की तालीम का प्रबन्ध हो सके और बीमार पड़ने पर दवा दारू का इन्तजाम किया जा सके। जिस समाजवाद में पूंजीवाद की प्रत्येक वृत्ति को, स्वभाव को हम समाप्त कर सकें उस समाजवाद की हम कामना करते हैं।

बार-बार जिक्र आया कि जब एक घर के दो भाई साथ में नहीं रह सकते तो फिर कोआपरेटिव फार्मिग कैसे हो सकती है, लेकिन जहां पर मनुष्य को सम्पत्ति से नेह हो, लगाव हो वहां यह बात लागू होती है और यह चीज पूंजीवाद समाज की देन है जिसे कि हम समाप्त करना चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि यह पूंजीवाद जिसने मनुष्य के मस्तिष्क में सम्पत्ति के प्रति नेह उत्पन्न किया है, जिसके द्वारा पूंजी की रचना की जाती है, धन को आंकड़ों में नापा जाता है, प्रत्येक चीज जिसको अपना कह कर पुकारा जा सके उसके लिये प्रयत्न किया जाता ह, उस पूंजीवाद को हम समाप्त करना चाहते हैं। हमारा समाजवाद यह अवश्य है। यही नहीं, श्रीमन्, जिस समाजवाद में समाज के अन्दर न्याय की स्थापना हो सके, जिस समाजवाद में मनुष्य के अन्दर समानता का अधिकार उत्पन्न हो सके उस समाजवाद के प्रति हम नतमस्तक हैं, लेकिन जिस विचारधारा का समाजवाद वह देना चाहते हैं, जिसकी परीक्षा उन्होंने की है और जो परीक्षा दुनिया के इतिहास में गलत साबित हुई है ऐसे समाजवाद की रचना हम नहीं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

करना चाहते हैं। अगर समाजवाद की स्थापना वह गोलियों के द्वारा करना चाहते हैं, उसकी स्थापना हम नहीं करना चाहते। झारखंडेराय जी ने कहा कि कुछ लोगों को फांसी पर क्यों नहीं चढ़ा दिया, यह जो मुनाफाखोर, पूंजीपति जिनके हम प्रतिनिधि हैं, उनको खत्म क्यों नहीं कर दिया। हम तो बुर्जुवा हैं ही। पूंजीपति और बुर्जुवा सरकार के प्रतिनिधि बनने का लांछन तो उनकी दृष्टि में हमारे ऊपर है ही, लेकिन मैं उनके उधार लिये हुए शब्दों पर जोर नहीं देना चाहता। उनके शब्दों को मुबारक है। अच्छे लगते हों, बहुत अच्छा। लेकिन श्रीमन्, हम यह जरूर कहना चाहते हैं कि जिस समाजवाद की स्थापना वह केवल बल के द्वारा करना चाहते हैं, जिस समय वह यह कह कर चलते हैं कि मनुष्य बुरा है और मनुष्य को ठीक करने का एकमात्र तरीका है कि गोली से मारो, श्रीमन्, वह तस्वीर जिसका जिक्र मेरे माननीय मित्र ने किया उस तस्वीर की छत्रछाया में बैठकर हम समाजवाद की कल्पना नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं श्रीमन् कि आज इसके सम्बन्ध में उन्हें गलतफहमी न रहे।

हम जरूर चाहते हैं कि कोआपरेटिव की स्थापना हो। हमको मालूम है कि मनुष्य का व्यक्तिगत सम्पत्ति से लगाव है और उस लगाव के कारण वह भूमि पर अधिक काम करता है अन्यथा वह काम नहीं करना चाहता। लेकिन श्रीमन्, पांच मिनट तो बहस में निकल गये....

श्री उपाध्यक्ष--आप माननीय वित्त मंत्री से समझौता कर लें। मुझे कोई एतराज न होगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--मैं आपकी ही आज्ञा शिरोधार्य करूंगा, श्रीमन्। श्रीमन्, मैं केवल इतना कहना चाहता था कि वह समाजवाद जिसकी कल्पना उनके मस्तिष्क में है, समाजवाद की वह कल्पना हमारे मस्तिष्क में नहीं है। मैं भी चाहता हूं कि व्यक्तिगत सम्पत्ति से लोगों का लगाव छूटे और यह स्वभाव समाप्त हो। लेकिन इसको करने का तरीका हमारा निश्चित रूप से भिन्न है। हम सीलिंग करना चाहते हैं। एक ऐसी सीमा करना चाहते हैं जिसके आगे हम समझते हैं कि उसके पास भूमि रहेगी तो वह पूंजीपति रहेगा। बाकी भूमि का हम वितरण करना चाहते हैं। हम किसान के अनाज के निम्नतर भाव स्थापित करना चाहते हैं। हम निस्संदेह स्टेट ट्रेडिंग की ओर जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बीच के मुनाफाखोर समाप्त हों। सर्विस कोआपरेटिव्ज बनाना चाहते हैं और किसानों से कहना चाहते हैं कि इसे स्वीकार करें।

अपने बढ़ते हुए देश को, जिसमें नये प्रकार का जीवन स्थापित करने की चेष्टा की जा रही है, हम अपने व्यक्ति को आगे ले जा सकें, पैदावार बढ़ा सकें, उस पैदावार का संतुलित और न्याय पूर्ण बटवारा कर सकें और कर सकें सत्य, अहिंसा और प्रेम के द्वारा यही हमारा बजट है।

श्री सैयद अली जहीर--उपाध्यक्ष महोदय, आज पांच दिन से जो बजट मैंने पेश किया था, उस पर तकरीरें हो रही हैं। जहां तक मैंने उन तकरीरों पर गौर किया और उन बातों को इकट्ठा किया जिनका मुझे जवाब देना चाहिए, तो मालूम तो यह होता है कि ज्यादातर तकरीरें ऐसी हैं कि तुमने कुछ किया ही नहीं, तुम्हारी कुछ नीति नहीं है, जो प्लान में तुम कर रहे हो उससे आज की रोजमर्रा की कठिनाई नहीं खत्म हो रही है, भ्रष्टाचार है, वगैरह-वगैरह। बहरहाल, इनके अलावा जो और बातें हैं खास-खास कुछ वाकयात का हवाला है, जनरल डिस्कशन है उसका जवाब भी होता रहा है। आज सुबह मुख्य मंत्री जी ने बहुत सी बातों की सफाई कर दी और जो बची बातें हैं वह लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने जहां तक फूड और कोआपरेशन का मामला है, उनका जिक्र किया। थोड़ी-सी बातें रह गई हैं जिनका मुझे सदन के सामने जिक्र करना है।

एक शिकायत तो बहुत मोअजिज मेम्बरान ने एसेम्बली में यह की कि तुम्हारा बजट करने का तरीका गलत है। तुम अपने बजट के तरीके को बदलो और इसमें कुछ ऐसी

तरमीमात करो कि इसको सब लोग समझ सकें। मैं बदलने के मुताल्लिक यह अर्ज करूंगा कि यह हम तसलीम करते हैं कि कोई भी तरीका हो उससे यकीनन बेहतर तरीका तो निकल ही सकता है और यह हरगिज नहीं कहा जा सकता कि कोई तरीका इतना अच्छा होगा कि उससे बेहतर हो ही नहीं सकता। जो दिक्कतें उसमें हैं वह तो मैं थोड़ी देर में अर्ज करूंगा लकिन पहले मैं यह बता दूं कि बजट किस तरह से बनता है और उसे किस तरह से पढ़ना चाहिये ताकि जो दिक्कतें हैं वह अपने आप ही हट जायं।

बजट के ४ वाल्यूम होते हैं। पहला वाल्यूम जैसा कि इसमें लिखा है वह तो मिनिस्टर इन्चार्ज की बजट स्पीच होती है। दूसरे वाल्यूम में फाइनेंस सेक्रेटरी का एक मेमोरेन्डम होता है जिसमें वह तमाम तफसीलें देते हैं और उसके दो भाग होते हैं। उसके शुरू में एक एब्सट्रैक्ट होता है और उसके बाद वह मेमोरेन्डम होता है और उस मेमोरेन्डम में एक्चुअल रिसीट्स और एक्चुअल एक्सपेंडीचर दिया जाता है, तो दूसरे में रिवाइज्ड रिसीट्स एन्ड एक्स-पेंडीचर का ब्यौरा रहता है। अब तीसरे हिस्से में आइन्दा साल के बजट का मेमोरेन्डम होता है और उसके फिगर्स का एक्सप्लेनेशन होता है उसे देखकर कोई भी पता लगा सकता है कि जो फिगर्स में चेन्जेज हैं उन सब की चर्चा उसमें दी हुई होती है, कहां घटी है, कहां बढ़ी है यह सब होता है। तो उसमें रिवाइज्ड रिसीट्स एन्ड एक्सपेंडीचर उस साल का और आइन्दा साल का दिया जाता है और उसकी तफसील और उनका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। अब तीसरा वाल्यूम आता है, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें नये एक्सपेंडीचर का जिक्र होता है यानी वह ऐसे खर्चे हैं कि जो पहले-पहले इसी साल शुरू किये जा रहे हैं। वह सब एक तरफ अलग कर दिये जाते हैं और उनके मुताल्लिक जो तफसील होती है वह १९५९–६० क बजट के नय एक्सपेंडीचर का एक्सप्लेनेशन होता है लेकिन जो सबसे ज्यादा तफसीली हिस्सा होता है उसके दो भाग होते हैं। शिकायत यह थी कि प्लान का अलग क्यों नहीं किया जाता और नान-प्लान का अलग क्यों नहीं किया जाता। जो नये आइटम हैं वह दो प्रकार के हैं एक प्लान के बाहर और एक प्लान के अन्दर। तो इन सब प्लान्ड आइटम्स की तफसील वाल्यूम ३ में होती है। इसके अलावा भी जो प्लान के पेजेज हैं उन पर पी० लिखा होता है और जो प्लान के बाहर के आइटम हैं उनका सिम्पिल पेजिंग होता है। इससे यह सहूलियत हो जाती है कि आसानी से जाना जा सकता है कि फला आइटम प्लान का है या प्लान के बाहर का है।

चौथे वाल्यूम में डिटेल्स एस्टीमेट्स और ग्रान्ट्स दी हुई होती हैं। यह वाल्यूम दो भागों में होता है, एक में तो एक्सपेंडीचर के एस्टीमेट्स होते हैं और दूसरे भाग में रेवेन्यू और रिसीट्स के ब्यौरेवार तखमीने दिये जाते हैं। इस वाल्यूम के शुरू में चन्द पेज में यह दिया हुआ होता है। इस में बड़े हेड्स दिये हुये हैं और उसके बाद ग्रान्ट्स हैं जो अलग-अलग कर दी गई हैं और तमाम इखराजात दिखाये गये हैं। इन इखराजात की तफसील वाल्यूम ३ में नये आइटम्स में मिलती है और दूसरे वाल्यूम को देखने से इन इखराजाता का पता चल जाता है। इस तरह से बजट बनता है और अगर मैं यह अर्ज करूं कि अगर कोई शख्स इसको फालो करे और यह देखें कि क्या सिस्टम इसमें अख्तियार किया गया है तो शायद इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब होता क्या है कि यह जो बजट बनता है इसमें कुछ हेड्स आफ अकाउंट होते हैं। यह हमारे नहीं होते हैं, यह तो फिक्स कर दिये जाते हैं। आडिटर जनरल इनको फिक्स करते हैं। और यह इसी सूबे के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश क लिए होते ह और उसी के साथ-साथ कुछ माइनर हेड्स भी होते हैं, वह भी फिक्स्ड रहते हैं। लेकिन यह हमको इजाजत है और यह हमने इसमें किया है कि जहां पर हेड्स हैं उनको नहीं बदला है और न बदल सकते हैं, लेकिन बाज-बाज हेड्स बढ़ गये हैं तो उनकी मुख्तलिफ ग्रांट्स कायम कर दी हैं। यह स्टेट्स के पावर में है। जैसे जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसके अन्दर १३,१४,१५ तीन ग्रांट्स हैं, ये तीनों उसी हेड के अन्दर हैं। वह हेड कहीं पर नहीं बदलेगा, वह तो जैसा आपने फरमाया कि कर्म का लेखा है, वहां से तय हो गया है और वहीं से चलता है। इसको जो हमने

[श्री सैयद अली जहीर]

डिवाइड किया है तो १३ में जैसे मिनिस्टर्स वगैरह के अखराजात, लेजिस्लेचर के अखराजात वगैरह, हमने यह इसमें लिखा है ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—यह क्या है, कुछ समझ में नहीं आया ।

श्री उपाध्यक्ष—आप अपनी-अपनी बजट की किताब खोल लें, और उसे देखें तब समझ में आ जावेगा ।

श्री सैयद अली जहीर—फिर १४ को देखें । उसमें कमिश्नर्स वगैरह के अखराजात हैं और डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन हेड आफ एकाउन्ट २५ अपनी जगह पर बदस्तूर कायम है । इसी तरह से १५ ग्रांट में है कि हेड आफ एकाउन्ट अपनी जगह पर कायम है, उसमें गांव-सभा और गांव पंचायत वगैरह के खर्चे हैं । इसके साथ-साथ में इस पर भी आपकी तवज्जह दिला दूं कि इन तमाम आइटम्स में जहां कहीं भी प्लान के आइटम्स हैं वह भी अलग दिखला दिये गये हैं और उनका हेडिंग वहां पर कायम कर दिया गया है और डेवलपमेंट स्कीम्स के नाम से हेडिंग हर जगह आपको देखने को मिलेगा । जैसे कोआपरेटिव क्रेडिट है, हेड आफ एकाउन्ट २८, उसके अन्दर डेवलपमेंट स्कीम मिलेगी और जो रुपया इसके मातहत है वह इसमें लिखा हुआ है और इसके बाद उसकी तफसील दे दी गयी है । चुनांचे इस तरह से वह तमाम बजट आप के सामने पेश कर दिया गया है । मैं यह अर्ज करूंगा कि बहरहाल, बावजूद इसके कि इसमें इतनी ज्यादा कोशिश की गयी है कि हर चीज साफ तौर से लिख दी जाय, अगर कोई साहबान नहीं समझे तो यह ज्यादा कसूर उसका नहीं है कि जिस तरह से यह बजट बना है, बल्कि यह कसूर है कि उसकी स्कीम्स को वह अच्छी तरह से नहीं समझे । सिविल वर्क्स में हेड आफ एकाउन्ट ५० अपनी जगह पर फिक्स है लेकिन उसमें ४ ग्रांट्स ३३,३४,३५,३६ अलग-अलग कर दी गयी हैं और अगर माननीय सदस्य पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि ग्रांट्स उसी तरह से हर जगह पर अलग होते हुए भी हेड आफ एकाउन्ट वही रहता है । बहरहाल, कम से कम माननीय नारायणदत्त जी को और मेरे दोस्त पालीवाल जी को यह समझने में काफी दिक्कत हुई और काफी वक्त अपनी तकरीर का इसके ऊपर सर्फ किया कि यह बजट का सिस्टम गलत है और इसका इम्प्रूवमेंट जरूरी है ।

तीसरी दिक्कत हमारी यह है कि कांस्टीट्यूशन में एक दफा है १५० । वह यह है :

"The accounts of the Union and of the States shall be kept in such form as the Comptroller and Auditor General of India, may with the approval of the President prescribe."

तो हम पाबन्द हैं इसके कि जिस तरह से वे हमको डायरेक्शन दें उसी हिसाब से हम एकाउन्ट रखें और उसी फार्म में पेश करें । इसमें सबसे बड़ी सहूलियत यह है कि सेन्टर में जहां ये बजट स्क्रूटिनाइज होते हैं, प्लान के लिये रुपया दिया जाता है वहां सारे हिन्दुस्तान में एक ही तरीका होने से कम्पेयर करने में असानी होती है । तो इस वजह से यह किया गया है । मेरे खयाल में इसमें कोई ऐसी बइयन खराबी नहीं है जिसकी वजह से यह कहा जाय कि बजट का सिस्टम बिल्कुल खराब है ।

हमारे दोस्त नारायणदत्त जी ने यह शिकायत की कि तुमने फाईनेन्स कमेटी को एबालिश कर दिया जिसकी वजह से हमको बजट के प्रोपोजल्स समझने का मौका नहीं मिलता । उन्होंने फरमाया कि हमको तो इसकी भी जरूरत है कि जब बजट बनने लगे तो विरोधी पार्टियां भी शरीक हों । उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि बजट का एक खास तरीका है और उस को इस तरीके से बनाया जाता है कि खुद सरकारी पार्टी के मेम्बर और जो कैबिनेट के बाहर मिनिस्टर्स हैं वे भी बजट के आखिरी प्रापोजल्स को जब तक कि वे छप कर तकसीम नहीं हो जाते उनको कोई शख्स नहीं जान पाता । बहरहाल, उसमें कोई राज की चीज हो या न हो, मामूली सा ही बजट हो लेकिन बाज वक्त यह हो सकता है कि उसमें जो इन्फार्मेशन होती है

अगर वह पहले से फैल जाय तो तमाम एकोनामी के ऊपर असर पड़ जाता है। सेन्टर के मुताल्लिक आपने देखा ही है कि दो एक दफा वहां पर लीकेज हो गया तो उसकी इन्क्वायरी हुई और बहुत ही स्ट्रिक्ट मेजर्स एडाप्ट किये गये ताकि लीकेज न हो पाये।

उनका यह भी सजेशन था कि अक्सर बजट में जो रुपया मन्जूर भी हो जाता है वह बहुत देर में दिया जाता है। मैं उनकी इत्तला के लिये यह बता दूं कि इसकी वजह गुजिस्ता में तो यह थी कि अक्सर स्कीम तो मन्जूर हो गयी लेकिन कब्ल इसके कि उसके ऊपर काम शुरू हो फिर वह डिपार्टमेंट में स्क्रूटिनाइज होती है और उसमें बाज वक्त देर लग जाती है। इस वजह से कुछ आइटम्स के मुताल्लिक अक्तूबर, नवम्बर में सैंक्शन जाती है। लेकिन जहां तक फाईनेन्स डिपार्टमेंट का ताल्लुक है हम बराबर इसकी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही बजट पास हो जाय जितनी पूरी स्कीम्स हैं उनका सैंक्शन जल्दी से जल्दी चला जाय और अब और ज्यादा जल्दी की जायगी।

यह भी शिकायत थी कि गवर्नमेंट आफ इंडिया का रुपया अक्सर बजट इयर के खत्म होने के ३–४ दिन ही पहले आता है। मैं यह अर्ज करूंगा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने भी अपना तरीका बदल दिया है और यह किया है कि तीन-चौथाई प्लान आइटम का रुपया हर महीने में स्टेट्स को भेज देंगे, यह नहीं कि सारा रुपया रुका हुआ है जब तक कि बिल्कुल फाइनल न हो जाय। तो यह शिकायत भी अब उनकी गालिबन बाकी नहीं रह जायगी।

जनरल बातों में इनके अलावा ज्यादातर जिक्र जो आया है वह फूड पालिसी का आया है। माननीय सदस्य जानते हैं कि गवर्नमेंट को भी इस मामले में काफी परेशानी रही है। इसके मुताल्लिक बहुत सी बातें आपके सामने बयान कर दी गयीं कि गवर्नमेंट यह चाहती है कि जिस तरह से भी हो सके हम इस स्थिति को अपने काबू में करें। कुछ न कुछ कीमत का बढ़ना मौजूदा हालत में तो लाजिमी था। उधर से तकरीर करते हुये एक माननीय सदस्य ने यह भी फरमाया कि जहां तक फूड ग्रेन्स की कीमत का ताल्लुक है मैं तो यह चाहूंगा कि ये और बढ़ें। ठीक है, उनका कहना कि इससे काश्तकार की एकोनामिक हालत बेहतर होती है और अगर किसी मुल्क की एकोनामी अच्छी होगी तो गिरी हुई एकोनामी के मुकाबिले में कुछ न कुछ कीमतों का ज्यादा होना लाजिमी है। लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है आपको खूब याद होगा कि अभी जो आंकड़े लक्ष्मीरमण आचार्य जी बतला रहे थे कि १९५५–५६ में और उसके करीब ऐसी नौबत आ गई थी कि गेहूं का भाव घटकर ४ सेर का आ गया था तो गवर्नमेंट को गल्ला खरीदने की स्कीम जारी करनी पड़ी थी जिसको प्राइस सपोर्ट स्कीम भी कहा जाता था तो ऐसी हालत में कुछ न कुछ कीमतों का बढ़ाना एकोनोमी के लिहाज से मुनासिब होगा। लेकिन सवाल यह है कि कहां तक बढ़े और इसमें ऐन्टी सोशल एलीमेंट्स का हाथ होता है, उसको हमें रोकना है, उसको हमें कंट्रोल करना है। यह ऐलीमेंट बहुत पावरफुल है और उसके असरात भी हैं, इसलिये हमें उसके लिये रास्ता निकालना होगा कि किस तरह से उनको मीट किया जाय। यह एक ऐसी चीज है जिस पर गौर किया जाय।

स्टेट ट्रेडिंग के लिये हमने तय किया है। अभी यह तय करना है कि गवर्नमेंट काश्तकार से सीधा अनाज ले और बेचे या एजेंट्स के जरिये बेचा जाय एक निर्धारित कीमत पर। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि इसके ऊपर अमल करने में तरह-तरह की कठिनाइयां आ सकती हैं। हम लोग इस पर गौर कर रहे हैं और जो कुछ हो सकता है वह हम करेंगे।

क्या-क्या हुआ है हमारे यहां इसके बारे में जनसंघ के एक बड़े नेता ने तो यहां तक कह दिया कि तुमने खाद्य समस्या के सुलझाने के लिये कुछ नहीं किया है। मुझे सिर्फ यह अर्ज करना है कि महज अनाज खरीदने के लिये हमने १२·४० करोड़ रुपये सप्लीमेंटरी बजट में आपसे मंजूर कराये हैं और मौजूदा बजट में ३८·७७ करोड़ रुपया रखा है। आप देखेंगे कि १९५७–५८ में हमने १३·६१ करोड़ रुपया रखा था। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता है कि हमने कुछ नहीं किया है। इसके अलावा जो भी हमने कदम उठाये हैं वह भी आप जानते हैं, आपके इल्म में है।

[श्री सैयद अली जहीर]

जितना हमारा रुपया प्लानिंग पर खर्च हो रहा है, जितना प्रोडक्शन पर खर्च हो रहा है, उस सब की मुख्य गरज यहीं है, उसकी मुख्य नीति यही है कि किसी न किसी तरह से खाद्यान्न की पैदावार बढ़े और हमारे यहां जो कठिनाइयां हैं वह दूर हों। कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स, ऐग्रीकल्चर तथा इरीगेशन के तमाम काम इसीलिये कर रहे हैं जिससे हमारे यहां की खाद्य समस्या अच्छी हो और लोगों की कठिनाइयां खत्म हों।

एक बात काबिले गौर है जैसा कि आपने खुद कहा कि यह सही है कि अनाज की कीमत बहुत बढ़ गई है और बाज वक्त तो ३२ रुपये मन गेहूं बिका जिसकी मिसाल नहीं मिलेगी। लेकिन जो फेमिन कंडीशन्स होती हैं वैसी सूरत हमारे यहां पैदा नहीं होने पाई। इसके माने यह हुये कि हमारे यहां एकोनामिक कंडीशन किसी तरह से इतनी परेशानकुन नहीं है जितनी पहले थी। इस कीमत को भी लोगों ने बर्दाश्त किया है। अब तो कीमतें घट रही हैं और हमने जो काम किये हैं उनकी वजह से भी अनाज सस्ता हो गया है और सूरतहाल बेहतर हो गई है। जो सूरतहाल पिछले दो साल पहले थी कि रोजमर्रा भुखमरी के किस्से आया करते थे, रोज तूफान उठा करता था, वह खत्म हुई और अब वह सूरतेहाल नहीं है बावजूद इसके कि अनाज की इतनी गरानी हो गई है।

अब मैं चन्द बातें जो हमारे नेता विरोधी दल ने अपनी तकरीर में कही थीं उनका कुछ थोड़ा-थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूं। जहां तक अनाज की कीमत का ताल्लुक है यही पहला प्वाइंट उन्होंने उठाया था। बहरहाल, इसके बारे में मैंने सफाई कर दी। उसके बाद उन्होंने अपनी तकरीर में---मैं इसको मुबालिगा ही कहूंगा, और क्या कहूं---उन्होंने कहा कि यह बजट जो है इसमें और सोशलिज्म में उतना ही फासला है जितना कि साउथ पोल में और नार्थ पोल में फासला है। ठीक है। उनकी यह राय है। मगर जिस चीज को हम सोशलिज्म समझते हैं बराबर हम उसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसा कि मैंने एलान किया है। मैं तफसील में क्या जाउं। आपके सामने कई तकरीरें हो चुकी हैं। उसमें वह सब तफसीलें बता दी गई हैं। आप जानते हैं कि वेलफेयर स्टेट और सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी बाई डेमोक्रेटिक मीन्स ही हमारा आब्जेक्टिव है। एक-एक कदम हम उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अबकी दफा हमने एलान किया जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि कोआपरेटिव फार्मिंग, स्टेट ट्रेडिंग और सीलिंग का जहां तक सवाल है यह तीनों बातें जो कि एक बहुत अहम बातें हैं, वह हम लाने जा रहे हैं। कहा गया कि इसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। सवाल यह है कि यह आइन्दा साल का बजट है। अभी इन चीजों पर फैसला हुआ है जनवरी के महीने में। बहरहाल इसके मुताल्लिक जो इन्तजामात आयेंगे वह आइन्दा साल में होंगे और लेजिस्लेचर में आयेंगे ही, जाहिर है लेजिस्लेचर में आये बगैर वह हो ही नहीं सकते। इस बजट में कोई इसकी जरूरत नहीं थी कि इसके मुताल्लिक कोई खास कदम उठाया जाय। इसलिए कि इसके मुताल्लिक क्या-क्या कदम उठाये जायं किस तरह से इसको अमल में लाया जाय इसका अभी कोई फैसला हमने नहीं किया है।

एक शिकायत गन्ने की कीमत के मुताल्लिक की गई। बहुत यह कहा गया कि बावजूद इसके कि इस हाउस ने यूनैनिमसली यह फैसला किया था कि गन्ने की कीमत बढ़ाई जाय लेकिन यह कीमत नहीं बढ़ी। आप जानते हैं कि यह चीजें हमारे अख्तियार की नहीं है। हम नहीं जानते कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पालिसी है और किन उसूलों के मातहत वह इसके ऊपर फैसला करते हैं? आपका फैसला उनको भी मालूम था, हमको भी मालूम था। हमारे यहां से वहां गया भी, लेकिन बहरहाल, उन्होंने यही कीमत रखना मुनासिब समझा। देश के हित में कीमत को बढ़ाना मुनासिब नहीं समझा। यह आप खुद भी जानते हैं। जहां तक कुछ ऐसे आंकड़े दिये हैं मैं उनसे इस वक्त बहस नहीं करूंगा कि शुगर केन में उतनी जमीन नहीं है या जमीन बढ़ी नहीं है जितनी कि और चीजों में बढ़ी है। मैं नहीं जानता, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है और जहां तक आम तौर से अन्दाजा करते हैं तो यह पता जरूर चलता है कि कम से कम एक परसेंट

जमीन जरूर बढ़ गई है गन्ने की काश्त में। यह लास्ट आंकड़ों से मुझे अन्दाजा हुआ था। मुझे मालूम नहीं कि इस वक्त क्या पोजीशन है।

इसी सिलसिले में इसकी भी शिकायत की गई कि पुलिस ने लड़कों के ऊपर हमले किये। मैं निहायत अदब से यह अर्ज करूंगा माननीय नेता से कि वह सिर्फ उस तकरीर को सुनें और देखें जो कि आचार्य कृपलानी ने इन लड़कों को अभी थोड़े दिन हुए यहीं लखनऊ में दी थी। मैं उनसे अर्ज करूंगा कि जहां तक बच्चों के फ्यूचर का ताल्लुक है उसके ऊपर देश की आइंदा जिन्दगी और तरक्की का दारोमदार है। अगर इनमें यही भावना पैदा हुई कि जो हुक्म होगा उसको वह तोड़ेंगे, जो आर्डर दिया जायगा उसको न मानने के लिए हर तरह के तरीके अख्तियार करेंगे तो मालूम नहीं हम कहां से कहां पहुंच जायेंगे। बहरहाल, हम सिर्फ यह चाहते हैं कि इन बच्चों में एक डिसिप्लिन और सच्चाई के साथ अपने फरायज़ को अदा करने की भावना पैदा हो। और वह तभी हो सकता है जब कि हम सब मिल कर उनको उस तरफ ले जाने की कोशिश करें। छोटे से छोटा ग्रुप भी अगर जाकर उनको गुमराह करने की कोशिश करेगा और इस तरह की भावना उनमें पैदा करने की कोशिश करेगा जिससे बहुत बुरा असर उनके फ्यूचर पर पड़ता हो और मुल्क के फ्यूचर पर पड़ता हो या जिस तरफ हम मुल्क को ले जाना चाहते हैं उस रास्ते पर पड़ता हो, तो यह इमकान है कि उस तरफ हम जा सकेंगे या नहीं।

एक यह भी शिकायत की गई कि प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट को रुपया क्यों दिया गया? यह सही है और हम चाहते हैं कि अगर हमसे हो सके तो हम अपनी इंडस्ट्री बड़ी से बड़ी भी अपने सूबे में अपने रिसोर्सेज से कायम करें, लेकिन यह हमारे इमकान की बात नहीं है। उसके बाद दो ही सूरतें रह जाती हैं। या तो हम हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहें या उन सूरतों से, जो अवेलेबिल हैं, उनसे फायदा उठावें। हम उनको इसलिये कर्जा देते हैं कि हमारे यहां बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री कायम हों। इसी वजह से हमने इनको लोन दिया है। वे कायम हो रही हैं। एक टेक्सटाइल की मशीनरी है, एक रेयान की है और सोडा ऐश की है। यह सब अपने प्रदेश में कायम की जा रही हैं और की गई हैं। अगर ये लोग आयेंगे और इस बात की कोशिश करेंगे कि यहां पर इंडस्ट्री कायम हो तो उनकी मदद हम करेंगे। असल मकसद इंडस्ट्रियलाइज होने का है। मैं इससे इन्कार नहीं करता कि नेशनलाइज्ड करने से मुल्क कुछ बेटर होगा और यह सब बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री सरकारी रुपये से यहां पर कायम होंती, लेकिन यह चीज तब तक नहीं हो सकती जब तक हम हाथ पर हाथ रख कर उन जराय का इस्तेमाल न करें जो कि हमको मिले हुये हैं। इसलिये यह थोड़ा सा कर्जा दिया जिससे हालत यहां पर बेहतर हो।

यह भी शिकायत की गई कि तालीम का जो खर्चा था वह कट गया है। त्रिलोकीसिंह जी ने फरमाया कि पहले १०·८ था और अब वह १०·०० रह गया है। वाक़या यह है कि १९४६–४७ में जो खर्चे की रकम थी वह ३·१८ थी। अब १९५९–६० में वह रक़म बढ़कर १६·२४ के करीब हो गई है। यह फिगर्स हैं। अगर पर्सेन्टेज का हिसाब लगाया जाय तो उस हिसाब से १०·९ से बढ़ कर अब १३·५ परसेन्ट हो गई है। लिहाजा यह कहना कि हमने ज्यादा रुपया एजूकेशन पर खर्च नहीं किया है सही नहीं है।

एक शिकायत यह की गई कि गवर्नमेंट का खर्चा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, जेल और एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस पर बहुत बढ़ता जा रहा है। यह सही है कि यह बराबर बढ़ता चला जाता है। मैं इस सिलसिले में यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप रिसीट रिफरेन्स को देखें तो जितनी आमदनी बढ़ी है उसके हिसाब से यह १९५६–५७ में खर्चा २०·२६ था। १९५७–५८ में घटकर यह १८·०९ रह गया। १९५८–५९ में १७·४७ हो गया और अब इस साल १९५९–६० में १६·७ हो गया है इसी तरह से अगर आप रेवेन्यू के हिसाब से पर्सेन्टेज लगावें, रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर के हिसाब से तो इसमें आप देखेंगे कि बराबर घटता चला गया है, २०·२९, १९५६–५७ में था फिर बाद में १९·०९ हुआ और फिर १७·४ हुआ और आइन्दा साल में १६·४५ हो जायगा। तो यह कहना कि हम लापरवाही कर रहे हैं, अपनी नेशनल एक्टिविटीज की तरफ, यह सही नहीं है।

[श्री सैयद अली जहीर]

माननीय पालीवाल जी ने एक एतराज यह किया कि सरकार जितना खर्चा करती है उतना काम नहीं होता है, उसका जवाब आपको दिया भी जा चुका है और उससे आप को मुतमैय्यन होना पड़ेगा। उन्होंने न मालूम कैसे इस पर एतबार किया और किस तरह से साबित किया कि जो रुपया खर्च होता है उसके मुताबिक काम नहीं होता है। उन्होंने कहा कि, हमारे एक दोस्त मंगलाप्रसाद जी जबकि उन्होंने इस्तीफा दिया था और वह पहली मर्तबे शायद इलाहाबाद गये थे तो वहां पर उन्होंने न मालूम किस मूड में यह कह दिया, इसको आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर कोई इस तरह की तकरीर हो तो उस पर यह राय कैसे कायम कर ली जाय। उन्होंने शायद यहां तक कह दिया कि ५० पर्सेन्ट तक काम नहीं होता है, यह तो हो सकता है कि अगर जांच की जाय तो एक आध आना कम हो लेकिन ऐसा कह देना और साथ ही कोई मिसाल न हो कि किस पार्टीकुलर काम का हवाला दे रहे हैं और उसी बात को माननीय पालीवाल जी हमारे सामने पेश कर रहे है कि एक्स मिनिटर साहब ऐसा कह रहे हैं तो ऐसी बहस को मैं माननीय सदस्यों के ऊपर ही छोड़ रहा हूं वह खुद इसका फैसला करें कि इसमें कहां तक अहमियत है। इस तरह की चीजें, जब तक कोई स्पेसिफिक बात न कही जाय कि फलां काम हुआ उसमें इतना खर्चा हो गया और वह इतने कम में हो सकता था, इतनी फजूल खर्ची हुई तो उस पर क्या कहा जाय। आप जानते हैं कि जब कभी इस किस्म की इत्तला सरकार के पास आती है तो फौरन उसकी इन्क्वायरी करायी जाती है इन्क्वायरी की रिपोर्ट आती है और जो कुछ नतीजा होता है, अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार होता है तो उस पर ऐक्शन लिया जाता है। देखना तो यह है कि क्या किया जाय। हमको जो बेहतरीन आदमी मिल सकते हैं मौजूदा सूरत में उनके जरिये से हम काम लेते हैं। वह भी हमारे भाई हैं। आखिरकार हम जर्मनी, फ्रान्स या इंग्लिस्तान से तो आदमी ला नहीं सकते। अगर उनकी भावना यही है बावजूद निगरानी करने के तो हमको सिर्फ यही कहना है कि रफ्ता रफ्ता जहां तक होगा हम उम्मीद करते हैं कि हालत बेहतर होगी, अच्छे लोग आयेंगे और हमारा काम चलायेंगे। पता नहीं हमारे भाइयों का क्या इरादा है कि अगर कभी वह इस जगह पर आये तो क्या वे किसी को भी नहीं रहने देंगे, यह मेरी समझ में नहीं आता। बहरहाल यह चीजें ऐसी हैं जिसके मुताल्लिक कोई जनरल क्रिटिसिज्म तो वैसा ही है जैसा राजनारायण जी के स्वीपिंग आब्जर्वेशन्स होते हैं कि यह भी गलत है वह भी गलत है और कोई भी काम ठीक नहीं है। इससे न तो उनको ही कोई फायदा होता है और न सुनने वाले ही उसका कोई फैसला करते हैं। इस बात का जवाब कि सब बातें आप की गलत हैं, कोई जवाब नहीं है क्योंकि अगर कोई स्पेसिफिक बात हो तो जवाब दिया जाय।

कुछ तजकिरा सेल्स टैक्स का भी हुआ। कहा गया कि २५ हजार रुपया तक जो एक्जेम्पशन दिया गया है, वह मसनुई है। उसकी सूरत यह है कि पहले हमने एक स्लैब सिस्टम रखा था। वह इस तरह कि १८ हजार तक १८ रुपया, १८ में २५ हजार तक १५० रुपया, २५ हजार से ऊपर के लिये ४५० रुपया, इसी तरह से यह बढ़ता जाता था यहां तक कि ८ लाख के ऊपर ८ हजार रुपया रखा था। इसके ऊपर जितना भी होता उसके लिये ८ हजार और रखा था। इस पर दूकानदारों ने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि यह बड़ी जबरदस्ती है कि १८ हजार तक तो १८ रु० है और अगर १,८०१ हो गया तो उस को १५० रुपया कर दिया गया। इसी प्रकार २५ हजार पर १५० रुपया है, लेकिन अगर २५,१०० हो गया तो उस पर कर दिया गया ४५० रुपया। अब यह पता नहीं चलता कि किस तरह से किस रेट से चार्ज किया जायगा, यह सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें बतलायी गयी। इस पर गवर्नमेंट ने गौर किया और यह फैसला किया कि जो २५ हजार से नीचे के डीलर्स हैं उनको मुस्तसना कर दिया जाय लेकिन उनके ऊपर वालों पर परसेंट से लिया जाय। चुनांचे उसके लिये एक तरमीमी बिल इस हाउस के सामने लाया गया है जो ५ बजे के बाद विचार के लिये आता है। अब यह कहना कि यह रिलीफ बिलकुल जन्युइन नहीं यह ठीक नहीं है क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो २५ हजार से कम की आमदनी वाले हैं। उनके लिये हिसाब रखना भी जरूरी नहीं है लेकिन अगर उनकी आमदनी २५ हजार से ऊपर है तो उनको सेल्स टैक्स देना होगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—कुछ सरकारी कर्मचारियों के लिये भी कहिये जिनसे ७ तारीख को आपने वायदा किया था।

श्री सैयद अली जहीर—जो कुछ बजट में है, क्या वह आपके लिये काफी नहीं है। बहरहाल कमी या ज्यादती का जो सवाल है, कोई भी रकम हो वह किसी को कम और किसी को ज्यादा दिखायी देगी। जो भी हमारी आर्थिक दशा है उसको देखते हुए जो कुछ भी हम कर सके, उतना हमने किया है और जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि बराबर हम इस बात को देखते रहेंगे कि नीचे वालों की आर्थिक दशा को बेहतर किया जाता रहे। यही मैंने उनसे भी कहा था कि आज अगर हम समाज के, डेवलपमेंट के, और एजूकेशन वगैरह के काम बन्द कर दें और आप लोगों की तनख्वाह बढ़ा दें तो आपको इस वक्त इत्मीनान तो जरूर हो जायगा, लकिन मुल्क की हालत सुधरगी नहीं। चादर एक ही है और उसी के अन्दर हमको ऐडजस्टमेंट करना है। हमारी यह कोशिश है कि जब हमारे मुल्क की एकोनामिक कंडीशन्स अच्छी हो जायंगी, जिसके लिये कि हम प्रयत्न कर रहे हैं तो उसके बाद उन लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ेंगी, अनाज भी सस्ता होगा और उसके अलावा भी जो जो सहूलियतें मांगी जाती हैं, वे भी उनको मिलेंगी, लेकिन इस वक्त हम जो कोशिश करना चाहते हैं वह यही है कि किसी न किसी तरह से मुल्क की आर्थिक हालत को सुधारा जाय, चाहे वह ऐग्रीकल्चर के जरिये से हो या इन्डस्ट्री के जरिये से या काटेज इन्डस्ट्री के जरिये से। लेकिन इसके साथ ही साथ जहां तक हमसे हो सकता है हम एजूकेशन, हेल्थ और वेलफेयर की तरफ भी ध्यान देते रहे हैं। क्योंकि कोई शख्स ऐसा नहीं है कि वह बुरी हालत में ही पड़ा रहे और उससे हम कहते रहें कि तुम्हारी हालत तभी दुरुस्त होगी जब कि मुल्क की इक्तसादी हालत दुरुस्त हो जायगी। उसके लिये जो कुछ भी हो सके वह तो हमको करना ही पड़ेगा।

बाज माननीय सदस्यों ने यह शिकायत की कि साहब हरिजनों के लिये आपने कुछ नहीं किया। बहरहाल, हरिजन डिपार्टमेंट का जो बजट है उसके सम्बन्ध में मैंने अपनी तकरीर में भी जिक्र किया है और उनके लिये मौजूदा रकम दी गयी है। आपने लखनऊ का जिक्र किया है तो मुझे लखनऊ की हालत बराबर मालूम है कि यहां म्युनिसिपल बोर्ड जगह-जगह ऐसी इमारतें बनाती जाती है उन स्वीपर्स वगैरह के लिये जो हरिजन कहे जाते हैं और जो बहुत ही बुरी हालत में रहते हैं ताकि वे अच्छी हालत में रह सकें। जहां तक मैं जानता हूं शायद दो, तीन ऐसी इमारतें बन भी चुकी हैं और जैसे-जैसे हमको रुपया मिलता जायेगा वे बनती जायेंगी। तो ये तमाम स्कीम्स जो हैं, तालीम की या उनके लिये पीने के लिये पानी का इन्तजाम करने की, जहां तक हो सकता है वह हम बराबर करते जा रहे हैं। आज कल की मौजूदा आर्थिक हालत को देखते हुये जितना हम उस तरफ जा सकते हैं जाने की कोशिश करते हैं। तो मैं अर्ज करूंगा कि इस सम्बन्ध में जो कदम हम उठाना चाहते हैं, वह तो बहुत कुछ बजट को देखते हुए साफ जाहिर है कि उसके लिये जो रास्ता हमने बनाया है उस पर बराबर चलते जा रहे हैं।

जैसा मैंने शुरू में अर्ज किया कि जनतंत्र के उसूल पर हमारा जो अपना लक्ष्य है उसको हम हासिल करना चाहते हैं। जनतंत्र के उसूल के कुछ कायदे हैं। यह सही है कि एक जमाना होता है, आज बाज वक्त ऐसी सिचुएशन आ जा सकती है कि लोग इस पर तैयार हो जायं कि हम कानूनशिकनी करेंगे, हम कानून को तोड़ेंगे। लेकिन अगर जनतंत्र हमें चलाना है और कामयाबी के साथ चलाना है तो मैं अपील करूंगा अपने अपोजीशन के साथियों से कि हम सब मिल कर उन्हीं उसूलों पर चलें। यकीनन आपको हर तरह से अधिकार है कि आप इस सदन के बाहर जायं और लोगों से अपील करें और उनको अपने साथ लाने की कोशिश करें कि वे लोग कांग्रेस को छोड़ दें और आपको वोट दें लेकिन जब तक कांग्रेस की अक्सरियत है, जब तक कांग्रेस अपनी हुकूमत बनाये हुए है तब तक अगर कोई कानूनशिकनी करेगा तो नतीजा यह होगा कि सरकार उसके ऊपर ऐक्शन लेगी। क्योंकि इस तरह से कानूनशिकनी अगर होती गयी तो जनतंत्र की जड़ मजबूत होने के बजाय कमजोर होती चली जायगी। १०, १२ वर्ष के अन्दर जो एक्सपेरिमेंट रहा है उससे साबित हो गया है कि सब से बड़ी डेमोक्रेसी हमारे अपने इस मुल्क में काम कर रही है।

एक बात यह भी कही गयी कि यहां पर कोआपरेटिव फार्मिंग सफल नहीं होने वाली है। इस सम्बन्ध में मुझे एक बात कहनी है कि अगर सन् १९५० के पहले कोई कहता था कि हम अपने यहां

[श्री सैयद अली जहीर]

जनतंत्र करने जा रहे हैं और २१ वर्ष के बालिग को वोट देने का अधिकार देने जा रहे हैं तो लोगों की आंखें खुल जाती थीं और लोग कहते थे कि इतनी बड़ी तादाद वोटरों की है जिनमें इस तरह के बेपढ़े लिखे और जाहिल लोग हैं जिनको वोट देने का हक मिलेगा तो क्या होगा। मगर जब हमने उनको हक दिया और उन्होंने अपने हक का इस्तेमाल किया जिसे आप देख रहे हैं। मेरे खयाल से जितनी कामयाबी के साथ हमारे यहां डेमोक्रेसी चल रही है, जिस तरह से हमारे यहां शान्ति के साथ और सहूलियत के साथ दो-दो एलेक्शन हुए हैं जिसको दुनिया ने भी अहसास किया है। बहरहाल, इस किस्म की चीजों के मुताल्लिक हमें अपनी जगह पर बैठ कर फैसला करना होगा कि आया यह देश के हित में है या नहीं है। अगर हम फैसला करें कि यह देश के हित में है तो यकीनन हम इसको किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं लादेंगे बल्कि उनकी रजामन्दी से ही करेंगे। हमारे यहां की जनता इतनी समझदार है यह हम जानते हैं, बशर्ते कि आप लोग भी इसमें हमारे साथ रहें। चूंकि आप इसी उसूल पर चलते हैं, लिहाजा आपका और ज्यादा फर्ज हो जाता है कि इसमें हमारा हाथ बटायें।

फारेस्ट के मुताल्लिक भी बाज-बाज तकरीरों में कुछ जिक्र आया था। चूंकि फारेस्ट विभाग पर बहस नहीं होगी लिहाजा मैं चाहता हूं कि संक्षेप में कुछ बातें इसके मुताल्लिक भी बतला दूं। फारेस्ट पालिसी जो पुरानी कुमायूं में गवर्नमेंट की रही है उसी को यहां के ऊपर पढ़ा गया था। मुझे यह अर्ज करना है कि हम उसी पालिसी पर कायम हैं। सिर्फ यह देखने की चीज है कि अगर वहां पर फारेस्ट कम हो गए हैं तो इसकी वजह से गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ता है। इन्हीं दिक्कतों की वजह से कुछ न कुछ पाबन्दी लगानी पड़ती है, और उतनी ही पाबन्दी हम इसमें लगाते हैं जितनी लगाना बहुत जरूरी है। मैं अपील करूंगा खास तौर से अपने पहाड़ के नुमाइन्दों से कि वह वहां जाकर जंगल के पास के रहने वाले लोगों से अपील करें कि जंगलों का कायम रखना बहुत जरूरी है, खासतौर से उन्हीं के लिए। अगर वह यही चाहते हैं कि उनको इस तरह के हकूक मिल जायें कि वह काट छांट करें और बराबर करते रहें। तो फिर जाहिर है कि इसके नतीजे होंगे। पुराने राइट्स का जहां तक ताल्लुक है, एक नहीं तो तीन सर्कुलर हमारे डिपार्टमेंट से जारी हो चुके हैं। पुराने राइट्स जो जंगल के पास के रहने वालों के हैं उनमें कोई मदाखिलत नहीं होगी।

एक सदस्य—इधर, उधर के सभी लोग इससे इत्तफाक करते हैं।

श्री सैयद अली जहीर—मैंने कौन सी बेइत्तफाकी की है। लेकिन सवाल यह है कि आप भी इसको समझें कि इस वक्त तो मालूम होता है कि दरख्त खड़ा है, इसको अगर हम काट लें, जला डालें तो कोई नुकसान नहीं। मगर इस किस्म की भावना से नुकसान होने वाला है, इसलिए हमको इस भावना को बदलना है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का और आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझको इसका मौका दिया कि मैं कुछ बातें जवाब में अर्ज कर सकूं और जो गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गई है उसको साफ कर सकूं।

*उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ (क्रमागत)†

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से, जो मेरा कल का छूटा हुआ भाषण था उसी को फिर से प्रारम्भ करने जा रहा हूं।

मैं कल प्रावीजनल फीस के बारे में सदन के सामने अर्ज कर रहा था और उसको मैं फिर दोहराना चाहता हूं। उस प्रावीजनल फीस के सम्बन्ध में जिले के सेल्स टैक्स अधिकारी का जो रवैया है उसी को आप के द्वारा माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं। जिन लोगों

*११ फरवरी, १९५९ की कार्यवाही में छपा।

†२० फरवरी, १९५९ की कार्यवाही से।

से कभी ६ लाख अनुमानित बिक्री पर उन्होंने ६,००० रु० जमा कराया था और आज किसी वजह से उनका कारोबार नष्ट हो गया है या उन पर दैवी प्रकोप आया है और उनकी सामर्थ्य नहीं रही कि ६,००,००० रु० का बिजनेस कर सकें फिर भी उन पर इस बात का बोझ जबर्दस्ती डाला जाता है और यह कहा जाता है कि अब भी आप उतना ही रुपया जमा करें जितना पिछले साल ६,००० रु० जमा किया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जिस आदमी के पास आज ६,००,००० रु० का बिजनेस नहीं रहा है, और जो कि अपनी दूकान का किराया भी अदा करने में असमर्थ है और जिनकी पूंजी नष्ट-भ्रष्ट हो गई है उन पर यह बोझ डालना कि उतनी ही फीस जमा करो जितनी पहले साल जमा की थी यह बड़ा भारी अन्याय है।

बड़े-बड़े राग अलापे गये हैं बजट भाषण में। यह कहा गया है कि रियायत की गई है। लोगों को बहुत राहत दी गई है। लेकिन हमें कहीं कोई भी रियायत दिखाई नहीं पड़ती। हमें कोई भी चीज ऐसी नहीं दिखाई पड़ती जिसमें उन दूकानदारों का जिनके ऊपर कोई मुसीबत आई हो उससे बचने के लिये उन्हें कोई मौका मिले। मैं आपका ध्यान एक बात की ओर और आकर्षित करना चाहता हूं। इस बजट भाषण में यह कहा गया है कि २५ हजार तक कोई कर नहीं लगेगा। यकीनन यह बात साफ है कि २५ हजार के ऊपर अगर किसी की २५,५०० की बिक्री होती है तो उसके ऊपर कर लगेगा। कल हमारे भाई माननीय सदस्य अग्रवाल जी ने कहा था कि एक बोरा या सवा बोरा अन्न की बिक्री करने वाला यदि साल भर अनाज बेचता है तो साल भर का २५ हजार से ऊपर उसका टर्न ओवर होता है। जो दूकानदार एक बोरा या सवा बोरा अनाज बेंचता है तो उसकी साल भर की बिक्री २५ हजार से ऊपर होती है। अगर उसने बड़ी मेहनत से महीने में ४० बोरा अन्न बेचा यदि ४० बोरे के ऊपर मुनाफा देखा जाय तो एक रुपया बोरा मुनाफा बड़ी मुश्किल से मिलता है। इस तरह से ४० रुपये महीने मुनाफा निकलता है। ४० रुपये की आमदनी वाला दूकानदार यदि १५ रुपये किराये के दे देता है तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि केवल २५ रुपया मासिक उसका मुनाफा रह गया। इस तरह से साल भर में उसका ३०० रुपये का मुनाफा होगा। अब २५ हजार के ऊपर टैक्स असेस किया जाता है तो उसका सारा मुनाफा सेल्स टैक्स में चला जायगा। इस तरह से मैं यह बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि बजट भाषण में बड़ी लम्बी-लम्बी बातें कही गई हैं बिक्री कर के सम्बन्ध में लकिन इसस कोई राहत दूकानदारों को नहीं मिल रही है। जो एक या सवा बोरा अन्न बेचता है कहा यह गया है कि उसको राहत दी गई है लेकिन उसको दरअसल कोई राहत नहीं दी गई है। मैं लखनऊ का एक पुराना दास्तान सुनाना चाहता हूं। पुराने जमाने में अनार बड़ी कदर से बिकता था।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---कोरम पूरा नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन का कार्य पुनः आरम्भ हुआ।)

श्री राजनारायण--फिर घंटी बजानी पड़ी। आपने कहा था कि घंटी नहीं बजेगी।

श्री उपाध्यक्ष---एक बार तो मौका दें।

श्री शिवप्रसाद नागर---तो उपाध्यक्ष महोदय, लखनऊ में जब पुराने रईस रहते थे उस वक्त अनार की बड़ी कद्र थी। लोग खूब इस्तेमाल करते थे। अनार के बेचने वाले करते यह थे कि अनार का दाना निकाल लेते थे और बड़ी खूबसूरती से उसमें दानों की जगह मटर भर देते थे। बड़ी अच्छी तरह से उनको डलिया मे रखकर गलियों में बेच आते थे। लेकिन दानों की जगह उसमें मटर निकलता था। यही हाल इस विधेयक का है। कहा तो जाता है कि बड़ी राहत दी गई है लेकिन राहत रत्ती भर नहीं है। मैं आपका ध्यान एक बात की ओर और आकर्षित करना चाहता हूं कि इस वक्त जो सेल्स टैक्स अधिकारी हैं उन्होंने एक नया तरीका अख्तियार किया है। भगवान जाने, वहां कानून में लिखा है या सरकारी आदेश है, पता नहीं। हम जो प्रैक्टिस में देख रहे हैं वह आप के द्वारा अर्ज करना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स आफिसर के जो जजमेंट होते हैं वह दो-दो और तीन-तीन महीने रिजर्व कर दिय जाते हैं।

[श्री शिवप्रसाद नागर]

१५ दिन हो गये जजमेंट दिये हुए और वह रिजर्व है सायल पहुंचता है लेकिन जजमेंट रिजर्व रहता है। मेरे लखीमपुर में यही होता है और अंदाजा लगाता हूं कि यू० पी० भर में यही होता होगा। बटलोई के एक चावल को टटोल कर देखा जाता है, अगर एक चावल पका होता है तो माना जाता है कि सब चावल पके हैं और अगर एक चावल कच्चा है तो सब कच्चे हैं। चूंकि मुझे सारे यू० पी० में घूमने का खर्चा नहीं मिलता है इसलिये मैं सब जगह जाकर देख नहीं सकता हूं अगर खर्चा मिले तो मैं जाकर देख सकता हूं और माननीय मंत्री जी को सारी खराबियां बता सकता हूं। किसी सदस्य के उधर से टोकने पर अगर आप को तसल्ली न हो तो आप उधर से बोलते रहें और मैं इधर से और जिसको उपाध्यक्ष महोदय बोलने की आज्ञा न दें वह बैठ जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य से मैं यह कहूंगा कि वह विधेयक पर ज्यादा ध्यान दें।

श्री राजनारायण---अगर सम्बन्धित बात कहनी होती है तो वह कहेंगे।

श्री शिवप्रसाद नागर---मैं तो विधेयक पर बोलूं और वह विधि के विपरीत बोलें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा यह अर्ज करना चाहता हूं और उस पर भी कहूंगा जो आवाजें आ रही हैं। जजमेंट २-३ महीने तक रिजर्व रहते हैं। उसका नतीजा यह होता है भगवान जाने क्या राज है, इससे दूकानदारों को बहुत परेशानी होती है। उनकी दूकानों के पट बन्द रहते हैं। इस विधेयक से कोई राहत नहीं है। कहीं पर भी यह पाबन्दी नहीं है कि जजमेंट इतने दिनों के अन्दर दिया जाय।

एक बात और बताना चाहता हूं कि जजमेंट हो जाने के बाद भी चपरासी द्वारा दूकानदार को ८, ९ बजे रात को बुलाया जाता है। पता नहीं क्या बातचीत होती है। लाला जी रात को ८ बजे सेल्स टैक्स आफिसर के बंगले पर पहुंच जाते और चपरासी से कहते हैं कि साहब को खबर कर दो। लेकिन रात को १० बजे तक वह बाहर बैठे रहते हैं और उसके बाद जज साहब बाहर आते हैं तो लाला जी में और उनमें बातचीत होती है। इससे दूकानदार को बड़ी परेशानी होती है और बड़ी आफत है। मैं आप से क्या बताऊं अगर मंत्री जी को एक दूकान पर बिठाल दिया जाय और कहा जाय कि इसका हिसाब करके सेल्स टैक्स आफिसर को दिखा आवो तो सच कहता हूं कि दांतों पसीना आ जाय और कलेजा मुंह को आ जाय। इतनी परेशानी होती है। तो इस विधेयक में कोई राहत नहीं है।

एक बात और बताऊं। ऐसा अंधेरखाता कहीं नहीं देखा। इन्कम टैक्स की जांच होती है उसकी जांच आई० ए० एस० और आई० सी० एस० आफिसर्स द्वारा होती है और केन्द्रीय सरकार की तरफ से होती है और उस अफसर की सील और मुहर हर पन्ने पर होती है। हर पन्ने पर उसके दस्तखत होते हैं। मगर जब सेल्स टैक्स अधिकारी के पास पहुंचता है तो वह कहता है कि इसको नहीं मानेंगे। उसके जांचे हुए कागज को वह नहीं मानेंगे। क्या मानते हैं? उसको मानेंगे जिसकी वह जांच करेंगे। वह जो चाहे सो करें। अल्ला मिया हो गये, सेल्स टैक्स अधिकारी क्या हो गये। दूकानदार के अल्ला मिया ही हैं। जिसको चाहें सुला दें और जिसको चाहे जिला दें। सैकड़ों दूकानें बन्द हो गईं। ऐसा मालूम होता है कि प्लेग चल गई हो यहां पर। इस तरह से तमाम दुकानदार परेशान हो गये हैं। इतना ही नहीं कभी-कभी जब सेल्स टैक्स आफिसर आफिसरी के जोर में आ जाते हैं तो यह भी कहते हैं कि ज्यादा बात करोगे तो बन्द करवा दूंगा। सेल्स टैक्स आफिसर को तो ऐसे होना चाहिये जैसे दूकान का कोई हेड मुनीम हो। अगर यह अधिकार हो कि उन्हें जेल भेज देंगे तो इन्हें सेल्स टैक्स आफिसर क्यों बनाया? डिप्टी कलेक्टर या जज बना दें ताकि सजा देने का

शौक है उसे पूरा करते रहें। एक-एक दूकानदार इस तरह से परेशान हो गया है कि अगर दूकानदारों की एक सभा बुलाई होती और माननीय मंत्री जी ने उनकी ओपीनियन ली होती और बात पूछी होती और पूरा विधेयक पढ़कर सुनाया होता और कहते कि यह राहत दे रहे हैं, तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, साफ बतलाता हूं कि मंत्री जी की स्पीच होती रहती, विधेयक पढ़ते रहते और एक-एक करके सब दूकानदार चले जाते डर से कुछ कह तो सकते नहीं थे मगर कोई नहीं दिखाई पड़ता चाहे पांच हजार होते। इस प्रकार की हालत आज सेल्स टैक्स आफिसर के बारे में है। इस बिल के अन्दर कोई राहत नहीं है।

एक बात और बताऊं कि यह सारी बातें भ्रष्टाचार की द्योतक हैं। यह बात तो मैं साफ नहीं कहता हूं कि रिश्वत ली जाती है लेकिन यह बेशक भ्रष्टाचार का द्योतक है और यह खुली-खुली बात है। जितनी बातें मैंने अर्ज कीं हमारे जिले में हो रही हैं। इस तरह से हो रहा है जैसे नगर में सेल्स टैक्स आफिसर नहीं कोई नादिरशाह आ गया है...

श्री राजनारायण--श्रीमन्, फिर कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति हो जाने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई)

श्री राजनारायण--श्रीमन्, यह दूसरी बार है।

श्री उपाध्यक्ष--अब तीसरी बार नहीं होगा।

श्री शिवप्रसाद नागर--उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक पेश हुआ है और इसमें खास-खास लोगों की दिलचस्पी नहीं है, कोरम नहीं है तो अगर दूकानदारों की सभा बुलाई जाय तो कमरा होगा, लालटेन होगी और कोई नहीं होगा...

श्री उपाध्यक्ष--आप अपनी तकरीर में कशिश पैदा कीजिये ताकि मेम्बर न चले जायं।

श्री शिवप्रसाद नागर--श्रीमन्, कशिश तो आजकल मंत्रियों में होती है और आप देख रहे हैं कि मंत्री कोई हैं नहीं। इसलिये कशिश कहां से आवे। हम लोग तो उस किस्म के लीडर हैं जो फटीचर होते हैं। हम तो बात कहेंगे फक्कड़ी और उसमें कशिश होती नहीं है। जब हम भ्रष्टाचार की कोई बात कहते हैं कि यह सारी बातें भ्रष्टाचार की द्योतक हैं तो उधर से आवाजें आती हैं। बार-बार लोग बोलते हैं। जब माननीय त्रिलोकीसिंह जी का भाषण होता था, उधर से कहा गया कि यह सब तुम्हारी बिरादरी की करतूत है। मुझे तो इस बजट भाषण में कहीं कहने को मिला नहीं। मगर एक बात जरूर कहना चाहता हूं, मैं बिरादरी की बात नहीं करता लेकिन जब आवाजें उधर से कसी जाती हैं तो मैं भी कह दूं कि जब बिरादरी की करतूत बताई जाती है तो वह यह भूल जाते हैं कि इसी बिरादरी के उनके मुखिया हैं। उधर से बेसाख्ता कह दिया गया कि बिरादरी की करतूत है, उसी बिरादरी के उनके मुखिया हैं इसका भी लिहाज नहीं किया गया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो आवाज उधर से आई थी वह कुछ झुंझलाई हुई सी थी...

श्री उपाध्यक्ष--उसी बात को बार-बार दोहराने की जरूरत नहीं है, उस दिन की बात को दोहराने की मैं इजाजत नहीं दे सकता, आप सेल्स टैक्स के विषय पर ही बोलें।

श्री शिवप्रसाद नागर--आपकी आज्ञा तो शिरोधार्य है लेकिन वह मैंने इसलिये कहा था कि वह आवाज रिवेल ग्रुप की मालूम होती थी।

मैं यह कह रहा था कि इस विधेयक में जितनी तरमीमें जरूरी हैं उनको करना चाहिये अगर कोई कम्पलेन्ट आफिसर नियुक्त होने की इस विधेयक में गुंजाइश की जाती....

श्री राजनारायण--कोरम फिर नहीं है, श्रीमन् ।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य बैठ जायं, मैंने सरकार को दो बार मौका दिया, लेकिन उसके बाद भी अब फिर कोरम नहीं है इसलिये अब मैं सदन को मुल्तवी करता हूं और सोमवार को ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २० मिनट पर सोमवार, २३ फरवरी, १९५९ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
२१ फरवरी, १९५९ ।

विधान सभा सचिवालय

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० —३३१ एल० ए०—१९५९-८४५ ।